खण्ड-107, अंक-4
गुरूवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(28 अगस्त, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 107 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २८ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टण्डन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

प्रति पटल

चिरंजीलाल पान्नीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख़्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह श्री
बलवन्त सिंह श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ीहादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मज्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर , श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्दरदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री

हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फ़ैज़ाबाद जिले में अन्नाभाव की स्थिति

*१--**श्री जयराम वर्मा** (जिला फ़ैज़ाबाद)--क्या फ़ैज़ाबाद जिले के कुछ भागों में भी अन्नाभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--फ़ैज़ाबाद जिले की टांडा तहसील के कुछ हिस्से में अन्नाभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री जयराम वर्मा--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि टांडा तहसील की किस भाग में यह अन्नाभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--टांडा तहसील में यह अन्नाभाव हुआ है । किसी खास क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है । सारी तहसील में अन्नाभाव बतलाया जा रहा है ।

श्री जयराम वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह अन्न वितरण का काम अभी शुरू हुआ है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां । अन्न वितरण का काम ए० पी० स्कीम द्वारा शुरू करा दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--यह अन्न वितरण का काम किस एजेंसी द्वारा और किस प्रकार हो रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--यह कार्य जिलाधीश द्वारा किया जा रहा है । इस व्यवस्था को जिलाधीश ही वहां पर कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)--क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि अकबरपुर तहसील के पूर्वी भाग में अन्नाभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ?

अन्न मंत्री (**श्री चन्द्रभानु गुप्त**)--अभी जितनी सूचना है वह टांडा तहसील की है उसी सिलसिले में मेरे पास सूचना है । अकबरपुर के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली थी ।

*२--**श्री जयराम वर्मा**--क्या इस संबंध में सरकार के पास जिला अधिकारियों की कुछ सिफारिशें आई हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां ।

*३--**श्री जयराम वर्मा**--यदि हां, तो सरकार उसके विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--ए० पी० स्कीम की योजना लागू कर दी गयी है । उसके अन्तर्गत गल्ला वितरण के लिये भेजा जा रहा है । टेस्ट वर्क्स भी खोलने का प्रबंध हो रहा है ।

तारांकित प्रश्न

कुमायूं डिवीज़न में भूमिहीन शिल्पकारों का भूमि प्राप्ति के लिए प्रार्थना-पत्र

*१--**श्री खुशी राम** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीज़न के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल व टेहरी गढ़वाल में भूमि चाहने वाले

भूमिहीन शिल्पकारों को १ जनवरी, सन् १९५० ई० से माह मई, १९५२ ई० के अन्त तक प्रत्येक जिले से कितनी-कितनी दरख्वास्तें भूमि चाहने की बाबत पड़ीं ?

*२--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन दरख्वास्तों में कितनी जंगलात संबंधी व कितनी नयाबाद ग्रान्ट बाबत पड़ीं ?

*३--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में कितने स्वीकृत हुये तथा कितने अस्वीकृत और किन कारणों से ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--एक सूची मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२० पर)

श्री खुशीराम--सूची को पढ़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष--क्या वह सूची माननीय सदस्य ने नहीं पढ़ी है ? औरों को उतनी दिलचस्पी नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--है।

अध्यक्ष--तो माननीय मुख्य मंत्री उसको पढ़ दें। उसमें से पहला भाग पढ़ दें। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जिला का नाम	दरख्वास्तों की संख्या	दरख्वास्तों की संख्या		की गयी कार्यवाहियां		
		जंगल संबंधी	नया बाद ग्रांट संबंधी	स्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकार करने के कारण
१	२	३	४	५	६	७
अल्मोड़ा	१३३६	१२२*	१२१४	...	...	...
गढ़वाल	१४५२	...	१४५२	...	...	...
टेहरी गढ़वाल	२२०४	१५९	२०४५	३७	...	बाकी दरख्वास्तें फारेस्ट सेटिलमेंट तक के लिये जो इस वक्त हो रहा है स्थगित कर दीगयी हैं। क्योंकि मांगी गयी भूमि वन विच्छेद नहीं की गयी और कुछ दरख्वास्तें पंचायती जंगल में स्थित भूमि के लिये थीं।
नैनीताल	१३५	६८	६७	...	६८	

*इन दरख्वास्तों में जंगल में स्थित भूमि की मांग की गयी है । ऐसी भूमि का अभी तक वन विच्छेद नहीं किया गया है । परन्तु इसको वन विच्छेद करने का प्रश्न विचाराधीन है । इसलिये इन दरख्वास्तों पर कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो अस्वीकृत दरख्वास्तें हैं, इनमें नीचे की अदालतों में मंजूर हो कर फिर कमिश्नरी में जो खारिज हुईं उनकी तादाद कितनी होगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह एस० डी० एम० खाली नयाबाद की दरख्वास्तों पर रेकमेंड करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज देता है वहां पर नीचे और ऊपर की अदालतों का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो दरख्वास्तें अदालत में दी जाती हैं उनमें अमीन की फीस ली जाती है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां ।

श्री खुशीराम---क्या यह भी बताने की कृपा होगी कि फी दरख्वास्त में कितनी फीस ली जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यदि आप नोटिस दें तो बताया जा सकता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिल्पकारों की भूमि की कितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसका कोई रिकार्ड नहीं है, लेकिन इसमें अधिकांश शिल्पकारों की हैं।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो स्वीकृत दरख्वास्तों की सूची दी हुई है उसमें वह भी दरख्वास्तें शामिल हैं, जो शिल्पकारों की कालोनी में दी हुई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह जंगल संबंधी जो हैं उसके अन्तर्गत वह आती हैं, जहां तक मुझे मालूम है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या शिल्पकारों की ४ लाख आबादी में से २ लाख शिल्पकार भूमिहीन हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह बात बिल्कुल सही नहीं है । इनमें से बहुतों के पास तो अपनी ही हिस्सेदारी जमीन है और कुछ के पास नहीं है । जिनके पास नहीं है उनको दी गयी है ।

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के कार्य

*४---**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिलों में स्थापित भ्रष्टाचार विरोधी समितियों ने कितने भ्रष्टाचार (घूसखोरी) के मामले पकड़वाये और उनमें से कितने को दण्ड मिला ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)——जिलों में भ्रष्टाचार विरोधी समितियों ने अब तक ५७ भ्रष्टाचार के मामले पकड़वाये जिनमें से ३३ मामलों में अभियुक्तों को दंड मिला।

श्री वीरेन्द्रपति यादव——क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मामले बताये गये हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों के कितने मामले थे जिन रिश्वत संबंधी मामलों में उनको दंड दिया गया।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——यह मामले, मैं समझता हूं, आमतौर पर ज्यादा रिश्वत संबंधी ही होंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव——क्या इन एंटी-करप्शन समितियों को यह अधिकार है कि सरकारी कर्मचारियों का ख्याल, बुरी शोहरत पर विचार करें और वहां से सरकार को रिपोर्ट भिजवा सकें?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——उनको यह अधिकार है कि वह रिश्वत संबंधी मामलों में विचार करें और किसी के खिलाफ अगर कोई बात साबित हो तो उस मुहकमे के जो ऊंचे अधिकारी हैं उनको उसकी सूचना दें और उसके लिये उनको लिखें।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फ़र्रुखाबाद)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भ्रष्टाचार कमेटियों के संबंध में कोई ऐसी नियमावली है जिसके आधार पर इसका काम चलाने की व्यवस्था की गयी है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——भ्रष्टाचार समितयों के संबंध में हिदायतें हैं कि उनको क्या करना है और क्या काम उनके जिम्मे है। वही उसका नियम समझा जा सकता है।

*५——श्री वीरेन्द्र पति यादव——क्या सरकार बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक पृथक विभाग स्थापित करने का इरादा करती है जिसका संबंध पुलिस विभाग से तनिक भी न हो और जिसकी शाखायें प्रत्येक जिले में हों?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——सरकार के सामने इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)——क्या सरकार को मालूम है कि इन भ्रष्टाचार समितियों में जिला अधिकारियों के होने से रिश्वत के मामलों को पकड़ने में दिक्कत होती है? क्या वह उचित नहीं समझती कि इन अधिकारियों को उन समितियों में से अलग किया जाय?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——जिला अधिकारियों के अतिरिक्त लोगों को पकड़ने में भी कोई रोकता नहीं। जिला अधिकारियों के साथ रहने से इन मामलों में सहूलियत होती है।

कबाल (Cabal) टाउन्स में कुटीर उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता

*६——श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)——क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि सन् १९४६ से सन् १९५१ तक कबाल (cabal) टाउन्स के विभिन्न नगरों में उन्होंने कितनी कितनी आर्थिक सहायता कुटीर-उद्योगों और बड़े उद्योगों के लिये दी है?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री)---सन् १९४६ से १९५१-५२ तक कबाल टाउन्स के विभिन्न नगरों में कुटीर-उद्योगों के लिये दी हुई आर्थिक सहायता के विवरण के लिये दो प्रकार की सूची संलग्न है । सूचियों का ब्योरा इस प्रकार है:

(अ) ऋण तथा अनुदान योजना के आधीन दी गई आर्थिक सहाचता ।

(ब) पुनर्वास योजना के आधीन दी गयी आर्थिक सहायता ।

बड़े उद्योगों के लिये कोई आर्थिक सहाचता नहीं दी गई ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

*७---श्री देवकी नन्दन विभव---आगरा में सन् १९५१ में किन-किन को क्या सहायता दी गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---आगरा में १९५१ में दी गई आर्थिक सहायता के विवरण की तीन सूचियां संलग्न हैं । सूचियों का ब्योरा इस प्रकार है :

(द) ऋण तथा अनुदान योजना के अधीन दी गई आर्थिक सहायता ।

(य) पुनर्वास योजना के अधीन दी गई आर्थिक सहायता ।

(र) टेक्निकल एजूकेशन के अधीन दी गई आर्थिक सहायता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यहब तलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इस बात के जानने की कोशिश की है कि जो अनुदान या कर्ज दिये गये उनका उचित उपयोग हुआ या नहीं हुआ, यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---कुछ-कुछ केसेज में उचित उपयोग नहीं हुआ ।

श्री देवकी नन्दन विभव---जो कर्ज दिये जाते हैं उनके वसूल होने में कोई कठिनाई होती है ?

श्री हुकुम सिंह---बाज हालतों में होती है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि उसने जिन-जिन मुकामात पर इस सिलसिले में इमदाद दी है उसकी हैसियत इनफ़ादी है या आर्गेनाइजेशनों की दी है ?

श्री हुकुम सिंह---आर्गेनाइजेशनों को भी दी गयी है और जाती हैसियत से भी दी गयी है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी---क्या गवर्नमेंट को अन्दाजा है कि इनफ़ादी तौर पर जो इमदाद दी गयी है वह सफल हुई है ?

श्री हुकुम सिंह---इसका अन्दाजा इस वक्त बतलाना कठिन है ।

*८---श्री देवकी नन्दन विभव---क्या सरकार कुटीर उद्योगों को दी जाने वाली सहायता को यहां के मौलिक कुटीर उद्योगों में और अधिक तादाद में देने पर विचार करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---कुटीर उद्योगों के लिये आर्थिक सहायता देने में मौलिक तथा दूसरे उद्योगों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता । सरकार या तो केवल

अविकसित कुटीर उद्योगों लिये आर्थिक सहायता देती है या उन कुटीर उद्योगों के लिये जिन के विकास से उनमें लगे हुये व्यक्तियों, सहकारी समितियों तथा संस्थाओं को आर्थिक लाभ हो । इसलिये मौलिक कुटीर उद्योगों के विकास के लिये अधिक सहायता देने का सवाल नहीं उठता ।

गन्ना कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा किसानों का चीनी मिलों पर बक़ाया धन

*९--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या उद्योग मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि विभिन्न चीनी मिलों पर विभिन्न केन कोआपरेटिव सोसाइटियों का पिछले सालों का कितना धन बकाया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--विभिन्न चीनी मिलों पर विभिन्न केन कोआपरेटिव सोसाइटियों का पिछले साल का कुल ८.७७ लाख रुपया बकाया है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट (क) में देखिये

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२५-३२६ पर)

*१०--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार ने इस बकाया की वसूली के लिये कोई प्रयत्न किया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अनेक क्षेत्रों में बकाया धन का भुगतान इसलिये नहीं हुआ है क्योंकि किसान मिलों से अपने गन्ने का मूल्य लेने नहीं पहुंचते हैं। ऐसे क्षेत्रों में मिलों को आदेश दे दिया गया है कि वे बकाया धन को सम्बन्धित यूनियनों के हवाले कर दें जो कि इन राशियों को प्रत्येक किसान के हिसाब में जम कर देंगे। जिन क्षेत्रों में अभी तक बकाया धन का भुगतान नहीं किया है वहां के जिला गन्ना अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि वे बकाया धन का भुगतान जल्द करायें ।

*११--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि राज्य की कौन-कौन सी मिलों पर इस साल गन्ना देने वाले किसानों का रुपया बकाया है और कितना-कितना ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--८ जुलाई, १९५२ तक प्रदेश की विभिन्न मिलों पर इस साल गन्ना देने वाले किसानों का कुल ११ करोड़ २५ लाख रुपया बकाया था। पूर्ण विवरण परिशिष्ट (ख) में देखिये ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२७-३२९ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्य यह सही नहीं है कि मिलों के मैनेजरों द्वारा बार-बार भुगतान के वादों से ऊब कर ही किसानों ने मिलों में जाना छोड़ दिया है ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार विभिन्न मिलों के कांटों के स्टेशनों पर निश्चित तारीखों पर जिनकी पहले से घोषणा कर दी गयी है किसानों का बकाया रुपया दिलाने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह--जो इंतजाम किया गया है वह ठीक चल रहा है लिहाजा इसकी जरूरत नहीं मालूम होती ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी रकम इस साल क्यों बकाया पड़ी है ?

श्री हुकुम सिंह--शक्कर की बिक्री कम होने की वजह से कीमत की अदायगी में कोताही हुई ।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि १८ मार्च के बाद भी जिन मिलों ने पेराई नहीं की थी उन मिलों ने भी कीमत बकाया रखी है ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार ने इस रुपये की अदायगी के लिये कोई तारीख निश्चित कर दी है ?

श्री हुकुम सिंह---तारीख नहीं, हम तो इसी वक्त दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि किसान रुपया क्यों नहीं लेने आते हैं ?

श्री हुकुम सिंह---यह उन्हींसे पूछने पर मालूम हो सकता है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार किसानों को इस बकाया पर मिलों से कुछ सूद दिलवायेगी ?

श्री हुकुम सिंह---बहुतों के यहां मजहबन सूद लेना नाजायज है।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार को ज्ञात है कि अयोध्या शुगर मिल्स के मैनेजमेंट ने किसानों को उनका रुपया देने से इन्कार कर दिया और उसके एवज में किसानों को चीनी दी है जिसको बाजार में बेचने से किसानों को भारी असुविधा और हानि हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी कोई इत्तिला मुझे नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनके यहां सूद लेना जायज है उनको सूद दिलवाया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह---यह सवाल अभी गवर्नमेंट के जेरे गौर नहीं है।

मऊ जिला आजमगढ़ की उपभोक्ता सहकारी समिति के तीन कर्मचारियों की मुक़दमा चलने के कारण मुअत्तिली

*१२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मऊ, जिला आजमगढ़ नगर उपभोक्ता सहकारी समिति के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध जिला राशनिंग विभाग की ओर से अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है और तीनों को उच्चाधिकारियों द्वारा मुअत्तिली का आदेश होते हुए भी मुअत्तिल नहीं किया गया है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---जी हां, जिन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है उन्हें जिला पूर्ति विभाग से सूचना पाते ही मुअत्तिल किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे वह कौन-कौन अधिकारी ह जिनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चल रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद---उनके नाम हैं, अख्तर हुसेन, मुईनुद्दीन और शिव हर्ष।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सप्लाई विभाग से मुअत्तिल करने का आदेश किस तारीख को हुआ था ?

श्री मंगला प्रसाद---सप्लाई विभाग से आदेश नहीं हुआ था बल्कि जिलाधीश ने आदेश दिया था। यह सहकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नहीं हैं और उनकी मुअत्तिली का आदेश जुलाई के पहले हफ़्ते में हुआ था।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि मऊ नगर जिला आजमगढ़ उपभोक्ता सहकारी समिति के तीन अधिकारियों को किस तारीख को मुअत्तिल किया गया ?

श्री मंगला प्रसाद——इसके लिये नोटिस चाहिये, लेकिन मैंने बतला दिया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मुअत्तिल किये गये ।

प्राविन्शियल फ़ारेस्ट सर्विस में कर्मचारियों की उन्नति

*१३——श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत)——क्या यह सही है कि ७ व्यक्ति प्राविन्शियल फारेस्ट सर्विस के लिये १९-१-४९ को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्वीकृत हुये थे जिनमें से अब तक तीन को प्रार्विशियल ग्रेड मिला ? यदि हां, तो शेष व्यक्तियों को अब तक ग्रेड क्यों नहीं मिला ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशें गुप्त रहती हैं। इसलिये उनका प्रकाशित करना उचित नहीं होगा । सन् १९४९ में जो व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन की सम्मति में पदोउन्नति के योग्य थे उनमें से ३ को सरकार ने उन्नति दी। उस समय तीन ही स्थान उत्तर प्रदेश फोरेस्ट सर्विस में रिक्त थे, इसलिये औरों को उन्नति देने का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री भगवान सहाय——क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सात आदमियों का सिलेक्शन किया था उसके लिये कितनी पोस्ट एडवरटाइज की गई थीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——पोस्टस एडवेरटाइज नहीं की गई थीं क्योंकि उस समय रूल्स नहीं बने थे। इसलिये सब को वहां भेज दिया गया था जो आफिशियेट कर रहे थे। अब नये रूल्स बन गये हैं। उस समय तीन ही स्थान थे और तीन ही आदमी लिये गये।

*१४——श्री हरिप्रसाद——क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति प्रार्विशियल ग्रेड में बिला पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के की गई। यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*१५——श्री हरि प्रसाद——क्या कुछ लोगों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्वीकृत किये गये थे सुपरसीड किया गया ? यदि हां, तो इन्हें किस कारण सुपरसीड किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——पब्लिक सर्विस कमीशन केवल सिफारिश करती है और उस सिफारिश के आधार पर चुनाव सरकार करती है। इसलिये कमीशन द्वारा स्वीकृत किये गये किसी व्यक्ति का सुपरसीड होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या यह सही है कि उपर्युक्त फैसला कांफीडेंशियल होते हुये भी सभी प्रार्विशियल ग्रेड वाले आफिसर्स के पास भेजा गया, जिसका प्रश्न संख्या १३ में जिक्र है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——उस समय सन् १९४७ से पहले के जितने ऐसे अधिकारी थे उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने बुलाया था और उनमें ७ आदमियों को रिकमेंड किया था उनमें से सीनियरिटी के आधार पर तीन ही सीट्स थीं वह ले लिये गये । इसलिये ऐसा कुछ भी नहीं भेजा गया जैसा कि आप कह रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---इन व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकृति प्राप्त करने की सिफारिश पर विचार करने के लिये कब बुलाया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सन् ४८-४९ में बुलाया गया था।

*१६---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---[३ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

परिगणित जाति के डिप्टी कलेक्टरों की जिलाधीश अथवा अतिरिक्त जिलाधीश के पदों पर उन्नति

*१७---श्री पुत्तूलाल---क्या यह सच है कि परिगणित जाति के किसी भी डिप्टी कलेक्टर को तरक्की देकर जिलाधीश अथवा अतिरिक्त जिलाधीश के पद पर नियुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---परिगणित जाति के एक डिप्टी कलेक्टर को अतिरिक्त जिलाधीश (जुडिशियल) नियुक्त किया गया है। अन्य लोग या तो बहुत जूनियर हैं या अभी पदोन्नति के योग्य नहीं हुये हैं। उपयुक्त अफसरों के संपूर्ण रिकार्ड पर विचार करने के बाद सरकार जिलाधीश और अतिरिक्त जिलाधीश के पदों के लिये चुनाव करती है और चुनाव करने में केवल उनकी योग्यता को ही प्रधानता देती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इस समय प्रदेश में परिगणित जाति के कितने डिप्टी कलेक्टर्स हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि २२ हैं।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि डिप्टी कलेक्टर्स की पदोन्नति के लिये योग्यता का अन्दाजा कैसे लगाया जाता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह देख कर कि वह अयोग्य नहीं है और यह देख कर कि उसमें ऐसी सिफतें हैं जिससे उसकी उन्नति करनी चाहिये और यह खयाल मेम्बर साहब का कि परिगणित जाति के सीनियर लोगों को छोड़ कर बहुत से जूनियर कलेक्टर बना दिये गये हैं, गलत है।

*१८-२०---श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २७१-२७२ पर]

मिर्जापुर जिले में ग़लीचे के व्यापार की खराब दशा

*२१---श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में गलीचे के व्यापार की दशा निरन्तर खराब होती जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां, गलीचों के व्यापार की इधर कुछ समय से दशा खराब हो रही है।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय---इस व्यापार की उन्नति के लिये सरकार कौन सी उपाय सोच रही है ?

श्री हुकुम सिंह---मैंने वहां के लोगों को सलाह दी है कि जो घटिया माल लगाते हैं वह न करें और अच्छे किस्म के कालीन बनाने की कोशिश करें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—क्या यह सही है कि इस देश का अच्छा ऊन एक्सपोर्ट किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी पूरी इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह—बढ़िया कालीन बनाने के लिये सरकार उनको क्या मदद देने जारही है ?

श्री हुकुम सिंह—अच्छा मशविरा मैंने दिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अच्छे ऊन के एक्सपोर्ट के बारे में उनके पास अधूरी इत्तिला क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—अधूरी बात इस सदन में कहना अयोग्यता है।

सरकारी सुरक्षित वन, सफ़दरगंज, ज़िला बाराबंकी, में जानवरों की चराई

*२२—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सुरक्षित वन सफदरगंज, जिला बाराबंकी, में जानवरों पर चराई किस दर से ली जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सफदरगंज के जानवरों पर जो उसके निकट नियामतपुर नामक वन के ब्लाक में चरते हैं निम्नलिखित दर से चराई ली जाती है:—

प्रति भैंस	...	...	६ रुपया प्रति वर्ष
प्रति गाय, बैल	...	...	,, ,,
सांड, घोड़ा	...	...	३ रुपया प्रति वर्ष
खच्चर, गदहा	...	...	,, ,,

बछड़े और पड़वों पर आधी फीस ली जाती है।

*२३—श्री घनश्याम दास—क्या उक्त चराई की रसीद किसानों को दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चराई की रसीद किसानों को दी जाती है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री घनश्याम दास—जब से सरकार ने उक्त जंगल को अपने अधिकार में लिया है तब से अब तक चराई से कितनी आय हुई ?

*२४—श्री जगमोहन सिंह नेगी—२४६ रुपया।

कुमायूं डिवीजन में फारेस्ट पंचायतों का निर्माण

*२५—श्री खुशीराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीजन के अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल व टेहरी गढ़वाल में सन् १६५० ई० के माह जनवरी से सन् १६५२ ई० के आखिर अप्रैल तक प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी फ़ारेस्ट पंचायतें बनी ?

*२६—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन नई फारेस्ट पंचायती जंगलों में कितनी-कितनी एकड़ भूमि काबिल व नाकाबिल घेरी गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––एक विवरण पत्र मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३० पर)

श्री खुशीराम––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्ट पंचायत में गांवों में जो जगह ली गई है उसमें जो जगह काबिले आबादी है क्या उसमें से भूमिहीन आदमियों को दी जा सकती है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––फारेस्ट पंचायत उन गांवों में बनी हैं जहां पर जंगल की कमी है; इसलिये वह जंगल के लिये ही सुरक्षित रखी गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी––क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फारेस्ट पंचायतों को उचित शासन प्रबंध के लिये कुमायूं फारेस्ट पंचायत बिल माननीय मंत्री जी कब तक यहां प्रस्तुत करने वाले है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––यह तो अभी विचाराधीन है ।

देवरिया जिले की चीनी मिलों पर किसानों का बक़ाया रुपया

*२७––श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)––क्या सरकार को यह ज्ञात है कि देवरिया जिले की अन्यान्य चीनी मिलों ने, जिन में प्रमुखतः लक्ष्मीगंज, रामकोलो और खड्डा की चीनी मिलें सम्मिलित हैं, अब तक किसानों से लिये गये गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री––जी हां।

श्री राजदेव उपाध्याय––क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया की किस-किस तहसील में किसानों पर कितना-कितना रुपया बाकी है?

श्री हुकुम सिंह––अगले सवाल में एक सूची दी जायगी तो उससे यह साफ हो जायगा।

लखनऊ प्रीसीशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी

*२८––श्री नवल किशोर (जिला बरेली)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अब तक लखनऊ की प्रीसीशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी पर कितना खर्च किया है और उसमें से कितना कैपिटल एक्सपेण्डीचर है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री––फैक्टरी पर जून, १९५२ तक कुल २५,२७,६७३ रुपये व्यय हुआ है जिसमें से ११,५५,०४० रुपये कैपिटल व्यय है।

श्री नवल किशोर––क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फैक्टरी में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उन पर सालाना कितना खर्चा होता है?

श्री हुकुम सिंह––इस वक्त पूरा ब्योरा बतलाने के लिये मेरे पास पूरा सामान मौजूद नहीं है।

*२९––श्री नवल किशोर––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त फैक्टरी ने कब से इन्स्ट्रुमेंट्स का उत्पादन आरम्भ किया और अब तक कौन-कौन यन्त्र कितनी-कितनी तादाद में बनाये गये हैं तथा उनमें कितने रुपये की कीमत से बाजार में बेचे जा सके हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उत्पादन अप्रैल १९५१ से वास्तविक रूप में आरम्भ हुआ । अब तक निम्नलिखित यन्त्र तैयार हो सके हैं:—

पूर्ण रूप से अब तक लगभग ९०० जल माप यंत्र (Water Meaters) तैयार हुये हैं। ४,२८२ जल माप यंत्र एकत्रित की हुई अवस्था (Assembled form) में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित यंत्र भी तैयार हुए हैं—

रेडियो (लोकल सेट) २००, रिसर्च माइक्रोस्कोप (Microscopes) आपटिक के बिना ४७ जून । १९५२ तक फैक्टरी में बनाये गये यंत्रों की बिक्री ५८८३३ रुपया ८ आ० की हुई है।

श्री नवल किशोर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह फैक्टरी कब बन कर तैयार हुई ?

श्री हुकुम सिंह—४९ से शुरू की गई और ५१ से चलना शुरु हुई।

श्री नवल किशोर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि कौन-कौन से इन्सट्रूमेंट किस तादाद में बेचे गये ?

श्री हुकुम सिंह—यह जवाब में दिया हुआ है ।

अध्यक्ष—जवाब में बेचने के बारे में नहीं दिया है।

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो रेडियो सेट बने हैं उनके पार्टस यहां बनते हैं या बाहर के पार्ट्स यहां लाकर असेम्बुल किये जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—पार्ट्स भी यहीं बने हैं।

श्री नवल किशोर—क्या यह सही है कि यह इन्सट्रूमेंट्स बाजार में पसन्द नहीं किये जाते ?

श्री हुकुम सिंह—नहीं।

श्री नवल किशोर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि यह जो बेचे गये हैं वह किस परसेंटेज के नफे से बेचे गये ?

श्री हुकुम सिंह—इसका भी हिसाब इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इस फैक्टरी में अपनी कोई निजी, यानी कारखाने की, वेल्डिंग मेशीन है ?

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि यह ४७ माइक्रासकोप बिना आपटिकल्स के क्यों पड़े हैं ?

श्री हुकुम सिंह—वह पड़े नहीं हैं, बल्कि जो आपटिकल पुर्जा है वह यहां नही बन है, उसको छोड़ कर बाकी तैयार हुये हैं।

*३०—**श्री नवल किशोर**—क्या यह सच है कि सरकार इस फ़ैक्टरी को बेचने की सोच रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं।

गोरखपुर में स्थित हैण्डीक्रैफ्ट की दुकान का तोड़ा जाना

*३१--श्री रामअवध सिंह (ज़िला गोरखपुर)--क्या यह सत्य है कि गोरखपुर में स्थित हैण्डीक्रैफ्ट की दुकान तोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां। बन्द करने का कारण यह था कि इस दूकान में बिक्री संतोषजनक नहीं हुई।

श्री रामअवध सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस समय दुकान तोड़ी गयी इसकी बिक्री प्रान्त की कुछ दुकानों से अधिक थी ?

श्री हुकुम सिंह--उसका कम्पैरेटिव टेबिल मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रामअवध सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि निकट भविष्य में वहां पर फ़िर हैण्डीक्रेफ्ट की आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह--जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसका जवाब भी मैं भविष्य में दूंगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी--बिक्री के बारे में जो कहा है कि सन्तोषजनक नहीं है तो उसकी महीने भर की तफ़सील क्या है ?

श्री हुकुम सिंह--इस वक्त यही तफ़सील बतला सकता हूं कि वहां पर काफ़ी बिक्री नहीं होती थी।

राज्य सचिवालय के अपर व लोअर ग्रेड में नियुक्ति के लिये प्रतियोगितात्मक परीक्षा का परिणाम

*३२--श्री रामकुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)--क्या सरकार जानती है कि लोक-सेवा-योग ने घोषित किया है कि सेक्रेटेरियट के अपर व लोअर डिवीजन के इम्तहान इस मास के अन्तिम सप्ताह में होंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--सेक्रेटेरियट के अपर व लोअर डिवीजन के इम्तहान जुलाई में हो चुके हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस इम्तहान का नतीजा निकल चुका है या नहीं और यदि नहीं निकला है तो कब तक निकलेगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इम्तहान का नतीजा जहां तक मुझे मालूम है अभी नहीं निकला है।

नेशनल मेटल एण्ड आइरन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड कम्पनी बरहज बाजार ज़िला देवरिया को लोहे का परमिट

*३३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरहज बाज़ार, ज़िला देवरिया में, नेशनल मेटल ऐण्ड आइरन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड नामक कोई कम्पनी सन् १९४९ से स्थापित है और उसे ४२२ टन लोहे की परमिट भी दी जा चुकी है ?

श्री हुकुम सिंह--(अ) जी हां।

(ब) इस सरकार द्वारा उक्त कम्पनी को लगभग ३६६ टन लोहे के परमिट दिये गये जिनमें से उसने लगभग २५० टन लोहा उठाया। बाकी के परमिट रद्द कर दिये गये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय उद्योग मंत्री जो बता सकते हैं कि उस २५० टन लोहे में से कितना किस काम में खर्च हुआ ?

श्री हुकुम सिंह---नहीं बता सकते ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या शेष लोहे की फ्री सेल के लिये कम्पनी के संचालकों ने सरकार के पास कोई अर्जी दी है ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या इस कम्पनी के संचालकों ने भूमि अक्वायर करने के लिये कोई दरख्वास्त दी है ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---वह जमीन अब तक क्यों नहीं एक्वायर की गयी ?

श्री हुकुम सिंह---मैंने ठाकुर गेंदा सिंह जी से कहा है कि इसे तय करा दो, वहां कुछ झगड़ा है ।

१९५०-५१ में केन सेस में छूट तथा उससे सरकार को आय

*३४---**श्री गेंदा सिंह**---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन सेस में सन् १९५०-५१ के सीजन में कितनी छूट प्रदेश के किस-किस मिल को दी गयी थी और कितनी रक़म सरकार को मिली थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---सन् १९५०-५१ के सीजन में प्रदेश के किसी मिल को केन सेस में छूट नहीं दी गयी थी और सन् १९५०-५१ के वित्तीय वर्ष में केन सेस से सरकार को १,७२,२४,९३३ रुपया प्राप्त हुआ था ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले ३ सीजनों में किस सीजन में ऐसी छूट नहीं दी गयी ?

श्री हुकुम सिंह---मुझसे गत सीजन का पूछा गया था, वही सामान मेरे पास है ।

श्री गेंदा सिंह---सरकार की जानकारी में कितना रुपया अब तक केन सेस से इकट्ठा हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह---यह तादाद मैंने जवाब में दे दी है ।

श्री गेंदा सिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक केन सेस से कितना रुपया सरकार को प्राप्त हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये ।

*३५---**श्री गौरीराम** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २७२ पर]

सरेनी, जिला रायबरेली, में १९४२ के गोलीकाण्ड में मरे व्यक्तियों के परिवारों को सहायता

*३६---**श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली में सन् १९४२ के सरेनी गोलीकांड में जो ५ आदमी थाने पर गोली से मारे गये थे उनके दीन बच्चों तथा औरतों को कोई सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––उन पांच आदमियों में से स्वर्गीय श्री कुरे सिंह की विधवा श्रीमती कौशल्या देवी को सरकार ने सन् १९४८ में १० वर्ष के लिये २० रुपया मासिक पेन्शन दी है । स्वर्गीय श्री राम शंकर दुबे की विधवा तथा स्व० श्री सुक्खू सिंह की माता के आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। स्वर्गीय सर्व श्री महादेव कुर्मी और औदान सिंह की विधवा अथवा बच्चों ने आर्थिक सहायता के लिये कोई प्रार्थनापत्र नहीं भेजे।

श्री गुप्तार सिंह––श्री रामशंकर द्विवेदी की विधवा और सुक्खू सिंह की मां ने किस सन् में प्रार्थना-पत्र दिये जो कि विचाराधीन हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––मैं समझता हूं कि उनको दिये हुये ज्यादा अर्सा नहीं हुआ है ।

*३७––**श्री गुप्तार सिंह**––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरेनी गोलीकांड के शहीदों के निर्धन वारिसों अथवा राजनैतिक पीड़ितों को जो अन्धे हो गये हैं और बहुत कष्ट में हैं सरकार कोई सहायता देगी ? अगर हां, तो कब और किस रूप में ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––प्रार्थना-पत्र आने पर सरकार उन पर विचार करेगी और जो सहायता के पात्र होंगे उनको उचित सहायता मिलेगी ।

*३८––**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)–[देखिये आगे पृष्ठ २७२ पर।]

किरबिल गांव जिला मिर्जापुर के आस-पास नरभक्षक जानवर द्वारा मनुष्यों की मृत्यु

*३९––**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)––क्या सरकार को विदित है कि मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में किरबिल गांव के आस पास नरभक्षक कोरी नामक जानवर ने चार माह के अन्दर लगभग तीन दर्जन आदमी खा लिये ? यदि हां, तो उसके मारने के लिये सरकार ने क्या प्रबंध किया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––जी हां । सरकार को रिपोर्ट मिली है कि दुद्धी तहसील में इस जानवर द्वारा पहुंचाई गयी चोट से ६ आदमी मरे हैं ।

इस जानवर को मारने का प्रयत्न किया जा रहा है । यह नरभक्षक घोषित कर दिया गया है और इसे मारने के लिये १०० रु० का इनाम रख दिया गया है । इस काम के लिये स्थानीय शिकारियों को बन्दूकें देने का भी प्रबंध किया जा रहा है । बरसात खत्म हो जाने के बाद इस जानवर को मारने के लिये सख्त कार्रवाई करने का विचार है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र––क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस नरभक्षक द्वारा मारे गये व्यक्तियों के नाम व पते बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––जी नहीं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र––क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गत अप्रैल माह में दुद्धी पधारे और तब उनके समक्ष उक्त नरभक्षक द्वारा मारे गये व्यक्तियों की बात कही गयी थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––जी हाँ ।

गवर्नमेंट डिमांस्ट्रेशन डाइंग एण्ड फ़िनिशिंग फ़ैक्टरी, मऊ को स्वीकृत धन तथा उस पर व्यय

*४०—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट डिमांस्ट्रेशन डाइंग ऐण्ड फ़िनिशिंग फ़ैक्टरी, मऊ, के लिये कितना रुपया स्वीकृत हुआ था और अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—गवर्नमेंट डिमांस्ट्रेशन डाइंग ऐण्ड फ़िनिशिंग फ़ैक्टरी, मऊ, के लिये सन् १९४८-४९ से लेकर १९५२-५३ (जुलाई मास तक) तक के लिये प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये स्वीकृत धन तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	स्वीकृत धन	व्यय
	रु०	रु०
१९४८-४९	१,८७,३००	१,०३,७०९
१९४९-५०	९७,१००	७६,९५३
१९५०-५१	७६,०००	७६,९७४
१९५१-५२	८६,६००	५५,४२९
१९५२-५३	३५,७५०	११,७०५
	जुलाई मास तक	
	४,८२,७५०	३,२४,७७०

श्री श्रीनाथ राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी मशीनें आई हैं, कितनी आने वाली हैं, और कब तक कार्य आरम्भ होने वाला है ?

श्री हुकुम सिंह—आई तो कई हैं, केवल ट्रेलर और बोयलर बाकी थे । वह जैसे ही आजायेंगे वैसे ही काम शुरू हो जायगा ।

श्री श्रीनाथ राम—इस फ़ैक्टरी के लिये अभ्यर्थी (मैनेजर) की मांग थी और वह मैनेजर बहुत दिनों तक नहीं आया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास अब कोई योग्य अभ्यर्थी की दरख्वास्त आयी है और वह व्यवस्थापक का कार्य कर रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

*४१—श्री श्रीनाथ राम—[११ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—[५ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४३—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—[५ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४४--श्री रमेश वर्मा--[२६ अगस्त, १९५२, को संख्या ६५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४५--श्री गुप्तार सिंह--[११ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*४६--श्री बलवन्त सिंह--[११ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

गुड़ उन्नति योजना के विस्तार को कम करने के लिए आदेश

*४७--श्री गेंदा सिंह--क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कोई आदेश गुड़ उन्नति योजना को समाप्त कर देने या उसे कम कर देने के लिये सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां। गुड़ उन्नति योजना के विस्तार को कम कर देने के विषय में आदेश दिया गया है लेकिन विशेष क्षेत्रों में यदि योजना को चलाने की आवश्यकता प्रतीत हुयी तो सरकार उस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी।

*४८--श्री गेंदा सिंह--यदि हां, तो जो कार्यकर्ता इस प्रकार बेरोजी के होंगे उन्हें कहीं खपाने की योजना सरकार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--इस योजना से छटनी किये हुये उपयुक्त व्यक्तियों को अन्य रिक्त स्थानों में रखने की यथासंभव कोशिश की जायगी।

पूर्वी जिलों में गुड़ योजना को सफल बनाने के लिए प्रयत्न

*४९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार ने पूर्वी जिलों में गुड़ उन्नति योजना को और व्यापक तथा कार्यशील बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--पूर्वी जिलों में आवश्यकतानुसार गुड उन्नति योजना केंद्र खोलने व उनके कार्यक्रम के प्रश्न पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है ।

श्री उमाशंकर--क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गुड़ उन्नति केंद्र खोलने का कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--बिना अनावश्यक विलम्ब के।

*५०--श्री उमाशंकर--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस वर्ष कितने उन्नतिशील कोल्हू तथा कढ़ाव किसानों के बीच तकावी तथा नक़द दाम पर वह वितरण करने जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इस समय इनकी सही-सही संख्या बताना कठिन है ।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पूर्वी जिलों में तकावी देने वाले कोल्हुओं, कढ़ाओं की क्या संख्या होगी ?

श्री हुकुम सिंह--यह तादाद किसानों की जरूरत और उपलब्ध धनराशि पर सीमित होगी।

राज्य सचिवालय में नये स्टेनोग्रैफ़रों की नियुक्तियां

*५१--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय कितने नये स्टेनोग्राफर, किस-किस मन्त्री, उप-मंत्री या सभा सचिव के यहां बाहर से बुला कर रक्खे गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––शिक्षा मंत्री, उप-मंत्री (गृह), उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, व खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य) के पास एक-एक नये स्टेनोग्राफ़र हैं।

*५२––**श्री राजनारायण**––क्या सरकार को पता है कि इन बाहर से नये रखे जाने वाले स्टेनोग्राफरों में कई ने सेक्रेटरीयेट का कोई इम्तहान पास नहीं किया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––यह लोग एक्स काडर (Ex-cadre) जगहों पर नियुक्त किये गये हैं। यह जगहें अस्थायी (Temporary) हैं। ऐसी जगहों के लिये किसी परीक्षा के पास करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण––क्या इन पदों पर टेस्ट एक्जामिनेशन के जरिये नियुक्ति होती है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––इस किस्म की टेम्पोरेरी जगहें हैं, बगैर टेस्ट के भी ऐसे लोग रखे जा सकते हैं।

श्री राजनारायण––क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जगहों पर जो पहले लोग रखे गये थे उन्हें हटाने की क्या आवश्यकता थी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––पहले कोई रखा ही नहीं गया था जो हटाया गया। नई जगहें थीं, नये आदमी रखे गये।

टिहरी-गढ़वाल में फ़ारेस्ट सेटलमेंट आफ़िसर के अधिकार

*५३––**श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला टेहरी-गढ़वाल)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टिहरी–गढ़वाल में फ़ारेस्ट सेटलमेंट आफ़िसर को क्या कार्य तथा अधिकार दिये गये हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––इंडियन फ़ारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई०, की धारा ६ से १६ और फ़ारेस्ट मैनुअल के अनुच्छेद १११ में दिये हुये कार्य तथा अधिकार उन्हें प्राप्त हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फ़ारेस्ट सेटिलमेंट का काम कब तक पूरा होगा?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––अभी तो एक ही डिवीजन में पूरी तौर पर फ़ारेस्ट डिमार्केशन हो रहा है और ज्यों ही संभव होगा दूसरे डिवीजन में किया जायगा उसके लिये समय ठीक से निश्चित कह देना उचित नहीं होगा।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फ़ारेस्ट सेटेलमेंट आफ़िसर की आज्ञा के खिलाफ अपील सुनने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––यह तो आपको मालूम होना चाहिये कि नियम बने हुये हैं; उनको देख लिया जाय कि उसमें क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया है।

श्री सत्यसिंह राणा––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस फ़ारेस्ट सेटिलमेंट के साथ-साथ वहां पर फ़ारेस्ट डिमार्केशन का काम भी शुरु होने वाला है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––मैंने बता ही दिया है कि एक डिवीजन में तो काम हो भी रहा है।

टिहरी-गढ़वाल में पंचायतों को सोयम जंगल की वापसी

*५४--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिहरी-गढ़वाल में सरकार पंचायतों को सोयम जंगल वापिस देने का विचार कर रही है या नहीं ? अगर हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अतएव प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विचाराधीन में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जितना संभव होगा शीघ्र ही किया जायगा ।

*५५-५६--**श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---[९ सितम्बर, १९५२ के लिये संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना

*५७--**श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्य को सरकार जिला गोरखपुर में कब और कहां-कहां लागू करने जा रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना गोरखपुर की दो तहसील महाराज गंज और सदर के २५७ गांवों में पटाट के चारों ओर लागू की जा रही है जो कि सम्भवतः इसी वर्ष अक्टूबर तक चालू हो जायेंगी।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि भटहा मुकाम पर पाइलट प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा है ?

श्री फूल सिंह---जी हां ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि दोनों योजनाओं को एकत्रित करने का क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह--जहां पर प्राजेक्ट चल रहे थे उन्हीं जगहों में योजना जारी की गई है और पाइलट प्राजेक्ट खत्म कर दिये गये हैं।

*५८--**श्री रमेश चन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---[१ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कौंसिल चेम्बर का प्रतिमास बिजली का व्यय

*५९--**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौंसिल चैम्बर का प्रतिमास बिजली का क्या खर्च पड़ रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अगस्त १९५१ से एक वर्ष का औसत खर्च कौंसिल हाउस का २,०४६ रूपया १० आना ९ पाई प्रति मास है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार इस खर्च में कुछ एकानामी करने पर विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––सरकार ने हिदायत जारी की है और अब भी इस बात की कोशिश कायम है, और बराबर रहेगी, कि जहां तक हो फिजूलखर्ची न हो।

बलिया जिले के सामूहिक दण्ड से प्राप्त धनराशि का व्यय

*६०––**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के कलेक्टिव फाइन (Collective fine) की कुल रकम अभी तक खर्च हो गई या नहीं ? यदि नहीं, तो कितनी रक़म अब तक बची है ?

श्री मंगला प्रसाद–जी नहीं, अब तक २,५०,३४४ रुपया बचा है जिसमें केवल ५२,६७० रुपया ५ आना ३ पाई के विषय में शासकीय आदेश नहीं गये। शेष के विषय में आदेश गये हैं पर वह धनराशि या तो जिनको लौटानी थी नहीं लौटाई जा सकी है या जिस कार्य के लिये दिये गये हैं उसमें नहीं लगाये गये हैं।

*६१––**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कलेक्टिव फाईन के इस बाकी रकम को किन कामों पर और किन लोगों के परामर्श से खर्च किया जावेगा ?

श्री मंगला प्रसाद––सामूहिक जुर्माने की शेष रकम ग्राम सुधार के कार्यों पर खर्च की जायेगी जैसे पंचायत घर, बीज गोदाम का बनवाना, ग्राम पंचायत में सुधार करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य हित, मलेरिया, चेचक व जानवरों के सुई लगवाने का प्रबंध, इत्यादि। इन कार्यों पर खर्च करने के लिये धन जिला नियोजन समिति के परामर्श से किया जायेगा।

*६२––**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या जिला एडवाइजरी कमेटी, बलिया, ने एक ६,००० रु० (नौ हजार रुपये) की रकम बांसडीह हायर सेकेंडरी स्कूल को देने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो वह रक़म अभी तक उस स्कूल को क्यों नहीं दी गई ?

श्री मंगला प्रसाद–जिला ऐडवाइजरी कमेटी तथा जिलाधीश बलिया ने हायर सेकेंडरी स्कूल बांसडीह को ६,००० रु० नहीं बल्कि ८,०६९ रु० हाई स्कूल बांसडीह को देने के लिये सिफारिश की थी। परन्तु जिलाधीश ने बाद में उस सिफारिश को रद्द कर दिया। इस कारण से वह रकम स्कूल को नहीं दी गई।

*६३––६५––**श्री देवमूर्ति राम** (जिला बनारस)––[४ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारी कार्यालयों के अस्थायी क्लर्क

*६६––**श्री तेज बहादुर** (जिला आजमगढ़)––क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सहकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले लिपिकों (कलर्कों) की, जिनकी नौकरी सरकार ने सरकारी आदेश (G. O. no 252--B/XII-B-34-50-of 19-6-51) द्वारा स्थायी घोषित कर दी है, गणना अभी तक रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, द्वारा अस्थायी ही की जाती है ?

श्री मंगला प्रसाद––जी हां।

* * *

प्लानिंग कमीशन की पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत गृह तथा ग्राम उद्योग योजनाओं का लागू होना

*१८––**श्री बेचनराम गुप्त** (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्लानिंग कमीशन के पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत गृह तथा ग्राम उद्योग के लिये जो योजनायें बनायी जा रही है वह इस प्रदेश में कब लागू होंगी ?

श्री हुकुम सिंह——प्लानिंग कमीशन की पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत गृह तथा ग्राम उद्योग की जो प्रादेशिक योजनायें बनाई गई हैं वह इस प्रदेश में प्रति वर्ष निश्चित कार्यक्रम के आधार पर लागू की जा रही हैं।

*१९——**श्री बेचनराम गुप्त** (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रथम पंच-वर्षीय (Draft outline) योजना में प्लानिंग कमीशन ने जो उद्योग धंधे ग्राम उद्योग उन्नति के लिये चुने हैं उनमें गुड़ तथा खंडसारी चीनी शामिल हैं ?

श्री हुकुम सिंह——जी हां, परन्तु खंडसारी का विशेष तौर पर कोई उल्लेख नहीं है।

*२०——**श्री बेचनराम गुप्त** (अनुपस्थित)——यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि गुड़ उद्योग के लिये प्लानिंग कमीशन के सुझाव के अनुसार वह क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह——प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट (Draft outline) के ११९ वें सफे पर कहा है कि गुड ग्रामवासियों की उन्नति के लिये एक अच्छा उद्योग है। इस योजना के अन्तर्गत नये तरह के कोल्हुओं, जिनसे अधिक गन्ना पेरा जाय, के लिये तकावी देने की सुविधा दी जायगी और आवश्यकतानुसार लोगों को उत्पादन की नवीन विधियों की शिक्षा का भी प्रबंध किया जायगा तथा गुड़ बनाने वालों की सहयोग समितियां भी बनाने का उद्योग पूर्ववत किया जायेगा।

* * *

गोरखपुर जिले की तहसील फरेंदा के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*३५——**श्री गौरीराम** (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के तहसील फरेंदा के किन किन राजनैतिक पीड़ितों को कौन कौन सी सुविधायें दी गई हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——संलग्न विवरण पत्र में आवश्यक सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ.....३३१.....पर।)

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

* * *

*३८——**श्री रामसुभग वर्मा** (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश के अन्दर कितने राजनैतिक पीड़ित हैं और इनमें से कितनों को खेत या रोजगार दिया गया है, कितनों को पेंशन दी जाती है और कितने ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं दिया जाता है और इसका क्या कारण है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——सरकार ने १५ अगस्त, सन् १९५२, तक ११९८ राजनीतिक पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, पेंशन या एकमुश्त रकम के रूप में दी है। ६७० राजनीतिक पीड़ितों को कोलोनाइजेशन स्कीम में खेती के लिये जमीनें दी गयी हैं। अन्य बातों का ब्योरा देना कठिन है। प्रदेश के कुल राजनीतिक पीड़ितों के बारे में सूचना इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा और कठिनाइयां होंगी।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ में राजकीय प्रेस, ऐशबाग़, की भूमि का प्रतिकर

१——**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना** (जिला इलाहाबाद)——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस जगह ऐशबाग राजकीय प्रेस चालू हुआ उसके लिये जगह के मालिकों ने क्या मुआविजा मांगा था ?

श्री हुकुम सिंह--ऐशबाग शुगर फैक्टरी के मालिकों ने कुल २२,३१,८७२ रुपय मुआविजे में मांगे थे ।

२--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करगी कि अन्त में उस जगह के लिये क्या मुआविजा दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह--जिलाधीश, लखनऊ, के एवार्ड (पंचाट) के अनुसार फैक्टरी के मालिकों को १०,७३,५६२ रुपये १५ आने मुआविजे में दिया गये है।

ऐशबाग़ प्रेस, लखनऊ, में ब्लाक बनाने की मशीनें

३--श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ब्लाक बनाने की मशीनें ऐशबाग प्रेस में मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या बाहरी लोगों से भी ब्लाक बनवाया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, ब्लाक बनाने का अतिरिक्त कार्य बाहरी लोगों को भी अभी तक देना पड़ता है।

४--श्री देवमूर्ति राम--[२ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राजकीय प्रेसों से सम्बन्धित विशेष विशेषज्ञ समिति का कार्य विषय

५--श्री देवमूर्ति राम--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो विशेष विशेषज्ञ समिति उन्होंने राजकीय प्रेसों के संबंध में बिठाई है उसके टर्म्स आफ रेफ्रेन्स (Terms of Reference) क्या हैं ?

६--क्या सरकार बतलायेगी कि इस समिति में कोई विशेषज्ञ ऐसा भी है जो राजकीय प्रेस का सप्लायर भी हो ?

श्री हुकुम सिंह--मांगी हुई सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ.....३३२-३३३.....पर।)

लखनऊ में हजरतगंज के दुकानदारों और विद्यार्थियों के झगड़े के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय की तरफ से आया हुआ है। यहां के हजरतगंज में विद्यार्थियों से और वहां के जो दुकानदार हैं उनमें जो झगड़ा हुआ था उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में विचार करने के लिये यह प्रस्ताव आया हुआ है।

मैं इसको जनता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता। दूसरी बात यह भी है कि यह प्रश्न विश्वविद्यालय की अंतरंग व्यवस्था से भी संबंधित है। इसलिये इस विवाद से आम जनता को लाभ होने की सम्भावना भी नहीं है।

ऐसी अवस्था में मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह यहां पेश हो।

प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने पर अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न लेने के संबंध में व्यवस्था

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न श्री रामसुभग वर्मा का लेने को कहा था। वह नहीं हुआ ?

अध्यक्ष —बात यह है कि समय न बचने पर बचे हुये प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। जो प्रश्न बाकी रह जाते हैं, नये नियमों के अनुसार उनका जवाब कार्यवाही में छाप दिया जाता है। लेकिन वे दोबारा फिर से कार्यवाही में नहीं आते हैं, जब तक कि दोबारा प्रश्न न किये जायं ।

*उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैंने कल उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) बिल इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया था ।

मैं उस बिल के महत्व के संबंध में संक्षेप में कुछ विचार यहां व्यक्त करना आवश्यक समझता हूं। उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की मियाद ३० सितम्बर, ५२ को समाप्त होने जा रही है और उसकी मियाद को ३० सितम्बर, ५४ तक बढ़ाना आवश्यक है।

अध्यक्ष—माननीय सभा सचिव जी के शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह तो इस सदन के माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि आज कल निवास स्थानों की बहुत अधिक कठिनाई है और उस कठिनाई को दूर करने के लिये एक इस प्रकार के अधिनियम की अत्यन्त आवश्यकता है।

१९४७ में यह अधिनियम स्वीकृत हुआ था और इस अधिनियम के अनुसार इस बीच में जो कार्य हुआ है वह महत्वपूर्ण है।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सन् ४९ में सिर्फ २७७ निवास स्थान इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत किये गये और १९५० में सिर्फ १०६ निवास स्थान इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुये।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय उपमंत्री जी पढ़ रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष—माननीय सभा सचिव जी अगर दूसरे माइक्रोफोन का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह ठीक काम नहीं कर रहा है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—मैं कह रहा था कि १९४९ में इस अधिनियम के अन्तर्गत २७७ निवास स्थान अधिकृत किये गये और १९५० में सिर्फ १०६ और १९५१ में सिर्फ ४९ निवास स्थान अधिकृत किये गये। सन् १९४७ में जिस समय यह अधिनियम बनाया गया था उस समय इस प्रदेश में निवास स्थानों की बहुत बड़ी कमी थी। सन् ४६ में ही इस प्रदेश में रिफ्यूजीज का आना प्रारम्भ हो गया था और उनके आने से इस प्रदेश में निवास स्थानों की बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गयी थी। इसलिये सन् ४६ में ही सरकार ने एक आर्डिनेंस (अध्यादेश) निकाल कर के निवास स्थानों की व्यवस्था की और जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वे सार्वजनिक कार्यों के लिये निवास स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं और उसके अनुसार

---

*१२ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं जिला अधिकारियों ने, निवास स्थानों को प्राप्त किया। आज भी वही स्थिति हमारे प्रदेश में मौजूद है। इसलिये इस अधिनियम की आवश्यकता है कि यह १९५४ के ३० सितम्बर तक इस प्रदेश में प्रचलित रहे और इस अधिनियम के मुताबिक जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे सार्वजनिक उपयोगों के लिये निवास स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। यह तो साफ जाहिर है कि सन् १९५० से और सन् ५१ के बीच जिन निवास स्थानों को हासिल किया गया है वे निवास स्थान इतन अधिक नहीं हैं जिससे जनता में किसी प्रकार की असुविधा या असंतोष हो। यह तो साफ जाहिर है कि इस अधिनियम के द्वारा इस बात का प्रयत्न किया गया है कि नागरिकों को और सरकारी कार्यकर्त्ताओं को और सरकारी विभाग के कार्यालयों को ऐसे स्थान प्राप्त करने पड़े हैं और साथ ही इस प्रदेश में जो शरणार्थी बाहर से आये हैं उनके बसाने की भी व्यवस्था की गयी है। सन् ५० में जब यह अधिनियम पहली बार संशोधन के लिये इस सदन में प्रस्तुत हुआ उस समय भवन के माननीय सदस्यों ने यह चाहा था कि इस अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू न किया जाय और विशेष परिस्थितियों में ही इसका उपयोग किया जाय। उसी के आधार पर सरकार की ओर से भवन के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि यह विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जायगा उसी उद्देश्य को लेकर और उसी आश्वासन के आधार पर सन् १९५१ में सिर्फ उन ४९ निवास स्थानों को ही प्राप्त किया जा सका है।

अतः मैं इस प्रस्तावना के साथ इस संशोधन विधेयक को भवन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि सरकार ने जब सन् १९४७ में इस बिल को पास कराया उस समय विशेष स्थिति इस प्रान्त में थी और रेफ्यूजीज (शरणार्थियों) के आने के कारण एक खास स्थिति पैदा हो गयी थी। उस समय उनको मकान दिलाने के लिये सरकार को ऐसे अधिकार मिलने चाहिये थे। अब श्रीमान् मैं यह देखता हूं कि करीब-करीब सब रिफ्यूजीज को जगहें मिल गयी हैं। मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया उसमें उन्होंने हम लोगों को यह नहीं बतलाया कि इस ऐक्ट के द्वारा कितनी इमारतें आपने लीं, रिफ्यूजीज के लिये कितनी इमारतें आपने लीं और सरकारी कर्मचारियों के लिये कितनी इमारतें लीं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि विशेष स्थिति में ऐसे कंट्रोल के बिल को आना चाहिये।

भवन के सदस्यों ने देखा है कि इसमें एक संशोधन सन् १९५१ में लाना पड़ा। पब्लिक के लोग जो बिल्डिंग बनाना चाहते थे या जो बिल्डिंग बना करके कुछ पैदा करना चाहते थे उन्होंने बिल्डिंग बनाना बिलकुल बन्द कर दिया था। इसलिये सन १९५१ ई० में सरकार को एक संशोधन लाना पड़ा कि जो बिल्डिंगें सन् १९५१ में या उसके बाद बनेंगी उन पर इस ऐक्ट का नियंत्रण लागू नहीं होगा। यह विशेष कारणों की वजह से बिल था। अब मैं समझता हूं कि रिफ्यूजीज अपनी अपनी जगह ठहरा दिये गये हैं। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके कारण इस बिल को दो साल के लिये बढ़ाया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सरकार यह कहती है कि मकानों की कमी है तो सरकार यह बतलाये कि सरकार की जो मकानों की स्कीमें हैं उन पर क्या अमल हुआ है। यह सरकार हमको नहीं बतलाती है कि मकान बनाने के लिये सरकार ने कौन कौन सी स्कीमें बनायी हैं, सेक्रेटेरियट के और दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार ने कितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं और कितना रुपया सरकार खर्च करना चाहती है। आप पब्लिक की चीज को लेना चाहते हैं लेकिन सरकार यह बतला दे कि उसने स्वयं कितना रुपया बिल्डिंगों पर खर्च किया है।

आप की स्कीम थी कि सरकार लखनऊ में सेक्रेटेरियट के लिये एक नया भवन बनायेगी, परन्तु वह अभी बन ही रहा है। जो आज मकानों की कमी है उसके लिये जब सरकार स्वयं कोई कोशिश नहीं करती है तो हमें इस बिल का विरोध करना पड़ता है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

यदि विशेष प्ररिस्थितियों के कारण या पब्लिक के फायदे के लिये यह बिल होता तो हम इसका विरोध नहीं करते। दो दो तीन तीन साल हो गये हैं लकिन सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। अगर हमको यह इत्मीनान हो जायगा कि सरकार की ओर से इसका प्रयत्न हो रहा है कि बिल्डिगें बनेंगी और सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रबन्ध किया जायगा तो एक साल का समय बढ़ाने के लिये जैसा मैंने अपने एक संशोधन में रखा है मैं तैयार हो जाऊंगा वर्ना मेरा यह विरोध है कि पब्लिक परपजेज (जन हित) के नाम पर ऐसी चीजों के लाने से कठिनाई होती है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने यहां आया हूं। जहां तक बिल के सिद्धांत का संबंध है मैं समझता हूं कि किसी भी लोकप्रिय सरकार को इस तरह के अख्तियारात से अपने को सम्पन्न रखना चाहिये। यह हो सकता है कि कोई वक्त हमारे लिये ऐसा आवे कि जिस समय हमको किसी की निजी सम्पत्ति को भी लेना पड़े। समाज के कल्याण के सामने निजी सम्पत्ति रखने के अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। जैसा कि सरकार ने उद्देश्य बतलाया है वह उद्देश्य बहुत पवित्र मालूम होता है। इसलिये कोई भी समाजवादी यह नहीं सोच सकता कि इस तरह का अख्तियार सरकार को न मिले। उसी के साथ-साथ मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज से कई वर्ष पहले सन् १९४७ में शरणार्थियों के आने की वजह से आवश्यकता इस बात की महसूस की थी कि मकान अधिकार में ले लेने का अख्तियार सरकार को होना चाहिये और ऐसा अख्तियार उसने हासिल किया। कई वर्ष बीच में गुजर गये और इतने वर्षों में न तो नये मकानात बनाने की कोशिश की गयी और न इस समस्या को हल करने की कोशिश की गयी। जो अभी माननीय अन्न मंत्री जी ने आंकड़े बतलाये वे आंकड़े ऐसे हैं कि कोई बहुत बड़ी तादाद में मकानात रेक्वीजीशन नहीं किये गये। इसलिये उन्हीं की इस दलील से मैं यह साबित करना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी आवश्यकता इसकी नहीं थी और अगर आवश्यकता थी तो सरकार अपने मकानात बनवा करके एक अप्रिय कार्य को अपने सर पर से हटा सकती थी। ऐसा कार्य सरकार ने नहीं किया। मुझे डर जरूर लगता है इस बात का कि जिलाधीशों को जो इतने लम्बे चौड़े अधिकार दिये जाते हैं उनका दुरुपयोग होता है।

संयोग से मुझे ज्यादा जगहों के बारे में तो नहीं लेकिन एक घटना मुझे याद आती है और वह अभी दो, तीन महीने पहले की बात है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उसमें अधिकार का दुरुपयोग ही ज्यादा किया गया। पडरौना में चन्दूलाल जी एक व्यापारी हैं। उनके मकान को ले लेने के लिये देवरिया के अधिकारियों ने जिस तरह से उनके ऊपर ज्यादती की है वह मैं समझता हूं, इस अधिकार का दुरुपयोग है। उनका मकान इस नाम पर लिया जाने लगा कि वहां की शुगर फैक्टरी में एक डाक्टर साहब मुलाजिम हैं। डाक्टर साहब की अच्छी प्रैक्टिस भी है। फैक्ट्री में इतने मकानात हैं जिनमें वह अपनी गुजर कर सकते हैं। जिस फैक्ट्री में वह मुलाजिम हैं, शुगर फैक्ट्री वह मकानात बनवाना चाहे तो आसानी से बन सकते हैं शहर से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है जिससे ईंट, चूना वगैरह की सप्लाई में भी कोई ऐसी दिक्कत खड़ी हो। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि चन्दूलाल जी से क्या ऐसी बात थी कि इस बहाने से उनके ऊपर ११७ का मुकद्दमा चलाया गया और ११७ का मुकद्दमा चला कर चन्दूलाल और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कराया गया। ११७ में इत्तफ़ाक़ से जो वारन्ट होता है वह बिला जमानत का होता है। मैं चन्दूलाल जी की और बातों को तो नहीं जानता कि वह किस तरह के आदमी हैं। लेकिन जहां तक इस कानून का संबंध है उसका दुरुपयोग हुआ है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इतने विस्तार में एक या दो मुक़द्दमों का जो जिक्र कर रहे हैं वह उसूलों से संबंधित नहीं है। इस बिल का जो उसूल है उसके ऊपर आज विचार हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, उसूलों का तो मैंने समर्थन किया था। उसूलों के पीछे जो एक घटना थी उसका मैंने जिक्र कर दिया। यों मैं अब भी यह समझता हूं कि सरकार को इस बात को सोचना चाहिये कि आगे जिलाधीशों को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को बहुत संयम से काम में लाया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुये इस कानून को बनाना चाहिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहले जब यह कानून बना था उस जमाने में भी जब कि हमारे राजा साहब इस सदन के सदस्य थे उन्होंने इस बिल का विरोध नहीं किया था। आज राजा साहब ने इस बिल का विरोध किया। लेकिन उन्होंने भी आधे दिल से विरोध किया। विरोध करते हुये उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार की आवश्यकता का ध्यान भी रखना होगा, समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ दुरुपयोग का सवाल है। हमारे और राजा साहब के बीच में फर्क इतना है कि हम बिल का समर्थन कर रहे हैं और वह विरोध कर रहे हैं। लेकिन अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार सदन को विश्वास दिलाये और आगे के लिये संयम रखे कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पायेगा, हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, आजकल मकानों की कमी के कारण जो घोर परिस्थिति हमारे सामने है उसे देखते हुये और सरकार की जरूरतों को देखते हुये और उसी के साथ साथ इस बिल के उद्देश्यों को देखते हुये मैं समझता हूं कि यह भवन इस बात की इजाजत दे कि यह बिल दो साल के लिये और लागू किया जाय। मैं अपने माननीय मित्र श्री वीरेन्द्र शाह के संशोधन का समर्थन करता लेकिन मैं इसके लिये मजबूर हूं। जो कुछ अभी मैं निवेदन करूंगा और जो कुछ आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा उसके लिये एक साल का समय कम है परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय वीरेन्द्र शाह ने ओरीजनल बिल का विरोध किया या नहीं लेकिन हम लोग हमेशा विरोध करेंगे यह जरूरी नहीं है। हां दो साल के बाद अगर कमी पूरी नहीं हुई तो मैं इसका घोर विरोध करूंगा।

श्रीमन्, सन् १९४७ ई० में रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) की समस्या हमारे राज्य के सामने आई। उसको सरकार ने किस तरह से संभाला यह सबको विदित ही है। लेकिन इसके साथ साथ मकानों की जो कमी थी वह सन् १९४५ से लेकर अब तक चली आ रही है। श्रीमन्, दो दो साल के बाद इस बिल की आय को बढ़ाना तो ठीक है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि बिल की आयु को बढ़ाते बढ़ाते सरकार यह भूल जाय कि सरकार को वह परिस्थिति लानी है इस देश में और प्रान्त में जब इस बिल की आवश्यकता न रह जाय। क्योंकि श्रीमान्, जितने रिफ्यूजीज आये हैं वह रहेंगे ही और उनके बच्चे भी पैदा होंगे ही। क्योंकि आजकल रोज सुनाई देता है कि यूनीवर्सिटीज और कालेजेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हर साल बढ़ते ही जाते हैं। देहात से अब कितने आदमी रोजगार करने के लिये यहां यानी शहरों में आने लगे हैं तो मकानों की कमी तो रहेगी ही यदि सरकार ध्यान नहीं देगी। मैं पूछता हूं श्रीमन् कि यह टेम्पोरेरी लेजिस-लेशन कब तक चलता रहेगा और कब तक हम उसकी आयु को बढ़ाते रहेंगे। एक जमाना था लड़ाई का जब कि सामान की बहुत ज्यादा कमी थी सचमुच कमी थी। परन्तु जनता को सरकार की इस बात पर विश्वास नहीं होता था क्योंकि श्रीमन सन् ४७ से मकानों की कमी चली आ रही है और मकानदार मकानों से निकाले जा रहे हैं। उस समय से आप देखते हैं कि कितने सिनेमा भवन केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि सारे प्रान्त में बने हैं। मैं समझता हूं कि श्रीमन् जिस समय लड़ाई की वजह से सामान की कमी थी, जनता को तकलीफ थी, रिफ्यूजी मकानों के लिये सरकार की ओर ताक रहे थे उस समय से सूबे भर में कितने सिनेमाघर बनते चले गये। मैं नहीं समझता कि सरकार ने क्या आवश्यकता देखी सिनेमा भवनों की ऐसे संकट काल मे, लखनऊ में ही कम से कम लड़ाई के बाद अब तक आधे दर्जन सिनेमा भवन बन गये होंगे। यही नहीं जहां पर पी० डब्ल्यू० डी० का काम होता है वहां हमको मालूम है कि कितना वेस्ट होता है। इसलिये जनता

[श्री सुरेश प्रकश सिंह]

यह मानने को तैयार नहीं कि सन् ५२ में अब सामान की इतनी कमी है कि सरकार एकमोडेशन (निवास स्थान) के मामले में ज्यादा तवज्जह नहीं दे सकती। मैं तो यह समझता हूं कि इस बिल की आयु को बढ़ाते रहना और इसका कोई प्रयत्न न करना कि परिस्थिति में सुधार किया जाय माननीय मंत्री जी को यह उचित न होगा कि वह इस भवन से कहें कि इसकी आयु दो, चार या ६ साल के लिये ज्यादा कर दी जाय ।

इसके अलावा, श्रीमन्, मैं अधिक न कह कर केवल दो शब्दों में अपने मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो जिक्र किया उस ओर भी निवेदन कर देना चाहता हूं .कि जनता को उससे संतोष नहीं है। मैं उन मामलों में नहीं जाऊंगा जो मुझे मालूम हैं जहां पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा ज्यादतियां हुई हैं लेकिन इतना मैं आपके द्वारा अवश्य माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जनता उनकी कंट्रोल की मशीनरी से बहुत संतुष्ट नहीं है और मैं आशा करता हूं कि इस दो साल के अन्दर सरकार इन दो चीजों पर अवश्य ध्यान देगी। एक तो यह कि उसका यह प्रयत्न होना चाहिये कि किसी न किसी तरह इस समस्या को सुधारा जाय न कि दूसरों के मकानों को लेने की नीति अपनाई जाय। आखिर कहां तक मकान लिये जायंगे। आपको मालूम है कि सरकार का यह भी सिद्धांत है कि आमदनी में जो अन्तर है उसको कम किया जाय और जब अन्तर कम होगा तो कोई मालदार आदमी जो पहले ४, ६ मकान बना कर किराये पर उठा दिया करता था जब उसकी आमदनी कम हो जायगी तो उसके पास रुपया कहां से आयेगा कि वह मकान बनवाये और फिर इसलिये बनाये कि जब माननीय गेंदा सिंह जी उस तरफ बैठें तो वे छिन जायं। मैं नहीं समझता कि आखिर ये मकान कहां से आयेंगे अगर सरकार स्वयं मकानात बनवाने का प्रयत्न नहीं करेगी।

दूसरी चीज, श्रीमन्, सरकार को इस दो साल में इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सरकारी मशीनरी द्वारा जो ज्यादतियां होती हैं जिनसे जनता को असंतोष है उसमें कुछ सुधार हो।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रशन्नता हुई कि कम से कम समाजवादी दल के माननीय सदस्य गेंदा सिंह ने इस बिल का समर्थन किया और उसके साथ साथ मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि संयुक्त दल के एक माननीय सदस्य ने बिल का विरोध किया और दूसरे माननीय सदस्य ने बिल का समर्थन किया।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——यहां पार्टी का कोड़ा नहीं है।

श्री व्रज विहारी मिश्र——मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल की कितनी आवश्यकता है हम लोग जो पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं, पश्चिमी जिलों का हाल तो मुझे नहीं मालूम, पूर्वी जिलों की हालत मालूम है और अपने जिले आजमगढ़ की बात बतलाता हूं कि वहां मकानों की इतनी दिक्कत है कि अगर यह कानून उठा लिया जाय तो कम से कम वहां बहुत से आफिसों को कोई स्थान न मिलेगा। सप्लाई विभाग की बहुत सी दूकानें हैं और आफिसेज हैं उनको तो इस कानून को अगर समाप्त कर दिया जाय तो कोई स्थान न मिलेगा।

संयुक्त दल के माननीय नेता ने यह भी कहा कि इस कानून की अवधि बढ़ाते रहना उचित न होगा और सरकार को जल्दी से जल्दी जिलों में मकानात बनवाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं उनकी तरफ भी आप ध्यान देते हैं। हम और आप जानते हैं कि लाखों, मुमकिन है करोड़ों रुपया सरकार को टेस्ट वर्क्स और दूसरे कामों में खर्च करना पड़ रहा है। हमारी अवश्यकता इतनी बढ़ रही है, हमारे प्रदेश पर दैवी प्रकोप से यह आपत्ति आ रही है

कि जिसके कारण इतना रुपया खर्च हो रहा है। इन परिस्थितियों के कारण क्या हम यह आशा करें कि सरकार इन कामों को छोड़ कर मकान बनाने में खर्च करे। मैं तो यह समझता हूं कि झोपड़ियों में रह कर हम अपना काम चला सकते हैं लेकिन रुपया बचा कर हमारे ऊपर जो आपत्ति आई है और जिसके लिये अत्यन्त रुपये की आवश्यकता है उनके ऊपर रुपया व्यय करें और मकानों पर रुपया व्यय न करें। अगर सरकार ने नये मकान बनाने के लिये रुपया व्यय नहीं किया है तो उसके लिये उस पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये। बहुत से मकान ऐसे हैं जैसा कि गेंदा सिंह जी ने बताया कि जिनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और वह मकान बेकार पड़े रहते थे। बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं वह बेकार रहती थीं तो उनके लेने का अधिकार सरकार को देना चाहिये। आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास करें और ऐसे छोटे छोटे बिलों पर बहस में इस भवन का समय बरबाद न करें।

श्री मथुरा प्रसाद (जिला फ़र्रुखाबाद)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है यह हमारे प्रदेश की जरूरत के लिये जरूरी मालूम पड़ता है परन्तु इस बिल में बहुत सी त्रुटियां भी ऐसी नहीं कि जिसकी वजह से हमारे प्रदेश पर बहुत बुरा असर पड़ा। जहां तक इन मकानों की बात है इस विधेयक के जरिये से जो मकान रिक्वीजीशंड (अधिगृहीत) किये गये हैं उनकी मरम्मत ठीक से नहीं होती रही है। आज भी वहां पर झगड़े पड़े हुये हैं कि उसकी मरम्मत कौन कराये। जो मालिक मकान हैं उनके मकान खाली नहीं होते हैं इसलिये वे मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जो उसमें रहते हैं उनसे उनके आपस में झगड़े भी चलते रहते हैं। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य जो वर्णन किया गया है वह भी पूरा नहीं होता है। बहुत से जिलों में इस प्रकार के मामले देखने में आये हैं किसी आदमी ने अपनी परिस्थिति खराब होने के कारण शहर में रहना छोड़ दिया और वह कुछ समय के लिये देहात में जाकर छोटा मोटा मकान लेकर रहने लगे। अब उसके बाद में फिर से अगर वह शहर में अपने मकान में रहने के लिये आते हैं तो उनके मकान में किरायेदार रहता है और वह इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। जहां तक हमारे फर्रुखाबाद जिले का सम्बन्ध है काफी ऐसे मामले हैं। विधवा और बच्चे जो अपनी परिस्थिति के कारण कुछ समय के लिये देहात में चले गये थे अब आकर शहर में रहने की सोचते हैं तो उनके मकान खाली नहीं मिलते हैं। किरायेदार उनमें रहते हैं और वह इधर उधर दूसरे के मकानों में ठहरे हुये हैं। तो इसके लिये यह जरूरी है कि कोई व्यवस्था इस बिल के अन्दर इस तरह की जरूर रखी जाय।

जहां तक इस बिल के उद्देश्य का प्रश्न है उसके लिये ऐसा होना चाहिये कि यदि किसी के पास एक मकान है और वह उसमें रहना चाहता है तो उसको खाली करा देना चाहिये। लेकिन जिले के अधिकारी इस पर अमल नहीं करते और उनको परेशान करते हैं। तो मैं सरकार से अवश्य निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो जिले में खामियां हैं और जिले के अधिकारी उन गरीबों की मांग पर उचित ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर अवश्य विचार किया जाय। इसकी वजह से गरीब जनता को कष्ट नहीं होना चाहिये। बस यह निवेदन करके मैं यह कहना बहुत मुनासिब समझता हूं कि इसमें जो खामियां हैं या जो नीचे के जिले के अधिकारी उस नीति को बरतने में खामी रखते हैं उनको दूर करने की अवश्य कोशिश की जाय।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय बीरेन्द्र शाह जी ने इस विधेयक का विरोध किया और यह कह कर विरोध किया कि इस बिल के अन्तर्गत जो अधिकार जिलाधीशों को मिले हैं वह बुरी तरह से बरते जा रहे हैं और उनसे लोगों को तकलीफ दी जाती है। इन पिछले २ वर्षों में अब तक सरकार के पास इस बिल के अन्तर्गत जो अधिकार मिले हैं उनके विषय में कोई शिकायत नहीं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आई है। न तो वीरेन्द्र शाह जी ने और न श्री गेंदा सिंह जी ने ही जिन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायत की थी कभी इसका जिक्र मंत्री से किया और न कभी सरकार के पास ऐसी बात लिख कर भेजी कि इस ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैं नहीं जानता कि दुरुपयोग की बातें आज कहां से पैदा हो गईं। २ वर्ष के अन्दर बजट भी पेश हुये और समय समय पर सिविल सप्लाईज के महकमे के बारे में बहुत सी चीजें यहां आईं, लेकिन कभी भी इन अधिकारों के दुरुपयोग की बात का कहीं जिक्र भी नहीं आया और जैसा कि मैंने अभी कहा सरकार के पास भी इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

सरकार की नीति क्या है इसका तो इन आंकड़ों से पता चलता है, जिनको मैं अब सदन के सामने उपस्थित करता हूं। सन् ४९ में सरकार ने २७७ मकान इस ऐक्ट के अन्तर्गत रिक्वीजिशन (अधिग्रहण) किये, सन् १९५० में १०६ और सन् १९५१ में केवल ४९ मकान ही रिक्वीजिशन किये गये। इन आंकड़ों से क्या यह पता नहीं चलता है कि सरकार, इस ऐक्ट के अन्तर्गत जो अधिकार उसे मिले हैं उन्हें ऐसे ही मामलों में बरतती है जहां उनका उपयोग अनिवार्य होता है? क्या इस सदन के माननीय सदस्यगण यह नहीं जानते हैं कि सरकारी काम और सरकारी महकमे कितने बढ़ते जाते है और इस सम्बन्ध में सरकार को समय समय पर कितने मकानों की आवश्यकता होती है? ऐसी सूरत में यदि हम इन अधिकारों के अन्तर्गत मकानों का रिक्वीजिशन करें तो क्या यह पाप होगा या यह इस बिल की धाराओं का दुर्व्यवहार होगा?

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि सरकार मेडिकल विभाग में जगह जगह पर अस्पताल खोल रही है और बहुत से स्थानों पर सैनीटोरियम बनाना चाहती है। ऐसी सूरत में यदि कोई इमारतें इस प्रकार की हों कि जिनमें यह अस्पताल या सैनीटोरिया खोले जा सकते हैं, तो यदि इस बिल की धाराओं का इस्तेमाल करके उनका रिक्वीजीशन करना क्या यह ऐसी बात होगी कि जिसके बारे में सदन के सदस्यों को कोई शिकायत का मौका हो?

मैं इन कारणों से कहना चाहता हूं कि आज भी सरकार का कोष सीमित है और साथ ही सरकार को अधिक मकानों की आवश्यकता भी है। सरकार अपना सारा रुपया इमारतों ही में खर्च नहीं कर सकती है। फिर भी सरकार ने तीन चार वर्ष में जितना धन इमारतों पर व्यय किया है उसका भी ज्ञान सदन के सदस्यों को है। जगह जगह पर शहरों में, जहां शरणार्थी बसाये गये हैं क्या वहां इमारतें नहीं बनायी गई हैं और क्या वह नई इमारतों में नहीं रखे गये हैं? क्या ये इमारतें सरकार के उद्योग से नहीं बनाई गई हैं?

इस वर्ष के बजट में भी आपने देखा होगा कि २५ लाख रुपया मिडिल क्लासेज के हाउसिंग के लिये और ७५ लाख रुपया इंडस्ट्रियल लेबर के मकान बनाने के लिये रखा गया है। पिछले साल भी मिडिल क्लासेज के मकान बनाने के लिये २० लाख रुपया रखा गया था। इसलिये यह शिकायत भी कि सरकार कुछ इन्तजाम नहीं कर रही है ऐसी शिकायत है जिसका कोई वजूद नहीं है। यह सत्य है कि जितने मकानों की जरूरत है उतने अभी सरकार नहीं बना पायी है और अभी वह बना भी नहीं सकेगी। हमें अपने प्रदेश की आमदनी को विभिन्न विभागों पर खर्च करना पड़ता है। यदि उन सीगों पर खर्च नहीं करते हैं, जिनमें हम संसार के देशों से पिछड़े हुये है तो हम वह तरक्की नहीं कर सकते हैं जो करना चाहते हैं और जिससे हम इस प्रदेश की जनता को सुख और समृद्धि के पथ पर ले जाना चाहते हैं।

इन कारणों से मैं वीरेन्द्र शाह जी के विरोध को नहीं समझ सका। मैं समझता हूं कि आज भी इस विधेयक की आवश्यकता है और यदि हम इसे परमानेंटली अपने स्टेट्यूट

बुक पर भी ले आवें तो जनता के हित के लिये ही यह होगा। आज बहुत सी इमारतें हमारे राजाओं और ताल्लुकदारों की पड़ी हुई हैं, जो किसी काम में नहीं आ रही हैं। वे उन्हें रिपेयर भी नहीं कराते। अतः वे रोजमर्रा बिगड़ती जाती हैं। लेकिन जब हम उनसे उन्हें मांगते हैं तो वे देते भी नहीं हैं। अगर हम उन इमारतों को रिक्वीज़ीशन करके वहां अस्पताल या सैनैटोरियम बनावें तो क्या इससे प्रदेश की जनता की सेवा नहीं होगी? इस बिल के अधिकारों का हमने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया।

अभी राजाओं ने यह बात कही कि आप इस बिल की धाराओं को बराबर लगाते जावेंगे। जब आज स्टेट तमाम चीजों पर अख्त्यार करती जा रही है तो वह समय भी आयेगा जब कि यह बिल मुस्तक़िल तौर से स्टैट्यूट बुक पर आ जायगा ताकि जब आवश्यकता पड़े तो जनता और राष्ट्र के हित के लिये किसी भी व्यक्ति या राजा की इमारत ले ली जा सके।

यह भी मैं बता दूंकि सरकार इस बिल की धाराओं का कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं करेगी जिससे किसी को जानबूझ कर तकलीफ हो। इस बिल की धाराओं को इस तरह से प्रयोग में लाया जायगा जिससे कम से कम लोगों को तकलीफ होगी और अनावश्यक तरीके से किसी मकान को नहीं लिया जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने कहा कि वे लोग बड़ी कोठियां इसलिये नहीं बनवा रहे हैं कि कहीं गेंदा सिंह जी उधर चले गये तो वे उन्हें छीन लेंगे और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक है। अब ऐश के लिये बड़े मकान नहीं बनाने चाहिये। छोटे मकान बनाये जावेंगे तो वही उचित होगा। ऐश का समय गया। जहां तक मकानों के एक्वायर (अधिग्रहण) करने का सवाल है, मैं आज सरकार से यह कहने का मौका ले रहा हूं, कि यदि वह एक्वायर करते समय बड़े बड़े मकानों को पहले एक्वायर करें, तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शहरों में इन दफ्तरों के लिये मकानों की कमी है, और सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिये मकानों की कमी है, जब कि उन्हीं शहरों में अनेक सिनेमाघर दिखाई पड़ते हैं सरकार इन बड़े बड़े सिनेमा घरों को लेकर छोटे छोटे लोगों को मकान दे दे। इन बड़े बड़े सिनेमा हाउसेज के कारण हमारे हजारों नौजवान अपनी रातें इनमें काट देते हैं अगर उनको बन्द कर दिया जायगा तो हम उनका जाना भी बन्द कर सकेंगे। इन सिनेमाघरों में हमारे दफ्तर रखे जायं या सरकारी अस्पताल जैसी चीजें बनाई जायं। ऐसे कामों के लिये इनको काम में लाया जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि छोटे छोटे मकानों को तो एक्वायर कर लिया जाय और बड़े बड़े मकानों को यों ही छोड़ दिया जाय। इस तरह की एक मिसाल माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने सरकार के सामने रखी कि एक बहुत छोटे मकान को ले लिया गया और वहां पर बहुत से बड़े बड़े मकान पड़े हुये हैं। श्री केदारनाथ की बड़ी बड़ी कोठियां बेकार पड़ी हुई हैं, राजा साहब पडरौना की कोठियां खाली पड़ी हुई हैं। सरकार को इन बड़ी बड़ी कोठियों को लेकर लोगों को बसाना चाहिये। और सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त के पहाड़ों पर बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जो खाली पड़ी हुई हैं। नैनीताल और रानीखेत में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जो बेकार पड़ी हुई हैं। अगर उनकी मरम्मत कुछ दिनों तक नहीं हुई तो वे थोड़े दिनों में खराब ही हो जायंगी। जब भारत के प्रधान मंत्री हमारे यहां आये तो शायद उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलवाया होगा कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिगों में वे दफ्तर रखे जा सकते हैं, जिनको लखनऊ में रहने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यानपूर्वक विचार करे। जब कि हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिगों के बनाने के लिये रुपया नहीं तो उन दफ्तरों को वहां भेज दिया जाय जिनकी लखनऊ में रहने की आवश्यकता नहीं है, ताकि जो वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनकी मरम्मत भी हो सके और दफ्तरों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। मालूम हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पी० डब्लू० डी० आदि के दफ्तरों को शिमला और मंसूरी आदि स्थानों में ले जा रही है। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जगहों पर जो बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स हैं उनमें दफ्तरों को रखें। मैं समझता हूं कि इसमें लोगों का भला भी होगा और वे मकानात भी इस्तेमाल में आ सकेंगे तथा सरकार को भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बनाने की आवश्यकता न होगी। जब माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अस्पतालों और स्कूलों को रखा जायगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर सरकार इस बात के लिये तैयार हो गई तो मेरा तो ख्याल है कि लोग इस भले कार्य के लिये अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देने के लिये तैयार हो जायेंगे। जब यह बिल बहस के लिये हमारे सामने लाया गया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें अपने दृष्टिकोण को सरकार के सामने रखने का मौका तो मिलेगा तथा हमें आशा है कि सरकार हमारे विचारों पर ध्यान देगी और यदि उनमें कुछ अच्छे सुझाव हों तो वह अवश्य ही मान लेगी और उन सुझावों को इस्तेमाल किया जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं है। जो भाषण या तकरीरें अब तक हुई हैं उनसे तो करीब करीब सभी की यह राय मालूम होती है कि इस किस्म के बिल की इस वक्त जरूरत है। जहां तक यह बात कि बिल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। इस का दुरुपयोग हुआ है या नहीं इस विषय में मतभेद हो सकता है।

श्री गैंदा सिंह ने कई एक उदाहरण दिये। उसके बारे में चूंकि पहिले से कोई बात मालूम नहीं थी, कोई जानकारी न होने से भी उसमें कोई उपाय किया जा सकता तो नहीं किया जा सका। परन्तु जो उन्होंने कहा उससे मालूम था कि जिनका मकान लिया गया है वे खुद धनी आदमी हैं, कोई ग़रीब आदमी नहीं हैं। इसमें कोई ग़रीब और धनी का तो सवाल नहीं आता लेकिन उन्होंने कहा कि वे धनवान आदमी हैं। और बातों से चाहे वे सहमत हों या न हों, इसका अर्थ चाहे जैसा भी वे चाहें लगा सकते हैं लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है वे समझते हैं कि इसका ठीक उपयोग नहीं हुआ। मगर कोई भी, कैसा ही आदमी हो उसके साथ न्याय होना चाहिये कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिये। अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है, कोई भी करे तो वह उचित बात नहीं करता और उसको हम कम से कम उचित नहीं समझ सकते हैं। इसलिये जहां तक इसके प्रयोग की बात है वह तो ठीक तरह से होना चाहिये और इस बात का कोई भी अवसर न निकालना चाहिये जिसमें उचित रूप से किसी को आपत्ति हो सके। परन्तु जैसा कि खाद्य मंत्री जी ने बतलाया बहुत थोड़े से मकान उसके मुताबिक लिये गये हैं। तो बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने की सम्भावना हो ही नहीं सकती है। और अगर कोई भी न लिया जाय तब तो फिर इस विधेयक का बनाना ही एक तरह से व्यर्थ हो जाता है।

जहां तक इसके मौलिक सिद्धान्त का ताल्लुक है सभी एकमत हैं कि जहां तक इसके प्रयोग करने की नीति से सम्बन्ध है उसमें भी हम सब एकमत हैं। इसलिये इसके बारे में कोई मतभेद की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सब कोई जानते हैं कि शहरों और कस्बों में मकानों की बहुत कमी है और ऐसी जरूरतें होती हैं और हो सकती हैं जब कि बग़ैर किसी ऐसे कानून के सहारा के काम नहीं चल सकता है। इसलिये ऐसी अवस्था के लिये ऐसे कानून का होना जरूरी है।

कुछ यहां कहा गया कि शरणार्थियों के लिये मकानात बनाय नहीं गये हैं। उसके बारे में मैं कुछ बतला देना चाहता हूं कि क्या किया गया है। इस समय तक सरकार ने यहां कोई साढ़े ८ हजार मकान और २ हजार दूकानें शरणार्थियों के लिये बनवायीं हैं। जिसमें सवा २ करोड़ के करीब खर्च हुआ है। इस साल के लिये २,८०० मकान और ५ सौ दूकानें बनवाने का प्रोग्राम है। जिसमें एक करोड़ खर्चे की रकम रखी गयी है। इसी तरह से शरणार्थी कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये ७६० मकान बनवाये गये हैं जिसके लिये उनको १९ लाख रुपये का कर्जा दिया गया है। लोकल बाडीज (स्थानीय निकाय) के जरिये जैसे लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड है या और हैं १,८१७ मकान और १,६०० दूकानें बनवायी गयी हैं। जिनके लिये ९२ लाख रुपया कर्जा दिया गया है। मोदीनगर कालोनी में १,२०० मकान और १९ कारखाने बनाये गये हैं और १०० दूकानें बनायी गयी हैं जिनके लिये ३० लाख रुपया कर्जा दिया गया है। हस्तिनापुर में २०० मकान बनवाये गये हैं। इस तरह से करीब करीब १२ या साढ़े १२ हजार मकान और ५ हजार के करीब दूकानें बनी हैं। और पौने ४ करोड़ के करीब खर्च हुआ है। और इस साल के लिये करीब २,८०० मकान और ५०० दूकानों के लिये करीब एक करोड़ रुपये का तखमीना किया गया है।

इस तरह से सदन को मालूम होगा कि शरणार्थियों के लिये मकान बनाने में सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई और उन्हें यथासंभव जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की गयी। तो मैं बड़े विनय के साथ कहूंगा कि जिस तरह से शरणार्थियों की सेवा करने के लिये यह काम किया गया है हमारे प्रदेश में और जिस तरह से किया गया है सारे प्रदेश भर में वह मैंने बतला दिया। पहले हमने शुरू में यह किया कि किस किस जगह पर उनके लिये रोजगार ठीक हो सकता है उसे देख कर फिर किन किन जगहों पर उनके लिये मकान और दूकानें बनानी चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रख कर एक प्लान और प्रोग्राम बना कर हमने इस काम को किया है। इसलिये उसके लिये कोई असन्तोष सदन में नहीं होना चाहिये। दूसरी बात मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि जहां तक सिनेमा का ताल्लुक है शायद सदन को मालूम होगा कि हमने आने के चन्द अरसे के बाद ही यह हिदायत कर दी थी कि कोई सिनेमा के लिये किसी तरह से सरकार जिन चीजों पर नियंत्रण रखती है न दी जायं और न सिनेमा बनाने की इजाजत दी जाय। जहां तक कानून इसकी इजाजत देता हो। मैं समझता हूं कि कोई नया सिनेमा लखनऊ में जो कहा गया है वह नहीं बना और न और जगहों में बने हैं लेकिन फिर भी बाज चीजें होती हैं जैसे सीमेंट खुले बाजार में भी बिकता है बाज उनको ज्यादा कीमत देकर भी खरीद सकते हैं, बाहर से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं तो इस तरह से बाज लोगों ने अपने लिये बनाये हैं मगर इधर उनके बनाने की बात नहीं हुई जब से हम लोगों के हाथ में इन्तिजाम आया है वह बहुत कम हो गये हैं और वह करीब करीब खत्म हो गये हैं और जो बने हुये सिनेमा थे वह भी काफी मुद्दत के लिये बन्द पड़े रहे चूंकि हमने उसमें काम होने की इजाजत नहीं दी।

हमारी तरफ से यह भी हिदायत है कि जो कंट्रोल्ड आर्टिकल हैं १० हजार से ऊपर की कीमत के मकानों के लिये न दिये जायं ताकि जो मकान बने वह इस तरह के बने जिसमें साधारण मिडिल क्लास के लोग रह सकें। इसलिये हमने जो भी किया है वह तो यही है कि जो साधारण लोग हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा तादाद में जितने मकान बन सकें वह बनाये जायं। हमने अपनी तरफ से कुछ सिविल पापुलेशन के लिये भी, नागरिकों के लिये भी मकानों को बनाने और बनवाने की कोशिश की है। यहां लखनऊ में ही आपने देखा होगा कि रेजीडेंसी और स्टेशन के सामने बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाये गये हैं। वे भी हमारी ही प्रेरणा से बनाये गये हैं। इस तरह से

[श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

अब की भी हमने करीब २५ लाख रुपया जहां तक मुझे याद है उन मकानों के लिये बनाने के लिये रखे हैं और १५ लाख रुपया लेबर के हाउसिंग के लिये रखा है और करीब ४० लाख रुपये इसके अलावा हमने शुगर लेबर के हाउसिंग के लिये भी रखा हुआ है जिसमें काफी मकान अब तक बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं। हम यथा सम्भव मकानों की तादाद को बढ़ा कर लोगों की तकलीफों को इस सिलसिले में कम करना चाहते हैं। मगर इसमें जनता का भी सहयोग आवश्यक है। जब तक लोग खुद मकानों को न बनवायें कोई भी सरकार इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती।

इसके अलावा हमें तो जरूरत इस बात की ऐसी आ पड़ती है जैसा आप देख रहे हैं कि करीब ४ करोड़ रुपये इधर अन्न के कष्ट के कारण खर्च हो गये और प्रोग्राम भी हमारे बहुत बड़े हैं और हमारे साधन भी सीमित हैं। हमें सीमेंट या लोहा वग़ैरह एक महदूद मिकदार में ही मिल सकता है अगर पैसा कहीं से आ भी जाय तब भी कहीं से जब तक सीमेंट न मिल जाय तब तक मकान बनाने में दिक्कत हो सकती है परन्तु मैं चाहता हूं कि जितने भी अधिक से अधिक संख्या में मकान बन जायं वह बनाये जायं।

मदन मोहन जी ने पहाड़ों के खाली मकानों का जिक्र किया। मैं भी समझता हूं कि अगर इन मकानों का उपयोग हो सके तो जरूर करना चाहिये परन्तु कोई तरीका अब तक हमें ऐसा ठीक नहीं सूझा जिससे हम उनका उपयोग कर सकें और अगर कोई सुझाव इस सम्बन्ध में हमें दिये जायेंगे तो सरकार उन पर गौर करने के लिये तैयार है। मैं चाहता हूं कि हर जगह लोगों की तकलीफें जिस हद तक हम कम से कम कर सकें उन्हें करें।

कुछ बात यह भी कही गयी कि जो सिनेमा के मकान हैं उनको लेकर अस्पतालों या कालेजों के काम में लगाये जायं मगर वे मकान इतने बेहूदा बने होते हैं कि उन्हें आप अच्छे काम में ले नहीं सकते। और वह अच्छे काम के लिये बने हुए भी नहीं होते और अच्छे काम में लाने के लायक भी नहीं होते। हमने कोशिश भी दो एक मर्तबा की उनको रिक्विजिशन (अधिग्रहण) करने के लिए लेकिन जिस काम में लाने की कोशिश की वही काम उन के जरिये से बिगड़ा, बना नहीं। वह इस किस्म के मकान होते हैं जो कि, अंधेरे में ही कोई काम हो उसी में काम आ सकते हैं और तरह से काम में आ नहीं सकते। इसलिये हमारी ख्वाहिश होते हुये भी हम उनका उपयोग नहीं कर सके।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को मंजूर करके इस बिल को स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्विजिशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट, २५, १९४७ की धारा १ में संशोधन।

समय समय पर संशोधित यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीज़िशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५४" रख दी जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव भवन के सामन पेश करना चाहता हूं–

खंड २ की अंतिम पंक्ति में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५३" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मैंने मुख्य मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। मुझे यह संतोष है कि जो अन्न मंत्री जी ने पहले इस भवन में यह नहीं बतलाया कि शरणार्थियों के लिये इस तरह से सरकार ने मकान बनवाये। शरणार्थियों के लिये सरकार ने जो काम किया है वह सराहनीय है।

मैंने इस प्रस्ताव को इसलिये पेश किया है कि मैं यह समझता हूं और जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि सरकार ने दो साल पहले जो मकान लिये वह इतने कम तादाद में थे कि धीरे धीरे उन की आवश्यकता कम पड़ती जायगी। इसलिये अगर इसकी मियाद एक साल कर दी जाय तो बेजा नहीं होगा।

इसके अलावा जो मंत्री जी ने यह कहा कि कोई शिकायतें नहीं आयीं तो यहां इसी भवन में कांग्रेस के सदस्य ने खड़े हो कर कहा कि तकलीफ होती है। कोई तकलीफ हुई होगी तभी उन्होंने कहा। इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो उनके सामने मैं शिकायतें रख सकता हूं। हम को भी मालूम है, गेंदा सिंह जी को भी मालूम है, और दूसरों को भी मालूम है। लेकिन चूंकि पब्लिक परपज (सार्वजनिक उद्देश्य) के लिये विधेयक बना था इसलिये लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि उन व्यक्तिगत शिकायतों को ज्यादा अहमियत दी जाय। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बतला सकता हूं। श्रीमन, मैं स्वयं अपनी जानकारी रखता हूं। एक साहब के विरुद्ध सिर्फ इसलिये कि उन्होंने एक प्रमुख आदमी की मरजी के अनुसार उस बिल्डिग में दो एक दिन के लिये बारात ठहरा ली। उसके बाद अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मकान में बारात ठहरी हुई थी। दूसरे दिन उन का मकान रिक्विजीशन हो गया। मैं उनका यहां नाम नहीं लेना चाहता, प्रमुख आदमी थे, जिन की राय से, जिनके कहने पर बारात ठहरायी गयी थी, मैं यह कहता हूं कि इस तरीके से लोगों को परेशान न किया जाय और इसी भय से मैंने इसका विरोध किया था और मैं जानता हूं कि प्रांत की और इस देश की जो गरीबी है और जिस की वजह से हमको पब्लिक परपजेज के लाने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि बहुत से राजाओं महाराजाओं की इमारतें पड़ी हुई हैं। खुशी से उनको लेना चाहिये, लेकिन इसका ध्यान र कि उनकी सारी जायदाद तो ले ली, जमींदारी उनकी खत्म हो चुकी, अब तो वह उन्हीं मकानों में आकर रहेंगे। यह नहीं कि वह गांवों में ही रहेंगे। यहां उनके रहने के मकान हैं, जो जहां रहना चाहता है उसकी सुविधा को देखते हुये अगर आप कोई चीज लेंगे तो किसी को कोई इनकार नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसलिये लेना कि लोगों को परेशान किया जाय, जैसा कि हम लोगों को भय है तो....

अध्यक्ष––माननीय सदस्य संशोधन पर नजर रखें। क्या वह चाहत हैं कि साल भर के अंदर ले लें वह?

राजा वीरेन्द्र शाह––साल भर के लिये मैं इस बिल की आवश्यकता समझता हूं और साल भर के बाद मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता दूर हो जायगी। अगर सरकार इसको फिर आवश्यकता समझे तो फिर इस भवन में बिल ला सकती है। बैठक तो इस सदन की ५ वर्ष तक होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जो संशोधन श्री वीरेन्द्र शाह जी न पेश किया है वह मुझ स्वीकार नहीं है। मैं उन सब कारणों को व्यक्त कर चुका हूं जिन कारणों से २ वर्ष के लिये इस विधेयक को और लागू होना चाहिये। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बताया कि सरकार की ओर से शरणार्थियों के लिये मकान बनाये गये हैं किन्तु उनके बन जाने के बाद भी हमें शरणार्थियों के लिये मकानों की आवश्यकता पड़ जाती है। सरकारी विभागों, अस्पतालों और स्कूलों के लिये भी आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी अवस्थाओं में और साथ ही जब हम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

यह जानते हैं कि सरकार ने इस विधेयक की धाराओं का कोई दुरुपयोग नहीं किया है, तो कोई वजह नहीं कि यह विधेयक अगले दो सालों के लिये क्यों न लागू हो और उसकी इजाजत सदन से न मिले। मुझे इन कारणों से वीरेन्द्र शाह जी का संशोधन स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष---आप वापस लेना चाहते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---नहीं, श्रीमन्।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५३" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष----प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है और उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ तक जारी रखना आवश्यक है;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश सम्पत्ति को हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

सन् १९४८ ई० में काफी भीषण बाढ़ हमारे प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आयी थी। बहुत से गांव उसमें बह गये थे और लोग-बाग बे घर के रह गये थे। तो ऐसे गांवों को बसाने के लिये कि

*२० अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

जिन गांवों की आबादी भी बह गयी थी या पानी के अन्दर आ गयी थी जरूरत थी इस बात की कि उनको उस पहली जगह से अलाहदा बसाया जाय और हो सके तो ऐसी जगह बसाया जाय जो पहली जगह से दूर हो और बाढ़ के खतरे से सुरक्षित हो। एक उद्देश्य यह भी था कि जो अजसरे नौ गांव बसाये जायं, वे किसी योजना के अन्तर्गत बसाये जायं और जो उनमें मकान या गलियां बनायी जायं उनका एक प्लांड सिस्टम (नियोजित प्रणाली) हो। इस उद्देश्य से सन् १९४८ में एक कानून बनाया गया था कि गवर्नमेंट चाहे तो फौरन जमीन को रिक्वीजीशन कर ले और उसपर फौरन ऐसे गांवों को बसा दे और कहीं आवश्यक समझे तो बिल्डिंग मैटीरियल यानी मकान बनाने का सामान भी जिन के पास हो उनसे ले ले और बाद में उनको कम्पेंसेशन (प्रतिकर) दे दे। वह कानून अब दिसम्बर, सन् १९५२ में खत्म होने वाला है। वह टेम्पोरेरी ऐक्ट (अस्थायी अधिनियम) था।

अब यह जो बिल पेश किया गया है इस उद्देश्य से पेश किया गया है कि इस कानून में ऐसा संशोधन कर दिया जाय कि वह आर्जी कानून न रहे बल्कि मुस्तकिल कानून हो जाय क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहां बाढ़ आती ही रहती है। दो साल में, ५ साल में, १० साल में या २० साल में तो बाढ़ हमारे यहां आ ही जाती है। अगर इस ऐक्ट को जिन्दगी दो चार साल के लिये बढ़ा दें तो इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। मान लीजिये कि हमने तीन साल की अवधि बढ़ा दी और तीन साल बाद नहीं आयी बल्कि चौथे साल आयी, तो फिर कानून बनाना पड़ेगा। इसके अलावा यह एक बहुत छोटा सा कानून है और लोगों के सुख, आराम और फायदे के लिये है और किसी को इससे कोई खास नुकसान पहुंचता नहीं है। तो गवर्नमेंट की मंशा यह है कि इस कानून को मुस्तकिल कर दिया जाय और इसी लिये इसमें अलफाज "टेम्पोरेरी पावर्स" निकाल दिये गये हैं और सन् १९४८ वगैरा जो अवधि उसमें दी गयी है वह सब निकाल दी गयी है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई वादविवाद नहीं है, कंट्रोवर्शियल यह मामला नहीं है यह इससे भी जाहिर है कि किसी भाई ने कोई संशोधन नहीं भेजा है। मैं इन शब्दों के साथ सदन से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुरेश प्रकाश सिंह, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम ९६ के अनुसार माननीय माल मंत्री जी से आधुनिक ग्राम योजना का नक्शा मांगना चाहता हूं कि वह कौन सी योजना होगी जो बिल के उद्देश्य और कारण में लिखी गयी है।

श्री चरण सिंह---इस तरह की योजना वगैरह रखने की इस रूल में तो कोई बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---नियम ९६ में है।

श्री चरण सिंह---नियम ९६ में लफ्ज 'पेपर्स' हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो स्कीम उसके अन्दर होगी, जिस तरह से लोग बसाये जायेंगे, वह यहां रखी जाय। उसमें यह लिखा हुआ है :---

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

[श्री चरण सिंह]

यह हिन्दी में इस प्रकार है--

"जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों को प्रतियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।"

यह तो बाढ़ जो आती है और बाढ़ से जो लोगों को तकलीफ होती है गांव बह जाते हैं उनको बसाने के लिये जमीन की जरूरत है। इसके लिये किन्हीं पेपर्स की जरूरत नहीं है और न किन्ही पेपर्स के ऊपर यह बिल आधारित है।

अधिष्ठाता---मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से इत्तिफ़ाक़ करता हूं कि अभी इसका तो मोशन भी नहीं हुआ है। दूसरी बात माननीय राजस्व मंत्री कह चुके हैं कि इसके मुताल्लिक़ कोई खास पेपर्स नहीं है। इसलिये सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। माननीय राजस्व मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय, विचार जारी रहेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी को इस बाढ़ सहायक (संशोधन) विधेयक, १९५२, को लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में सन् १९४८ में जो युनाइटेड प्राविन्सेज़ एक्वीज़ीशन आफ़ प्रापरटी (फ्लड रेलीफ) टेम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट पास किया गया था वह कुछ ही समय के लिये था और यह कहा गया था कि दिसम्बर, १९५२ तक ही इसका कार्य रहेगा और तत्पश्चात् यह समाप्त हो जायगा जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है कि भविष्य में भी इस बात का खतरा है कि प्रदेश में बाढ़ों की सम्भावना बनी रहे। कोई भी यह नहीं चाहता कि बाढ़ें आयें और हमारे प्रदेश की जनता को और गांवों को और काश्तकारों को तकलीफें हों। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, प्रकृति का संयोग है कि बाढ़ें आ ही जाती हैं, तो इसके लिये यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन इसमें एक तो कुछ जिलों के नाम जो कि होने चाहिये थे वे नहीं हैं। वैसे तो लिख दिया गया है और यह कहा भी गया है कि यह कहीं भी किसी एरिया में 'एक्सटेंड' (प्रसार) किया जा सकता है लेकिन यह 'एक्सटेंड' तभी किया जा सकता है जब कि वहां बाढ़ से नुकसान हो जाय। तो प्रिवेंटिव मेजर्स (रोक थाम के काम) उन जिलों में नहीं लिये जा सकते हैं जिनका नाम इसमें नहीं है।

मिसाल के लिये मैं यह कह दूं कि आगरा के बारे में आज ही हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि पिछले तीन चार दिनों से आगरा जिले में बड़ी तबाही हुई है। एक गांव डूबने के बारे में तो आज ही हमने अखबार में पढ़ा है। लेकिन इस विधेयक में मुझे आगरा, मथुरा का नाम नज़र नहीं आता। वैसे यह 'एक्सटेंड' तो हो सकता है लेकिन कम से कम ऐसे जिलों का नाम तो होता जहां पर माननीय मंत्री जी, यह सरकार और इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर बाढ़ से नुकसान हो जाया करता है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज कर दूं कि बाढ़ों की शुरुआत होती कहां से है। यह होती है आमतौर पर पहाड़ों से जहां तीन-तीन, चार-चार दिन तक लगातार बहुत ज्यादा वर्षा होती है और उसके बाद वह सब पानी बह कर आता है और मैदान में बाढ़ों के रूप में बदल जाता तो यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि पहाड़ों में कितना नुक्सान होता है और इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा याद दिलाता हूं, जब कि गांव वाले पिछले साल सनपुली कांड हुआ था उसमें तमाम गाड़ियां, बसेज, ड्राइवर्स और क्लीनर्स वगैरा बह गये थे। ऐसे ही गगास व कोशियां घाटियों में भी कितना नुक्सान हुआ था। वहां पर एक बड़ी भारी प्राब्लम (समस्या) स्वायल इरोजन (जमीन के कटाव) की भी है। अगर जरा सा ख्याल किया जाय इसको रोकने की और मिट्टी वगैरा को बहने की व्यवस्था होती रहे तो बाढ़ के रोकने में काफी कामयाबी हो सकती है।

वन महोत्सव मनाया जाता है। सड़कों के किनारे पेड़ लगाये जाते हैं या पार्क के चारों तरफ पेड़ लगाये जाते हैं, लेकिन हमारे यहां इसका पहाड़ों में कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि नदियों के किनारे या जो रिवुलेटस होती हैं उनके किनारे पर पेड़ लगवाये जायं ताकि यह 'स्वायल इरोजन' रुक सके। बड़े बड़े इंजीनियर्स ने और जो बाढ़ के जानकार यानी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने और अमरीका तथा यूरप के तमाम मुल्क के इन विद्वानों ने भी कहा है कि जब पहाड़ों पर से रोड़े, मिट्टी तथा पत्थर वगैरा बहकर नीचे मैदान में आते हैं तो उनसे जमीन की सतह ऊंची होती जाती है और जैसे जैसे रोड़े, मिट्टी और पत्थर वगैरा इकठ्ठा होकर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही सतह ऊंची होती जाती है और बाढ़ ज्यादा नुक्सान पहुंचाती है। ज्यादातर जब बाढ़ आती है तो पानी का फैलाव बढ़ जाता है। इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि पहाड़ों में नदियों के किनारे जो स्वायल इरोजन होता है उसको रोकने के लिये पेड़ लगवाये जायं।

हमारे जिले में एक खास मिसाल है। मलुआताल एक जगह है। वहां की करीबन सारी बस्ती स्वायल इरोजन की वजह से खत्म हो गई। हजारों टन रेत मिट्टी और चट्टानें पिस पिस कर वहां आती हैं जिससे नदी की सतह मैदानों में ऊपर उठती चली जाती है। अगर वहां पर पेड़ लगा दिये जाते तो इतना नुक्सान नहीं होता। इसके लिये मैंने वहां के डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहा था कि कितना नुक्सान होता है और इसकी वजह से मैदान में भी नुक्सान होता है तो उन्होंने कहा कि यहां पर ऐक्ट लागू नहीं होता है और ऐसे मामले नहीं हुये कि यह ऐक्ट वहां भी बढ़ा दिया जाय।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जहां पर बाढ़ को रोकने के लिये स्थायी प्रबन्ध किया जा रहा है वहां पर इस बात की भी अत्यंत आवश्कता है कि वह उस ओर भी ध्यान दें। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं। पब्लिक परपजेज (जनहित) का सवाल है। आज तक पुराने ऐक्ट के जरिये काम करते रहे हैं। इसमें केवल विलेज साइट्स का जिक्र है। लेकिन जो गांव नष्ट हो चुके हैं, जिनके खेत खत्म हो चुके या बह गये हैं, उनको खेत देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर हमारे माननीय मंत्री जी इस ऐक्ट की धारा को बदल कर या कोई प्रस्ताव लाकर इस बारे में कुछ कर दें तो बड़ा अच्छा हो। मुझे मालूम नहीं है कि वह क्या करने जा रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे गांवों को राहत पहुंचाने की जरूरत है जो नष्ट हो चुके हैं। इस बिल से कोई ऐसी बात नहीं होती है जिसके अनुसार गांव वाले खेत प्राप्त कर सकें। केवल विलेज साइट्स प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही साथ एक्ट की एक परिभाषा भी बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ दूं। धारा २ (क) की उपधारा (सी) में यह है कि "Land holder, Tenure holder, Sayar".....इन चारों परिभाषाओं को भी यू० पी० टैनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अनुसार ही रखा गया है। मैं समझता हूं कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अनुसार इनकी परिभाषा मानी जानी चाहिये थी। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा न रखा जायगा तो इस बिल का मन्तव्य जो स्थायी है वह सिद्ध न हो पायेगा और पुराने ऐक्ट की मंशा और जो हमारे माननीय मंत्री जी की मंशा है उसमें एक बड़ा गैप रह जायगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गैप्स इसमें रह गये हैं उनको और भी ध्यान देंगे और अगर इनको वर्बल अमेंडमेंट्स (मौखिक संशोधन) के रूप में माना जा सकता है तो इनको वर्बल अमेंडमेंट के रूप में मान लिया जाय और जो युनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के द्वारा इस एक्ट की धारा २ की उपधारा (सी) का अर्थ है, वह अब १९५१ के जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था ऐक्ट के अनुसार संशोधित रूप से मान लिया जाय।

इसके अलावा एक आवश्यक सुझाव, जो माननीय सदस्यों ने समय समय पर दिया था और आज मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूं, यह है कि क्या कोई ऐसा प्रौविजन हो सकता है कि सरकार इस बारे में विचार कर सकती कि बाढ़ की शुरुआत जहां बड़ी नदियों में होती है वहीं पर बाढ़

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की पैमाइश हो जाय तो उससे जो लोग आगे रहने वाले हैं उनको खतरे की चेतावनी मिल जायगी। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि शारदा नदी या घाघरा नदी को ले लिया जाय अगर टनकपुर में पैमाइश हो जाय या जहां शारदा बांध हाउस बन रहा है वहां पैमाइश हो जाय या जहां रामगंगा मैदानों में आती है (कालागढ़) उस जगह पैमाइश हो जाय तो नीचे के लोगों को मालूम हो जायगा कि अब खतरा है, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और वे लोग बचने का प्रबन्ध कर सकते हैं। तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के इस अंग की ओर भी ध्यान दें, इसमें मैं समझता हूं कि कोई विशेष खर्चे की आवश्यकता नहीं है और प्रांत के बहुत बड़ी बाढ़ से उत्पीड़ित जनता को फायदा हो सकता है, वह खतरे से वाकिफ हो सकती है और अपनी चल सम्पत्ति को बचा सकती है और दो दिन पहले उसको यह मालूम हो सकता है कि अब खतरा है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो कुछ कमियां रह गई हैं, जो पॉइन्ट्स मैंने बतलाये हैं मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे और इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय चेयरमैन साहब, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह आवश्यक विधेयक यहां पर रक्खा। उसके बाद अपने भाई तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। वस्तुतः जिन लोगों ने बाढ़ के समय में घूम कर किसानों और ग्रामीणों की दुर्दशा को देखा है वे समझ सकते हैं कि इस बिल की कितनी आवश्यकता है। मैं अपने जिले की बात बतलाता हूं। सन् ४८ में जब गंगा जी का २१–२२ मील का पाट बन गया और हम लोग वहां घूमते थे तो जिन्दगी खतरे में रहती थी और गांव वाले पेड़ों पर चढ़ कर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि एक ही पेड़ पर सांप भी चढ़ा है और उसी पर आदमी भी अपना निवास कर रहे हैं। चारपाइयां बांध बांध कर लोग रहते थे और यहां तक हुआ है कि पेड़ पर भी स्त्रियों के बच्चे पैदा हुये हैं और गांव का गांव तबाह हो गया और एक तरह से वह नरक बन गया जिसको देखते नहीं बनता था और जब बाढ़ घटती है तो बाढ़ के समय से भीषण अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब कि कच्चे घर गिर गये हों, गरीबों की चरपाइयां और छोटा मोटा सामान बह गया हो और उनका कोई सहारा नहीं रह जाता। घर का गल्ला बह जाता है और नाना प्रकार की दुर्गति में वे पड़ जाते हैं। बीमारी फूट पड़ती है और कालरा पैदा हो जाता है और इस प्रकार से उनके बच्चे और उनकी स्त्रियां और उनके परिवार के लोग इतनी दुर्गति में पड़ जाते हैं कि जिसको देख कर बड़ा ही तरस आता है। इसके बाद जब यह अवस्था पार हो जाती है तो उनके घर बनाने की समस्या सामने आती है। उस समय उनको कोई सहारा नहीं रहता केवल इधर उधर बिलबिलाते रहते हैं। यहां जाते हैं वहां जाते हैं मगर उनको एक बालिश्त भी भूमि नहीं मिलती है जहां पर वह अपना घर बना सकें।

मैं अपने चुनार की तहसील के धनेता गांव की गाथा आप को सुनाता हूं कि वहां पर सन ४८ में बाढ़ के कारण १००,१५० घर बह गये थे। उन लोगों ने दरख्वास्त दी और फिर सरकार की तरफ़ से मिट्टी प्राप्त करने का आदेश जारी हुआ किन्तु मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज तक उन हरिजनों को अपने मकान बनाने के लिये मिट्टी प्राप्त नहीं हुई है और उनके घर नहीं बन सके हैं। जिन लोगों से जमीन ली गई अदालत में जा कर उन लोगों ने कार्यवाही की और यहां तक उन्होंने कराया कि कानूनगों ने अपनी रिपोर्ट में यह लिख दिया कि लोगों ने अपने घर बना लिये हैं। उसके खिलाफ जब जांच हुई तब पता चला कि अभी तक घर नहीं बने हैं और वह रिपोर्ट गलत थी और आज दिन भी उन बेचारे हरिजनों को मकान के लिये मिट्टी प्राप्त नहीं हो सकी है और वह बेचारे बिना घर बार

पड़े हुये हैं । इस प्रकार से जो भूमि प्राप्त होने में कठिनाई होती है उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है ।

हमारे ज़िले की चुनार तहसील में भुइली परगना में गडई नदी की वजह स हाहाकार मच जाता है । वह हर साल बहुत खेतों को बहा ले जाती है । अभी १९,२० जून को जब २४ घंटे में १० इंच पानी बरस गया था हमारे यहां की कई बन्धी टूट गईं और इस क़दर लोगों का नुक़सान हुआ कि जिसकी कोई इन्तिहा नहीं है । इस तरह से वहां पर बाढ़ के कारण भूमि बरबाद हुआ करती है । यह तो मैंने भुइली परगने की बात कही ।

मिर्ज़ापुर तहसील के पच्छिमी भाग में भी बाढ़ से बहुत लोग पीड़ित हुआ करत हैं और उन स्थानों में घर बनाने के लिये भूमि हरिजनों को और दूसरे लोगों को मिलना ज़रूरी है । पक्के जो मकान होते हैं वह नहीं बहते हैं लेकिन कच्चे छोटे मकान जरूर बह जाते हैं और उन मकानों को बनाने के लिये भूमि प्राप्त नहीं होती है और उसके लिये यह विधेयक जो रखा गया है, मेरा विश्वास है कि इससे गरीब लोगों को मदद मिलेगी और भूमि प्राप्त होने की सुविधा होगी ।

इसका अनुमान वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने बाढ़े पीड़ित लोगों को देखा है कि उनकी क्या दशा होती है । गरीब जनता इस विधेयक का स्वागत करेगी और मैं भी सरकार को इस बिल के लाने पर बधाई देता हूं । जो असुविधा इस बिल के अन्दर रह गई है उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जब यह बिल पास हो जाय तब सरकार को यह देखना चाहिये कि भूमि प्राप्त करने में किसी को किसी तरह की असुविधा न हो । समाज के अन्दर जो धनी और मज़बूत लोग होते हैं वह भूमि प्राप्त करने में नाना प्रकार की अड़चने डालते हैं। जिस उद्देश्य के लिये यह बिल लाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति इस बिल से होनी चाहिये और सरकार को इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिये कि भूमि के प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई लोगों को प्राप्त न हो । अन्त में मैं इस विधेयक का पुनः स्वागत और समर्थन करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)—अध्यक्ष महोदय, सदन क सम्मुख माननीय राजस्व मंत्री ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । इसके साथ साथ बिल के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सरकार की ओर से जो अकर्मण्यता दिखाई जाती है उसकी आलोचना करना भी मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आज़मगढ़ ज़िले का निवासी हूं और यह मैंने अपनी आंखों देखा है कि बलिया, गाज़ीपुर, जौनपुर जो ज़िले घाघरा, गोमती और गंगा के किनारे बसे हैं और जिनको सरकार बाढ़ पीड़ित मानती है और जहां के लिये अधि-नियम बने भी ४ साल हो चुके हैं लेकिन वहां हमने देखा है और मैं आप के द्वारा राजस्व मंत्री जी से यह जानना भी चाहता हूं कि इस ऐक्ट के बनने के बाद हमारे इन क्षेत्रों में कितने नये मकान नये सिरे से बनाये गये हैं । मैंने बिल प्रस्तुत होने के बाद बहुत से माननीय सदस्यों से इस संबंध में पूछताछ की, सब ने यही कहा कि हमारे ज़िले में कोई मकान नहीं बने हैं जो बिल का उद्देश्य है ।

हमारी सोशलिस्ट पार्टी, हमार साथी बार बार कहत हैं और मैं भी कहता हूं कि सरकार के कहने में और करने में अन्तर है । ४ साल के बाद भी यदि इन ११,१२ ज़िलों में जहां पर हर साल या एक साल छोड़ कर बाढ़ आती रहती है और अगर उन गांवों में बाढ़ के ज़माने में जाइये तो वहां कोसों समुद्र की तरह पानी ही पानी दिखलाई देगा और मनुष्यों की ज़िन्दगी पानी में जैसे मगर रहता है उस तरह की हो जाती है । उनके उद्धार के लिये सिर्फ एक चीज़ रखी गयी है कि ऐसे स्थल ठीक किये जायं ताकि नये सिर से लोग बसाये जा सकें । मैंने अपनी आंखों देखा है कि बहुत से आदमी आज भी उन ज़मीनों में मकान बनाना चाहते हैं और ज़िला अधिकारियों के पास दरख्वास्त देते हैं लेकिन मैं बड़ी हिम्मत और ताक़त से कहना चाहता हूं कि उनको न जगह मिलती है और न कोई सामान मिलता है और न ठीक करने के लिये खपरैल

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

आदि का प्रबंध होता है । साथ ही साथ बाढ़ के ज़माने में लोग खानाबदोशों की तरह तमाम सामान लेकर इधर उधर सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं और ठीक उसी तरह से नदी के कटाव से भी वही दशा होती है जो बाढ़ के ज़माने में होती है । अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इस बिल में यह भी उद्देश्य रख देते तो यह भी बहुत शोभनीय बात होती ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति से मकान बनाने की बात तो जाने दीजिये, हमने अपनी आंखों देखा है कि बाढ़ के ज़माने में पानी पीने वाले कुवें पानी के कारण धंस जाते हैं और लोग तालाबों और गढ़ैयों, मड़हों का पानी वहां पीते हैं। सरकार के पास आवेदन पत्र पहुंचने के बावजूद भी कोई कुवों का प्रबंध नहीं किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में इन ४ सालों में कितने मकान बनवाये । मैं राजस्व मंत्री से आपके द्वारा इसकी रिपोर्ट चाहता हूं कि वह माननीय सदस्यों को वितरित की जाय ।

इस के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो मकान खत्म हो जाते हैं उनके लिये मुफ्त सहायता देने की बात तो कौन कहे अगर तक़ावी के लिये भी जिला अधिकारियों से प्रार्थना की जाती है तो वह उनको नहीं मिलती है । मैं यह भी जानता हूं कि छोटी छोटी नदियां जिनका संबंध बड़ी बड़ी नदियों से है उनके द्वारा भी पानी उस क्षेत्र में फैल जाया करता है। ग़ाज़ीपुर में बाढ़ आती है तो छोटी सरजू में गंगा के पानी से ग़ाज़ीपुर का कुछ हिस्सा प्लावित हो जाया करता है। सरकार की नज़रों में आज़मगढ़ जिला बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में नहीं पड़ता है । बहराइच, गोरखपुर और देवरिया जिले जहां राप्ती और घाघरा नदियां बहती हैं बाढ़ पीड़ित माने जाते हैं मगर आज़मगढ़ जहां १८ नदियां हैं वह नहीं माना जाता है। हमारे यहां का काफी हिस्सा बरसात में समुद्र सा दिखाई देता है । हमें स्तम्भित होना पड़ता है जब सरकार आज़मगढ़ जिले को बाढ़-पीड़ित नहीं मानती है। अभाग्यवश या संयोग से मेरा निवास स्थान भी उसी क्षेत्र में है जो घाघरा और राप्ती नदी के मुहाने पर पड़ता है । बाढ़ के ज़माने में वहां बीसों मील तक कोई छप्पर दिखाई नहीं देता है । हमने आदमियों और पशुओं को चिंघाड़ते हुये देखा लेकिन सरकार की ओर से उनको बचाने के लिये कोई ढंग नहीं अपनाया जाता है । बाढ़ जब ख़त्म होती है तो उनकी सारी फ़सल बरबाद हो जाती है और मकान ध्वंस हो जाते हैं। उनके पास खानेपीने और पहनने के लिये कुछ नहीं रहता। उसके बाद उनके जीवन निर्वाह के लिये सरकार की ओर से कुछ नहीं होता है ।

अभी कल माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक विधेयक को प्रवर समिति के सामने रखने का प्रस्ताव स्वीकार कराया था उसी प्रकार से मैं इस विधेयक को भी चाहता हूं प्रवर समिति में जाय । ख़ासतौर से उन लोगों से परामर्श किया जाय जो बाढ़पीड़ित क्षेत्र से आये हैं । बहुत से सम्मानित सदस्य वहां से चुन कर आये हुये हैं और वे बता सकते हैं कि बाढ़ के ज़माने में वहां क्या क्या विपत्तियां आती हैं । उनसे सरकार यह जान सकती है कि वहां बरसात में कौन कौन से उपाय अपनाये जा सकते हैं। मेरी राय में इस बिल को प्रवर समिति को भेजना चाहिये और बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के सम्मानित सदस्यों की राय से इसमें संशोधन और परिवर्तन होने चाहियें। यदि माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस विधेयक से इस प्रदेश की उस जनता को जो बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में बसती है बहुत लाभ हो सकता है । सरकार के लिये भी बहुत प्रशस्त हो जायगा कि बाढ़ के ज़माने में कौन-कौन से काम करने होंगे । सरकार को वे रास्ते साफ़ नज़र आ जावेंगे। जिला अधिकारियों को भी यह महसूस हो सकेगा और उनके कर्मचारियों को भी ज्ञात हो जायगा कि बाढ़ के समय में किस तरह से काम करना है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री व सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज कर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की जनता को सदा के लिये रास्ता साफ़ करने का मार्ग प्रस्तुत करें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—सभापति महोदय, यह जो विधेयक बाढ़ के विषय में उपस्थित किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं । मै यह अच्छी तरह से जानता हूं कि बाढ़पीड़ित लोगों की जो दशा होती है और जो यातनायें उनको भोगनी पड़ती हैं उनका वर्णन करना मेरी ताक़त से बाहर है । परन्तु जब कि लोग इतने दुखी हैं, जब कि घर वाले बेघर हो गये हैं, खेत वाले बिना खेत हो गये हैं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का उत्तर-दायित्व है कि वह बाढ़पीड़ित लोगों के लिये कुछ न कुछ अवश्य करे । यह मंशा इस विधेयक की है और इसी प्रकार से हम उनकी सहायता कर सकते हैं । परन्तु इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी जमाने में यह बाढ़ का आना दैवी प्रकोप के कारण समझा जाता था । लोग यह समझते थे कि यह परमात्मा का एक प्रकोप ही है परन्तु आज के जमाने में जितनी भी बाढ़ आती हैं, उनसे जो नुक़सान जनता को पहुंचता है वे परमात्मा की बनाई नहीं हैं लेकिन इंसान ने इनको पैदा किया है, उसके पैदा करने में इंसान का एक बहुत बड़ा हाथ है ।

आज नदियों में बाढ़ों का प्रकोप क्यों दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ? इसका एक कारण है कि सरकार ने नयावाद ऐक्ट पास किया है । उसने लोगों को यह आज़ादी दे दी है कि वे नई भूमि के लिये दरख्वास्तें दें और बहुत सी दरख्वास्तें खेती योग्य भूमि प्राप्त करने के लिये दी जाती हैं और लोगों को जमींनें मिल रही हैं । उसका खास कारण यह है कि पहाड़ों के ऊपर आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, वहां अब ऐसी भूमि नहीं है जो लोगों को आसानी से दी जा सके । पहाड़ों की चोटियों पर जो जंगल थे उनको काटकर लोगों ने उनको नंगा कर दिया है । वहां के जंगल और खास कर के पेड़ जो कि बरसात के पानी को रोक रहते थे अब नहीं रोक पाते । जो भी पानी वहां पड़ता है तुरन्त ही नदियों में बह कर आ जाता है और बाढ़ आजाती है । अभी १६ तारीख को जब मैं कोट द्वारा होकर यहां आ रहा था तो वहां बाढ़ आ रही थी जिसमें बहुत से खेत, मकान व जानवर बह गये । इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यह चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी जाय । यह तो केवल एक टेम्पोरेरी (अस्थायी) बात है । यह मर्ज की असली दवा नहीं है । यह तो केवल दुख को थोड़ा सा दूर करना है ।

बाढ़ का जो भय लोगों के दिलों पर बना हुआ है हमें उस भय को सदा के लिये दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । उसके संबंध में मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं । वह यह है कि तराई भाभर की जमीन जो कि ऋषिकेश हरद्वार से लेकर सीधे बरेली तक पहुंची है उसमें कम से कम १५ हज़ार एकड़ भूमि है जिसके ऊपर आज जंगल खड़ा हुआ है और इन जंगलों को काटकर अगर इस भूमि को ठीक किया जा सकता है तो गंगा नदी से नहर निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं । मेरे लायक दोस्त जो अपना भाषण दे रहे हैं वह उस ज़मीन के लिये जो तराई भावर में पड़ी हुई है उसे एक्वायर करने के लिये दे रहे हैं न कि बाढ़ पीड़ितों के लिये ।

श्री चन्द्र सिंह रावत—जिन साहब ने इस पर उज्रदारी की है मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि आप तो एक टेम्पोरेरी रिलीफ दे रहे हैं जो टेम्पोरेरी रिलीफ हमेशा करने की ज़रूरत पड़ेगी । मैं चाहता हूं कि जड़ से ही उस बीमारी को उखाड़ दिया जाय जिससे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये जो ऐक्ट बना हुआ है उस ऐक्ट के अन्दर किसी को भी रिलीफ देने की ज़रूरत ही न पड़े । मै समझता हूं कि इस प्रकार का सुझाव सरकार मान जाती है तो बाढ़ का कोई डर ही नहीं रहेगा । नहीं तो दिन प्रति दिन बाढ़ बढ़ती जा रही है जिससे सारी भूमि नष्ट व चौपट हो जायगी । मैं समझता हूं कि सरकार भी इस बात के लिये उत्तरदायी है कि वह उस बाढ़ के कारण को ही खत्म कर दे और बाढ़ का जन्म ही न हो ऐसी परिस्थित पैदा करने का प्रयास करे ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नदियां जंगली बनती जाती हैं जिससे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है । जिस तरह से गंगा नदी में से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गयी हैं उसी तरह से मैं समझता हूं कि इन नदियों से बड़ी बड़ी नहरें निकाल कर उन जंगली नदियों को पालतू बनाया जा सकता है । आदमी उन पर हुकूमत कर सकता है और वे हुक्म की पाबन्द बनायी जा सकती हैं। आप देखें कि बरसात में बाढ़ आती है तो गंगा नदी से जो नहरें निकाली गयी हैं उसका असर प्लेन पर भी होता है और उनसे बहुत भूमि पर की सिंचाई होती है । मैं समझता हूं कि नहरें निकालने से भूमि भी नष्ट नहीं होती है, फसलें भी नष्ट नहीं होती हैं और लोगों की रक्षा भी होती है । इस-लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका सही साल्यूशन यही हो सकता है कि गंगा नदी की तरह इन नदियों में से भी नहरें निकाल कर पहाड़ों के एक्सेस पोपुलेशन (जनसंख्या के अतिरिक्त अधिक भाग) को हरिद्वार से बरेली तक की तराई भावर में बसाया जा सकता है । और मैं समझता हूं कि उस अव्यवस्था को ठीक करने के लिये यह सोल्यूशन (हल) ठीक होगा।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में हर नदी में पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़ी बाढ़ आयी है जिससे गाँव वालों को बड़ी क्षति हुई है । बहुत से खेत और जानवर भी बह गये हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने आफिसरों के जरिये इनक्वायरी (जांच) करा कर उनको जो कुछ भी रिलीफ (सहायता) पहुंचा सकती है पहुंचाने की कृपा करे। इन शब्दों के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ को महसूस किया है और उनको रिलीफ देने के लिय यह बिल लायी है । फिर मैं एक बार उसका स्वगत करते हुये इस सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---(जिला अल्मोड़ा) अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह एक बहुत ही अहम मसला है। इस पर अभी काफी बहस नहीं हो पायी है । हममें से काफी लोग अभी बोल नहीं पाये हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर बहस करने के लिये कुछ समय देना चाहिये।

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि इस पर एक दो स्पीच हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने पेश है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पर मुझे एक दुख है इस बात का कि हमारी सरकार जो है वह उन दिनों के लिये ठहरी हुई है कि हमारे गांव जब बाढ़ की वजह से बह जावें तो फिर नये सिरे से उनकी रचना हो, स्कीम बने और कुछ मकान बनाये जायं। अगर वह उन दिनों को देखना चाहती है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो यह चाहता था कि जिस तरह से शहरों का निर्माण हो रहा है, नई नई जगहें बनायी जा रही हैं, अच्छे अच्छे मकान बनाये जा रहे हैं, अगर हमारे देहातों के अन्दर भी इस किस्म की प्लानिंग होती और बाढ़ क्षेत्रों के लिये कुछ होता, यह नहीं कि बाढ़ आवे इलाका बह जाय तब बने तो इसस हमारे देश की उन्नति होती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वह इलाके जहां ज्यादा बाढ़े आती हैं वह पूर्वी जिलों के हैं और हमारे पहाड़ों में जहां बाढ़ आती हैं वहां अगर बरसात में देखें तो मालूम होता है कि जब पानी बरसता है तो तूफान की तरह से आकार तमाम गांवों को बहाकर एक ढेर लगा देता है इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे इस प्रान्त के लिये जैसा हमारे रामसुन्दर जी ने सेलेक्ट कमेटी के लिये सुझाव दिया है वह सब से अच्छा है । कल तो मैं सेलेक्ट कमेटी के लिये विरोध कर रहा था क्यों कि उसमें जल्दी करने की आवश्यकता थी लेकिन इस बिल में बहुत सी खामियां हो सकती हैं और हमारे पूर्वी जिलों के लिये एक सेलेक्ट कमेटी रखी जाय और उसमें माननीय चन्द्र सिंह जी को भी रख लिया जाय। क्यों कि वह जो जमीन किसानों को मिलने वाली

है, वह भी बन्द करना चाहते हैं, फिर भी उनकी राय सेलेक्ट कमेटी के सामने ले ली जावे तो अच्छा होगा ।

अधिष्ठाता---क्या आप कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई ऐसा संशोधन तो है नहीं, आप केवल सुझाव दे सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं यह सुझाव दे रहा था कि जैसा कि माननीय राम-सुन्दर जी ने सुझाव रखा है कि सेलेक्ट कमेटी के सामने उनको भेजा जाय और मेरी समझ में हमारे पूर्वी जिले के सदस्य इससे सहमत होंगे और अगर सरकार उसको ठीक समझे तो मान ले ।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है इससे वैसे तो सभी पार्टियों के लोगों ने सहमति प्रकट की है और सभी ने ही सरकार को इस विधेयक के लिये बधाई दी है परन्तु सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से संशोधन आया है कि यह विधेयक प्रवरसमिति के सुपुर्द किया जाय ।

अधिष्ठाता---कोई संशोधन तो नहीं है बल्कि एक सलाह दी है।

श्री मही लाल---परामर्श के तरीके पर उन्होंने एक सुझाव गवनमेंट ने सामने रखा है। वैसे तो मैं यह नहीं कह सकता कि बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लोगों के संबंध में सभी सदस्यों को थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा परन्तु इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों की दशा का विशेष अनुभव या तो उन लोगों को हो सकता है जिनको अवसर मिला है बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा करने का या उन माननीय सदस्यों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों की दशा का ज्ञान हो सकता है जिन पर बाढ़ के समय की पीड़ा बीती है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिसे बाढ़ के समय काफी यातनायें सहनी पड़ी हैं, और कष्ट उठाने पड़े हैं। मेरे आस पास के भाइयों के घरबार इन बाढ़ों की भेंट हो चुके हैं।

मैं इस संबंध में इतना कहना जरूरी समझता हूं कि जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य और आवश्यकता है और जिस आवश्यकता को लेकर गर्वनमेंट ने सदन के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है इसलिये विधेयक सराहनीय है और सरकार इसके लिये हर पार्टी की ओर से विशेष रूप से बधाई की पात्र है।

यह ऐक्ट जो कि ३१ दिसम्बर तक रहेगा, जिसकी अवधि ३१ दिसम्बर तक है, आगे स्थायी होने के लिये सदन के सामने आया है इसके द्वारा हमारे राज्य कर्मचारियों की ओर से जो सहायता बाढ़ पीड़ितों की की गई है मैं अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता समझा हूं।

मेरे ग्राम की आबादी को आठ वर्ष हो गये हैं। वहां के निवासी लोगों की जमींनें जो कि उनकी आजीविका का साधन थीं रामगंगा नदी को भेंट हो चुकी है। चार साल से लगातार इस बात का प्रयत्न किया गया और राज्य कर्मचारियों तक यह आवाज पहुंचायी गयी कि उनको आबाद करने के लिये, उन पीड़ितों को बसाने के लिये कोई विशेष प्रबंध होना चाहिये। अब भी मेरे ग्राम में निर्धन वाल्मीकि हरिजन रामगंगा नदी के किनारे पड़े हैं। चार वर्ष के बाद जुलाई महीने में आकर जमीन अक्वायर (अर्जित) की गयी। तब कहा जाकर वहां बस जाओ। इस समय मैंने उनके घर बनाने के लिये, और दूसरे प्रकार की सहायता के लिये अधिकारियों के सामने बार बार सुझाव रखे। लेकिन उन पर कोई भी अमल नहीं हुआ। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का या आपकी हमदर्दी का संबंध है वह तो बधाई के योग्य है। लेकिन साथ ही इस विधेयक द्वारा जिस परिणाम पर हमें पहुंचना चाहिये, पीड़ितों को जिससे लाभ होना चाहिये इसका सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये और जिले के जो अधिकारी हैं उन को इस बात के लिये मजबूर किया जाय कि वह कम से कम बाढ़ पीड़ितों

[श्री मही लाल]

की तकलीफों को उस लिहाज से, जैसी कि बाढ़ के समय होती है, घर कट जाते है जमीन कट जाती हैं, चारों ओर पानी ही पानी होता है उस समय की स्थिति को हम जानते हैं कि हम पर क्या बीतती है कि जानवरों को कहां हटाया जाय उनको चरने को नहीं मिलता, वहां के निवासियों को कहां हटाया जाय, खाने तक को नहीं मिलता, अनाज तक बह जाता है।

अभी मैंने परसों तरसों माननीय राजस्व मंत्री की सेवा में एक सूचना भेजी है, वह बजरिये तार मुझे मिली थी। मैंने उनकी सेवा में वह सूचना भेजी थी। मुझे उस का अभी तक उत्तर नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है परन्तु आशा है कि उस पर संतोष जनक कार्यवाही हो रही होगी और जो लोग वहाँ पीड़ित हैं जिनकी ओर से मेरे पास तार आया था उन को कुछ आराम मिला होगा। यह निवेदन करने का विशेष तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य को ले कर यह विधेयक बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिये। जिन लोगों के लिये यह अधिनियम बनाया गया था उन लोगों को इससे आराम मिले।

साथ ही मुझे एक बात और निवेदन करनी है जिसे मैं सरकार के सामने रखना आवश्यक समझता हूं। आज जिन लोगों की जमीन कट गयी है उन का लगान अभी तक माफ नहीं हुआ है। उनको उस जमींन का लगान अब भी देना पड़ रहा है जिस पर रेत पड़ी हुई है। मुझे खुद उस जमींन का लगान देना पड़ता है जो राम गंगा नदी की भेंट हो चुकी है।

अन्त में मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं जो कि सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से आया है कि इस आवश्यक विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जिस पर विशेष रूप से विचार करने की जरूरत हो या प्रवर समिति में भेजने के किसी विशेष संशोधन की बात हो। एक पुराना ऐक्ट है, जिसकी अवधि ३१ दिसम्बर तक है। उसको स्थायी करने जारहे हैं और उसमें कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा सुझाव या कभी मूल ऐक्ट में नहीं बताई गयी जिसकी वजह से सदन यह आवश्यक समझे कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करना आवश्यक ही होगा।

तो अंत में मैं बधाई देते हुये माननीय मंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि जहां यह ऐक्ट स्थायी होने जा रहा वहां इसके ऊपर अमल करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि काफी वाद विवाद हो चुका है। विधेयक पर अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---माननीय चेयरमैन साहब, जैसा मैंने यह प्रस्ताव करते हुये निवेदन किया था, यह एक ऐसा विधेयक है जिसपर कोई मतभेद नहीं है। उसके सिद्धांत से सभी वर्ग सहमत हैं। अब जो दो चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये उसमें जो बातें कही गयीं हैं वह ऐसी हैं कि जो या तो गलतफहमी पर मबनी हैं या इससे ताल्लुक नहीं रखती है। मसलन यह कि यह अधिनियम जिसको कि संशोधन करने के लिये यह विधेयक आया है वह क्यों १८ ही जिलों पर लागू है और अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाय तो दूसरे जिलों में लागू करने के लिये इसमें कठिनाई पड़ेगी, तो इसलिये सारे प्रदेश पर एक दम

लागू कर दिया जाय। यह माननीय नारायण दत्त जी ने कहा था। लेकिन वह तो उस अधिनियम में दिया हुआ है कि गजट में विज्ञप्ति निकाल कर चाहे जिस जिले में लागू किया जा सकता है। अधिनियम में केवल १८ जिलों पर लागू था, आज ३० जिलों में लागू है और नोटिफिकेशन (अधिसूचना) द्वारा एक्सटेंड (प्रसारित) कर दिया गया है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार विधान मंडल की स्वीकृति हो चुकी है, गवर्नमेंट को अधिकार मिल चुका है, तो आर्डर (आदेश) मात्र से इसका एक्सटेंशन (प्रसार) किया जा सकता है। इसलिये इस सिलसिले में तो कोई रुकावट नहीं है। एक प्रकार से यह समझना चाहिये कि सारे प्रदेश पर यह लागू है।

दूसरी बात जो एक सज्जन ने कही थी वह यह कि शायद अब तक कुछ ज्यादा काम इस सिलसिले में हुआ नहीं है। उनकी इत्तिला के लिये बता देना चाहता हूं कि ४५४ एकड़ जमीन इस कानून के मातहत सन् १९४८ से सन् १९५१ तक अक्वायर (अर्जित) की जा चुकी थी और २,४०,००० रुपया ऐसी जमीन के अक्वीजीशन के मुआविजे के तौर पर दिया जा चुका था और कुछ जमीन ऐसी थी कि जिसके कागजात चल रहे थे और रकम निश्चित नहीं हो पाई थी। तो सन् १९४८ में हमारे यहां सब से बड़ी बाढ़ आई सन् २४ के बाद और उसके बाद सन् ५० में भी कुछ जिलों में आई, लेकिन बहुत बड़ी नहीं आई। सन् १९४९ में शायद ही कहीं जमीन अक्वायर करने की जरूरत पड़ी और न सन् ५१ में। तो इस तरह से सन् ४८ और सन् ५० में ही ४५४ एकड़ जमीन अक्वायर कर दी गांव वालों के लिये।

तीसरा सुझाव यह आया कि जिस तरह शहर बहुत सुन्दर रूप से बसे हुये हैं उसी तरह गांव भी बसा दिये जायं, क्यों इन्तजार किया जाय बाढ़ का और तब वह बसाये जायं। यह माननीय उपाध्याय जी का सुझाव था। सुझाव बहुत अच्छा है। काश, यह बात मुमकिन होती, हमारे पास इतने साधन होते, इतना रुपया होता और इस देश के रिसोर्सेज (साधन) ऐसे होते कि इस प्रदेश के एक कोने से लग्गा लगा देते और आखिर तक देहरादून से बलिया तक, सारे गांवों का पुनर्निर्माण कर देते। लेकिन जिन सज्जन ने सुझाव दिया वे भी जानते हैं और सभी इस बात को मानते हैं कि ऐसे हमारे पास साधन नहीं हैं। इस सिलसिले में हम को एक बात यह भी याद रखने योग्य है कि जो लोग कछार में या खादर वगैरह में आबाद होते हैं जब बाढ़आ जाती है, जब बिलकुल उनके सिर पर आ जाती है, उनके घरों में घुस जाती है, तब जाकर वे अपने घर और मकान छोड़ने को राजी होते हैं। अगर उनसे आप मामूली जमाने में कहें जबकि बाढ़ न आयी हुई हो, कि अपना मकान और जमीन छोड़ दो, दूसरी जगह आबाद हो जाओ, तो हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। वे तो जब उनके सिर पर बाढ़ आ जाती है तब बमुशिकल तमाम अफसरान के समझाने से राजी होते हैं। फिर भी उनकी आबादी, उनके गांव और उनके जंगल निकल आयें तो फिर वहीं चले जाते हैं। दूसरी जगह बसने को वे तभी तैयार होते हैं जब कि उनकी आबादी बिलकुल नाकाबिल बसने के हो गयी हो। इसलिये इच्छा होते हुये भी ऐसी चीज मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अगर सबको खादर से ले आया जाय तो फिर कहां इतनी जमीन है, कहां इतना रकबा है और कहां इतना रुपया हमारे पास है कि सबको बसा सकें?

एक बात माननीय चन्द्र सिंह जी ने कही और उस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि बाढ़ आजाने के बाद जब तकलीफ हो जाती है तब उसके बाद आराम पहुंचाने की कोशिश की जाती है। असल इलाज और स्थायी और मुस्तकिल इलाज यह हो कि बाढ़ आने के कारणों को दूर किया जाय। बात बड़ी सुन्दर है और समस्या को जड़ पर उन्होंने निगाह डाली है। जहां तक बाढ़ों को पूर्ण रूप से रोकने की बात है वह तो आज तक किसी देश में हुआ नहीं। प्रीवेंशन आफ फ्लड नहीं हो सकता है। हां कंट्रोल उसका किया जा सकता है और उसकी पहली मिसाल अमरीका है। टेनेसी वैली अथारिटी यानी टी० वी० ए०

[श्री चरण सिंह]

कायम करके अमरीका ने बाढ़ों को कन्ट्रोल करने की कोशिश की है और उस सिलसिले में उनको बड़ी कामयाबी हुई है। उसी तरह हमारे यहां डी० वी० ए० दामोदर वैली अथारिटी कायम की गई है और कोसी के लिये शायद दूसरी योजना है। इस तरह से हमारे यहां भी बाढ़ को कन्ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पानी बरसात में जायद आये उसको इकट्ठा कर लिया जाय, उससे बिजली पैदा की जाय, उससे सिंचाई के साधन पैदा किये जायं और नेवीगेशन (नौचालन) का प्रबंध किया जाय यानी नदी को जो पानी की सतह है उसको भी कुछ ऊंचा किया जाय ताकि उसमें नाव और जहाज अच्छी तरह से चल फिर सकें। तो इस तरह से कोशिश हो भी रही है लेकिन फिर भी चाहे कितनी कोशिश की जाय बाढ़ को पूर्णरूप से रोका नहीं जा सकता है। बाढ़ के संबंध में एक फ्लड कमेटी यहां बनी हुई है और उसने एक टेक्निकल सब कमेटी बनाई है जो बाढ़ की शिद्दत किस प्रकार कम की जा सकती है इस पर विचार कर रही है। यह बड़ा टेक्निकल मामला है और उसकी रिपोर्ट अभी तक आयी नहीं है।

एक बात और है जिसकी ओर माननीय चन्द्र सिंह जी ने संकेत किया और वह इलाज अपने हाथ में है। उन्होंने कहा कि असल कारण यह है कि पहाड़ों में जहां नदियों का उद्गम स्थान होता है वहां से दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और उसकी वजह से जो पानी जोर से पड़ता है वह पत्थरों पर पड़ कर बहता है और जो उर्वरा जमींन होती है उसको काटकर ले जाता है लेकिन जहां घनी झाड़ियां हैं वहां पानी दरख्त और झाड़ियों के तने के साथ जमींन में घुस जाता है, उसकी शिद्दत भी कम हो जाती है, उसका दबाव भी कम हो जाता है और फिर वह उतनी तेजी के साथ बहता नहीं है और जो उसका फोर्स होता है वह कम हो जाता है। इस तरह से बाढ़ आती नहीं है लेकिन जैसा माननीय चन्द्र सिंह जी ने कहा कि आज कल जो बाढ़ की शिद्दत हो गयी है उसका कारण यही है कि पहाड़ों पर हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और उन्हें काटने का भी एक कारण यह है कि, आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई आबादी के लिये खेत करने को स्थान और जमींन चाहिये। तो फ्लड कंट्रोल के लिये मालूम यह होता है कि बर्थ कंट्रोल किया जाय तब जाकर यह समस्या हल हो। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ के रहने वाले भाई इधर ज्यादा ध्यान दें ताकि आबादी न बढ़े और मैं उम्मीद करता हुं कि माननीय उपाध्याय जो बहुत जोश के साथ अपने इलाके में जायेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—१०० पेड़ लगाता हूं।

श्री चरण सिंह—यह ठीक है मगर बच्चे न लगाइये। तो मतलब कहने का यह है कि यह बात ठीक है कि जंगलों को काटने की वजह से इरोजन (भूमि का कटाव) होता जाता है और फ्लड्स आते हैं। लेकिन पापुलेशन किस तरह से कंट्रोल की जाय यह भी बड़ी गंभीर समस्या है और जितनी हमारी कठिनाइयां हैं उनका मूल कारण आबादी की बहुतायत है और जिस तेजी से वह बढ़ती जा रही है वह रफ्तार भी है। खैर ये बातें तो इससे सीधा ताल्लुक नहीं रखतीं, रिमोट (दूरवर्ती) ताल्लुक तो इसका जरूर है।

जहां तक इस सुझाव का ताल्लुक है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जरूरत है। पहले जो अधिनियम बना था वह बहुत सोच विचार कर बना था। अब इस विधेयक की मंशा तो केवल यह है कि वह अस्थायी न रह कर स्थायी हो जाय। इसलिये मेरी समझ में कोई जरूरत नहीं है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

एक बात जो माननीय मही लाल जी ने कही कि लोगों को बसाने में अक्सर देर हो जाती है जो इस तरह बाढ़ से आक्रांत हो जाते हैं। तो ऐसी बात तो मेरी नोटिस में लायी

नहीं गयी। केवल एक बात कही गयी है कि चार महीने के बाद जमीन अक्वायर की गई यों तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट है जिसके अनुसार नार्मल (सामान्य) तरीके से जमीन अक्वायर की जाती है। इसलिये यह कानून बनाया गया है। इसमें जमीन का एक्वीजीशन एक दम से हो सकता है। तो जहां अधिकारियों ने कोई गलती की हो या आगे कहीं करें वह अगर माननीय सदस्य मेरी नोटिस में ले आयें तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ऐक्ट की मंशा पूरी हो और अधिकारियों को आदेश दिये जायं कि वे ऐसे कामों में बिलकुल देर न लगायें।

जहां तक बाढ़ ग्रसित लोगों को दूसरे किस्म की सहायता देने का सवाल है वह तो इससे संबंध नहीं रखता। उनके लिये ग्रेटुइशस रेलीफ वगैरह देने के अलाहिदा नियम हैं। उनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। तो माननीय सभापति जी, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि यह मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो जाय।

अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२––१९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना में––

(क) शब्द "संयुक्त प्रांत के कुछ क्षेत्रों में हाल की बाढ़ों से विस्तृत हानि पहुंचने के कारण" निकाल दिये जायं;

(ख) शब्द "हो गया है कि बाढ़–पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ इमारत के लिये स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत किया जाय" और उस सम्बन्ध में अधिकारों की व्यवस्था की जाय" के स्थान पर शब्द "है कि बाढ़–पीड़ित क्षेत्रों में क्षति प्राप्ति लोगों को सहायतार्थ इमारती स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत करने के लिये अधिकारों की व्यवस्था की जाय" रख दिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं एक शाब्दिक संशोधन करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता––किस खंड पर ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––मूल अधिनियम की धारा २ में (c) जो है....

अधिष्ठाता––आप हिन्दी में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी में ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––यहां पर तो अंग्रेजी में हैं। मूल अधिनियम हिन्दी में तो है ही नहीं।

अधिष्ठाता––संशोधन तो हिन्दी के विधेयक पर आ सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––यह तो ऐसा है कि यूनाइटेड प्राविन्सिेज लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के स्थान पर जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५१ कर दिया जाय––

अधिष्ठाता––मैं आज्ञा नहीं देता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक का खंड २ विधेयक का भाग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निर्दोष संशोधन लाना चाहता हुं। मेरा यह विश्वास है कि प्रस्तावक महोदय उसे स्वीकार कर लेंगे। मैं यह संशोधन करना चाहता हूं कि निम्नलिखित खंड ३ बढ़ा दिया जाय:

(३)---मूल अधिनियम के खंड १ में---

(क) उपखंड (१) में शब्द तथा ब्रेकेट "अस्थायी अधिकार" निकाल दिये जायं।

(ख) उपखंड (३) में "यह तुरन्त लागू होगा" के बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

यह बहुत ही निर्दोष संशोधन है। यह अंग्रेजों की जो प्रतियां हैं उनमें तो है, हिन्दी वाली प्रतियों में यह भ्रम से आया नहीं। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---मुझको स्वीकार है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि---

३---मूल अधिनियम के खंड १ में:

(क) उपखंड (१) में शब्द तथा ब्रैकेट "अस्थायी अधिकार" निकाल दिये जायं।

(ख) उपखंड (३) में "यह तुरन्त लागू होगा" के बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि नया खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९४८

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय संपत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट में संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९४८

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि १९४८ का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट में संशोधन किया जाय, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का भाग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय ।

अधिष्ठाता—(श्री गेंदा सिंह के खड़े होन पर) मैं माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहूंगा कि इस स्टेज पर जो संशोधन स्वीकृत हुआ है उसी पर उनका भाषण हो सकता है । क्या माननीय गेंदा सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं केवल इसी संशोधन पर कहना नहीं चाहता हूं । यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ।

अधिष्ठाता—मजबूर हूं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२ , पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक , १९५२ पर विचार किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ़ आर्डर सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ओरीजनल ऐक्ट है यह लेजिस्लेटिव कौंसिल आफ इंडिया ऐक्ट १८६१ का है और गवर्नर जनरल द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है । आज जो यह ऐक्ट आया है तो इसको संशोधित करने के लिये यह सदन काम्पीटेंट नहीं है । इसको केवल पार्लियामेंट ही संशोधित कर कर सकती है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चेयरमैन महोदय, मैं इसका ठीक मतलब तो नहीं समझा लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि पहले वक्त के जितने कानून हैं उनको हमने ज्यों का त्यों रख लिया है । उनमें संशोधन करने का हमें पूरा अधिकार है । मैं नहीं समझता कि कोई कानूनन आपत्ति हो सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मूल अधिनियम लेजिस्लेटिव कौंसिल आफ इंडिया ऐक्ट १८६१ है और गवर्नर जनरल ने इसको स्वीकृति दी है । अब मैं नहीं समझता कि केवल एक प्रांत का सदन, कैसे इस को संशोधित कर सकता है, केवल पार्लियामेंट ही मैं समझता हूं, कर सकती है । अगर नया ऐक्ट मंत्री जी ले आये हैं तो बड़ी आसानी के साथ स्वीकार हो सकेगा । मैं समझता हूं कि कि आप भी इससे सहमत होंगे और रूलिंग (व्यवस्था) देंगे कि यह सदन इसमें संशोधन नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट हो कर सकती है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चेयरमैन महोदय, जहां तक मैं समझता हूं जितने भी हमारे पुराने कानून हैं, नये संविधान के लागू होने के बाद, ज्यों के त्यों एडाप्ट (अंगीकार) कर लिये हैं और कानकरेंट लिस्ट (समीपवर्त्ती सूची) के मुताबिक हमें इनमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है ।

अधिष्ठाता—मैं माननीय गृह मंत्री से सहमत हूं और इस विधेयक को इन आर्डर (नियमित) समझता हूं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह संशोधन विधेयक जो मैं पेश कर रहा हूं यह बहुत सीधा और सरल है । पुलिस ऐक्ट के सेक्शन ३४ के मुताबिक जब कहीं मेले वग़ैरह का मौका आता ह जहां बहुत से आदमी जमा होते हैं तो वहां सफाई करने का अख्तियार उनको होता है कि

*१८ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कि किस जगह पर पेशाबखाना और पाखाना बनाया जाय और सड़क पर कूड़ा करकट न होने पाये। इस तरह का प्रबन्ध होता है। वह ऐक्ट टाउन्स में लागू होता रहा है फिर भी एक बात थी। बरसों से कुछ ऐसी व्यवस्था चली आती थी कि जहां देहातों में मेला होता था उसको वहां भी लागू कर देते थे, किसी ने कभी एतराज नहीं किया और यह सेक्शन देहातों में लागू कर दिया गया। लेकिन पिछले बरस नैनीताल में एक मेला हुआ वहां के मैनेजर ने एतराज किया कि गवर्नमेंट को सेक्शन ३४ वाले कानून को हमारे यहां लागू करने का अख्तियार नहीं है और हमने देखा कि जो दस्तूर चला आ रहा है वह गलत था और हमें उसको वापस लेना पड़ा। इसके बाद जरूरत समझी गयी कि मेले इस किस्म के दहातों में भी होते हैं, वहां भी सफाई वगैरह के इन्तजाम की जरूरत है लिहाजा इसके अन्दर केवल यह लिख दिया गया है कि शहरों में जो यह कानून लागू है वह देहातों में भी लागू किया जाय, खास-तौर से यही इसका मतलब है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। १९४७ में जब हमारे देश में स्वराज्य हुआ, उस समय मैं भी कांग्रेस का एक सेवक था और १९३६ में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल हमारे प्रान्तों में आये थे उस समय भी मैं कांग्रेस का सेवक था। दोनों परिवर्तनों के समय जनता में, पुलिस में और देश के पूंजीपतियों में जो भावना इन मंत्रि-मंडलों की तरफ थी उसकी जानकारी मुझे है। १९३६ के मंत्रि-मंडल के समय अगर्चे वह बहुत थोड़े समय तक रहा उस समय पुलिस के लोग विशेष कर हमारे देश की पुलिस, जो हमें उत्तराधिकार में वरासत के तौर पर ब्रिटिश सरकार से हमें मिली है और उस ब्रिटिश साम्राज्यवाद का लगभग २०० बरसों से इस देश में किसी न किसी रूप में आधिपत्य कायम रखने का काम करती रही है और जो बहुत अंशों में उन तमाम गुणों से परिपूर्ण है जो कि विदेशी साम्राज्य-वादी भ्रष्टाचारी सरकार में विद्यमान थे, काफी भयभीत हो गई थी। १९३६ और ४७ में जब हमारे देश में स्वराज्य हुआ तो उसमें आमूल परिवर्तन हुआ। १९३६ में आनन-फानन कुछ विशेष पुलिस आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाहियां हुईं जिससे उनमें काफी डर समा गया था और आशा थी कि वे स्वराज्य होने के बाद नई परम्परा के अनुकूल अपने को बना लेंगे। जहां तक मुझे याद है कानपुर के एक सब-इंस्पेक्टर को हमारे मुख्य मंत्री, माननीय गोविन्द-वल्लभ पंत जी ने कालेपानी भिजवा दिया था। १९४७ में जब हमारे देश में स्वराज्य हुआ तो उस समय पुलिस के अधिकारी घबड़ा उठे क्यों कि उनको आशा ही नहीं थी कि इतनी जल्दी परिवर्तन हो जायगा, वे तो उस विदेशी लूटने-वाली शक्ति के एक अंग बन चुके थे और वे हर तरह से ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे कि उस विदेशी सरकार के साथ जनता की गाढ़ी कमाई से बेजा फायदा उठावें। सन् १९४७ ई० में एक मौका था। उस समय ऐसी पुलिस अधिकारी थे कि जिन्होंने अपने अधिकारों के बाहर जाकर कांग्रेस की आजादी की लड़ाई में जनता के साथ ज्यादती की थी। वह बहुत घबराये हुये थे और आमतौर पर यह विचार था कि चूंकि उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर डंडे बरसाये थे और खासकर हमारे मुख्य मंत्री जी को तो इसका अनु-भव साइमन कमीशन के जमाने में हो चुका था, उस कारण वह लोग डरे हुये थे कि इस विभाग में आमूल परिवर्तन होगा क्योंकि यह विभाग देश की प्रगति को रोकने वाला विभाग कहा जाता था। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने महात्मा गान्धी के क्षमा प्रदान करने की नीति का गलत प्रयोग किया और ऐसे-ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई जिन्होंने बहुत अत्याचार किये थे। हमारे जिले में एक सब-इन्सपेक्टर थे उन्होंने सन् ४२ के आन्दोलन में यह कहा जाता है कि ३ महीने के अन्दर एक लाख रुपया पैदा कर लिया था। वह किसी गांव में चले जाते थे और कहते थे कि तुमने तार काट लिया, तुमने रेल की पटरी उखाड़ने की कोशिश की और इस तरह से १०-१५ आदमियों को इकट्ठा करके उनको रस्सी से

बंधवा देते थे और फिर काफी रुपया वसूल करते थे तब वह उनको छोड़ते थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उल्टे उनको सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बना दिया गया।

सरकार के इस रवैये के कारण धीरे-धीरे पुलिसवालों में यह विश्वास हो गया कि सरकार अयोग्य है और इसी कारण थानों में जगह जगह-उन्होंने जमीदारी उन्मूलन के बाद एक प्रकार की जागीरदारी स्थापित कर ली है।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह तकरीर जो हमारे मेम्बर साहब कर रहे हैं वह जनरल बहस कर रहे हैं या इस तरमीम पर बोल रहे हैं।

अधिष्ठाता—आप जारी रखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उस समय एक अवसर था अगर उस समय हमारी कांग्रेस सरकार चाहती तो इसमें आमूल परिवर्तन कर सकती थी क्योंकि सारे पुलिस विभाग के अन्दर डर समाया हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने उस समय कुछ नहीं किया। मुझे कांग्रेस की प्रान्तीय कान्फ्रेन्स याद है जो मऊ में हुई थी तब लगभग अधिकांश कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि उनको सजा मिलनी चाहिये जिन्होंने अपने अधिकारों से बाहर जा.कर सन् ४२ के आन्दोलन में देश की जनता के साथ गद्दारी की है, लेकिन उस समय इसके विरोधी हमारे वर्तमान गृह मंत्री थे और उन्होंने गान्धीवाद का कुछ ऐसा मिक्स (मिश्रित) तरीके से गलत प्रयोग किया था। अभी ४-५ साल पहले वह यह समझते थे कि यह अयोग्य हैं और शासन कायम नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने बजट के भाषण में यह कहा था कि जमींदारी खत्म करके आप सामन्तशाही को खत्म कर रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन वह सामन्तशाही नष्ट नहीं हुई है और वह नये रूप में सामने खड़ी हो रही है जो इन थानेदारों की शकल में है। मैंने यह शब्द दुखी हो कर कहे थे और वह शब्द बहुत कुछ समझे जा सकते हैं। लेकिन जो अवस्था वर्तमान थानों की मैं देखता हूं तो उनकी हर तरह से यही कोशिश रहती है कि किसी तरह से अवसर मिलना चाहिये कि जिससे घूसखोरी का फायदा उठाया जा सके। ऐसी सूरत में १८६१ के ऐक्ट की धारा ३४ को इस तरह से संशोधित करना कि देहात के बाजारों पर उसको लागू कर दिया जाय, मुझे बहुत ही अनावश्यक मालूम होती है। इसलिये पुलिस के हाथ में अशिक्षित जनता की जिम्मेदारी देना मैं किसी तरह से पसन्द नहीं करता हूं। देहात की जनता कायदे कानून को भी नहीं जानती है। उनके लिये दफा ३४ के मातहत पुलिस को अधिकार देना उचित नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी ने तो कह दिया कि सिर्फ सफाई और देखभाल का इन्तजाम उसके हाथ में रहेगा, यह बात नहीं है। यह दफा ३४ बहुत लम्बी है और इसकी आठ उपधारायें हैं। पुलिस के हाथ में उनके अधिकार को देने से बेजा फायदा उठाया जा सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, एक पुराने नवाब साहब का किस्सा सुना था। एक अक्लमन्द आदमी था जिसने इस बात की कोशिश की कि उसके यहां जो एक आदमी घूस लेने में होशियार है उसमें रुकावट डाली जाय। उन्होंने उस आदमी को इस बात के लिये नियुक्त किया कि वह दरिया समुन्दर में लहरें गिने। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और लहरें गिनने लगा। उन्होंने सोचा था कि इस काम में क्या भ्रष्टाचार वह कर सकेगा लेकिन उसने जितने भी जहाज और नाव उधर से आते थे सब को यह कह कर कि उसको लहरें गिनने में कठिनाई होती है रोकना शुरू किया और जो उधर से जाता था वह उनसे रुपया लेने लगा। उसके बाद उसको दूसरी जगह पर लगाया गया। बादशाह सलामत की तरफ़ से एक सोने की मोहर बनने वाली थी उस पर उर्दू में 'हसन' शब्द खुदने वाला था और उसकी खुदाई एक अक्षर की एक रुपये के हिसाब फी मुहर ३ रुपया मक़र्रर कर दी गयी थी। इस काम के लिये उस व्यक्ति को लगा दिया गया कि इसमें वह क्या भ्रष्टाचार करेगा जब उस की शरह मुक़र्रर है। उस ने भी बाद-शाह से कहा कि सरकार हमारे ख़िलाफ तो बेकार की शिकायतें हैं। हम यही काम करेंगे जो बिलकुल सीधासादा है। बाद में पता चला कि 'हसन' में जो ३ अक्षर हैं उसके बारे में कारीगर

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

गर से उस ने कहा कि अगर उर्दू का ख़स ही शब्द खोदना होता तो उसको उर्दू के शब्द ख़स जिसमें केवल दो अक्षर थे दो ही रुपया मिलता । हसन और ख़स में अन्तर केवल यह है कि ख़स का खे का विन्दु हसन के नून के पेट में रख दिया जाय । और इस तरह उसकी मजदूरी केवल फो मुहर दो ही रुपया हुई । और इस तरह से उस ने वहां भी बीच में एक रुपया खाना शुरू कर दिया ।

इसी प्रकार का अभी पिछले साल का अपने जिले फ़ैजाबाद का क़िस्सा सुनाता हूं । वहां पर अयोध्या में सावन में एक बड़ा भारी मेला होता है और वहां उस मेले में स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से प्रबंध होता है कि उस मेले में लोग हैजे के टीके लगवा कर सर्टिफ़िकेट लेकर ही जांय । वहां क्या हुआ मैं आप को बताऊं कि वहां के पुलिस सिपाही ने तो उन नवाब साहब के कर्मचारी को भी मात कर दिया । लोग मेले में सर्टिफिकेट लेकर जाते थे तो सर्टिफ़िकेट देखा जाता था लेकिन उसके बाद उसका पास रखना या न रखना जरूरी नहीं होता । लेकिन उस पुलिस वाले ने एक अजीब तरकीब निकाली कि जब वहां से लोग वापिस आते थे तो वह उनसे पूछता था कि तुमने अपना सर्टिफ़िकेट थाने में जमा किया या नहीं किया और जिसके पास मौजूद होता था उनसे वह एक रुपये से ५ रुपये तक वसूल करता था यह कह कर कि तुमने सर्टिफिकेट जमा क्यों नहीं किया । इस तरह की आज को पुलिस और हमारे गृह मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार देना चाहते हैं । अगरचे हमारे गृह मंत्री ने वैधानिक आपत्ति भी बतलायी और कहा कि सुव्यवस्था के लिये इसकी जरूरत है, लेकिन आज जो अवस्था हमारी पुलिस की है उसको देखते हुये यदि अधिकार दिये जायं तो यह अनुचित होगा ।

इंगलैंड की पुलिस अपने को जनता का सेवक समझती है और उसके साथ विनम्रता से पेश आती है, लेकिन यहां की पुलिस सरकार के रवैये पर चलती है और छोटे से बड़े तक हर अफ़सर से लेकर गांव के चौकीदार तक अपने को जनता का शासक समझता है और हर तरह से गांव वालों को परेशान करता है । अगर इस तरह से धारा ३४ जो १८६१ के ऐक्ट की है वह गांवों में लागू होगी तो उसमे बड़ा अनर्थ होगा । मुझे बड़ी खुशी होती यदि स्वराज्य के बाद जन-सहयोग से मेलों की व्यवस्था का सुझाव आता और हम उसे अवश्य स्वीकार करते ।

हमारे देश में आजादी आयी और सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यह प्रयत्न हो रहा है कि लोगों में नागरिक सेन्स (भावना) आये और लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें । यह ऐसा मौक़ा था कि जनता को अधिकार दे कर जनता के चुने हुये स्वयंसेवक होते और उनके द्वारा सरकार सहायता देकर व्यवस्था करती जिससे हमारे नौजवानों को भी ट्रेनिंग मिलती और स्वायत्त शासन की स्थापना का भी हमें मौक़ा मिलता । लेकिन उस अवसर को इस बिल को ला कर खोया गया है । गृह मंत्री जी तो वहीं "मक्षिका स्थाने मक्षिका" पर चलते हैं । नई परम्पराओं के अनुसार उनको संशोधन करने चाहिये थे । मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की लेकिन यह पता नहीं चला कि १८६१ के ऐक्ट में कभी कोई संशोधन भी हुआ या नहीं । इतने पुराने ऐक्ट के संशोधन का मौक़ा इसी समय आया है और इसके द्वारा देहात वालों की क़िस्मत को भी इन्हीं पुलिस अधिकारियों के हाथ सौंपा जा रहा है । यदि पूरा-ऐक्ट ओवरहाल (पूर्णरूपेण परिवर्तित) हो जाता और ऐसी सुव्यवस्था की जाती कि जिससे पुलिस विभाग में आमूल परिवर्तन हो जाता और साथ ही साथ देश के नौजवानों को भी स्वायत्त-शासन के अधिकारों को बरतने का मौक़ा दिया जाता तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । अगर आप ऐसा भी कर देते तो आपका उद्देश्य उत्तम हो सकता है । लेकिन मैं इसमें एक बहुत जबरदस्त ख़तरा देख रहा हूं इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं इस ऐक्ट में जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसका विरोध करने के लिये मजबूर हूं ।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप किसी विशेष आज्ञा से या संभव हो तो जिस समय इस विधेयक पर चर्चा हो रही है आप स्वयं अपनी तरफ से एक इस क़िस्म का प्रस्ताव लायें कि वह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और उसमें इस तरह से सुझाव लायें जायं

जो हमारे स्वतंत्र भारत में गौरव योग्य हों । आप को इसमें किसी प्रकार की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है । अगर इसके लिये २-४ महीने इंतजार भी करना पड़ेगा तो भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी । अगर भारत सरकार की आजादी की नयी परंपरा के योग्य सुनियोजित संशोधन उपस्थित करेंगे तो अच्छा होगा । इन्हीं बातों के आधार पर मैं संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों को वापस लेकर मेरी तक़रीर की रोशनी में ऐसे संशोधन उपस्थित करें जो सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को मान्य हो सकें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना छोटा सा विधेयक था और उसमें हमारे गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह भी बहुत छोटा था और मैं समझता था कि माननीय सदस्यों को इसके विरोध में बोलने की कोई आवश्यकता ही न पड़ेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक की सारी कहानी लम्बी हो गयी और उसमें कई कहानियां भी पैदा हो गईं और उसके विषय में बोलते हुए एक माननीय सदस्य जो कि प्रजापार्टी या किसी और पार्टी या सोशलिस्ट प्रजा पार्टी के मेम्बर हैं, उन्होंने अपने भाषण में यह फरमाया और किस्सा भी सुनाया और कहा कि अगर इसमें कोई बुनियादी बात छिपी हुई न होती तो वे उसका विरोध न करते । जहां तक बुनियादी बात का संबंध है, अध्यक्ष महोदय, यह समय नहीं है कि उस पर ज्यादा प्रकाश डाला जाय ।

मैं तो केवल इतना ही कह देना मुनासिब समझता हूं कि आपको आदत पड़ गई है विरोध करने की जैसे कि किसी पाठशाला में एक भूखा लड़का पढ़ता था। मास्टर साहब ने उससे पूछा कि दो और दो कितने होते हैं तो लड़के ने कहा चार रोटी। इसी प्रकार से आपको आदत हो गयी है विरोध करने की और उस विरोध करने में आप जमींन का सवाल उठा देते हैं, कहीं स्वराज्य के प्राप्त करने के बाद आजादी का सवाल उठा देते हैं कहीं कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति में उनके डंडे पड़े, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी उनके साथ ही डंडे पड़े, कहीं कहा गया कि कांग्रेस वालें तो गांधीवाद के सिद्धान्तों पर चल ही नहीं रहे हैं, और फिर कहा कि हम लोग तो गांधीवाद के सिद्धान्तों को समझ भी नहीं पाये हैं। जहां तक इन सिद्धान्तों को समझने का सवाल है कि हम उनको कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ देना उचित समझता हूं। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कह देना उचित होगा कि शुछ लोग शुरू से ही समझे हुए हैं और कुछ लोग उसको देर से समझते हैं। उसका प्रभाव जो कुछ हो रहा है वह तो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि अनशन से लेकर चरखा और चरखा से लेकर हल तक तो वे आ गये हैं। बड़े दुख की बात है कि उधर के लोगों को इधर बैठने का मौका तो मिलेगा ही नहीं अगर एक आध मिनट का मौका भी मिल जाय तो शायद वे इस पुलिस को इनाम भी दे देंगे।

प्रश्न तो इस समय केवल यह है कि आया विधेयक को गांव तक पहुंचाया जाय या नहीं। इतनी सी बात के लिये इतनी बातें कही गईं। जिस बात का फायदा या नुक़सान अयोध्या के मेले में आज उठाया जा रहा है तो क्या कारण है कि उसका फ़ायदा गांव के लोग न उठा सकें और विशेषकर जब उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके अनुसार आज तक गांव के मेले में काम हुआ यह हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और यह सही है। अलावा इसके कि पुलिस बिल्कुल सड़ गई है और यह सरकार सड़ गई है, ये नारे सारे हिन्दुस्तान में दोहराये गये, और कुछ नहीं कहा गया है। अब यह कहना कि हिन्दोस्तान की पुलिस इंगलैण्ड की पुलिस नहीं है, तो अब अध्यक्ष महोदय, मुमकिन है कि मेरे लायक़ दोस्त इस बात के लिये सहमत हों कि फिर से अंग्रेजी पुलिस के मातहत यहां काम शरू किया जाय। तो वह तो अपनी जगह पर वही रही। गांवों में शहरों की अपेक्षा अज्ञानता भी अधिक है और सफाई की अधिक आवश्यकता है। इसलिए इस बिल की गांव के लिये ज्यादा जरूरत है। हमारे गृह मंत्री जी ने हमारे सामने २ मिनट का आदर्श रखा था और उधर से कुछ और आदर्श रखा गया है तो मैं इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाऊंगा। यह विधेयक गांव के मेलों में पहुंचना बहुत आवश्यक है। दुनिया में मौत होती है और कोई

[श्री रामनरेश शुक्ल]

खराब दवा होती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई अफ़सर या सिपाही खराब काम करता है तो आप उसके लिये उसे सजा दीजिये। मैं गांव का प्रतिनिधि हूं, अयोध्या और फैजाबाद जैसे शहरों का नहीं हूं।

इन अल्फाज के साथ मैं इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं और गृह मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि गांव की जनता के लिये उन्होंने प्रबन्ध किया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---मैंने सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता साहेब का व्याख्यान बहुत ग़ौर से सुना प्रस्ताव में तो उन्हें कोई शिकायत नहीं है लेकिन उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि पुलिस को अधिकार दिया जा रहा है और चूंकि वह अच्छी नहीं है वह इसका दुरुपयोग करेगी। मैं उनसे सहमत हूं कि पुलिस में खराबियां हैं और इसे बजट के समय हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कबूल किया था। आपने फरमाया कि आशा यह थी कि स्वराज्य मिलने के बाद हम पुलिस को बदलेंगे। अगर आपको मालूम नहीं कि एक सिपाही की ट्रेनिंग के लिये ६ महीने लगते हैं और एक सब-इन्स्पेक्टर के लिये ढाई साल लगते हैं। फिर कुछ दिन नायब सब-इन्सपेक्टर रहते हैं, उसके बाद इन्चार्ज हुआ करते हैं। तो अगर ये सब थानेदार और सिपाही निकाल दिये जायं तो इसमें कोई शक नहीं कि रिश्वत तो सब बन्द हो जायगी लेकिन डकैती शुरू हो जायगी और चोरी बढ़ जायगी तथा ऐसी ही बहुत सी चीजें और शुरू हो जायंगी।

बार-बार कहा जाता है कि रूस में, चीन में तो फौरन करप्शन (भ्रष्टाचार) बन्द हो गया। लेकिन आप याद रखें कि जहां उन्होंने बहुत से ऐबों से बचने की कोशिश की वहां बहुत से दूसरे नये ऐब सामने आये भी। तो इसको किस तरह से ओवरहाल (आमूल परिवर्तित) किया जाय इस पर गौर करना जरूरी है। सोशलिस्ट पार्टी भी इस पर गौर करे।

हर पार्टी में अच्छे आदमी भी होते हैं और बुरे आदमी भी होते हैं। क्या सोशलिस्ट पार्टी में बुरे आदमी नहीं हैं? क्या सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी कमेटी ने बहुतों को बुरा समझ कर अपनी पार्टी से नहीं निकाल दिया है? सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो अब उसको छोड़ कर बाहर चले गये हैं उनके व्याख्यानों को सुनें कि वे सोशलिस्टों को क्या कहते हैं? श्रीमती अरुणा आसफ अली जो पहले सोशलिस्ट पार्टी में थीं वे अब उसके लिये क्या कहती हैं? तात्पर्य यह है कि हर तबके में अच्छे आदमी और बुरे भी रहते हैं। इसलिये कुछ आदमियों की खराबी की वजह से तमाम पुलिस को खराब कहना ठीक नहीं है। हर आदमी गरीबी, परेशानी और महंगाई की वजह से तबाह है इसलिये गलतियां करता है मगर अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लायक दोस्त से अर्ज करना चाहता हूं कि सन् ४७ में जिस वक्त पब्लिक प्रतिहिंसा की भावना से पागल हो गयी थी, पाकिस्तान में कत्लेआम होने के बाद, तो क्या उस वक्त पुलिस ने बलवे को कंट्रोल नहीं किया? जिस वक्त पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा था उस वक्त यहां कुछ जगहों को छोड़ कर शेष भारत में नमाज़ हो रही थी क्या यह ग़लत है। इन्तजाम करने के काम में क्या उसने बहादुरी नहीं की? मैं अर्ज करूं कि जब डाकुओं की तरफ से दनादन गोलियां चलती हैं तो ये पुलिस के सिपाही और अफसर वृन्द अपने भविष्य की आशा छोड़ कर, मां, बाप, बेटों का मोह छोड़ कर डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। पुलिस के सिपाही मरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, लेकिन सरकारी हुक्म की पाबन्दी करते जाते हैं। इसलिये जहां आप उनकी कमजोरियों की बुराई करें वहां उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये। सुधार एकदम नहीं होता। उसमें टाइम लगता है। इसलिये मैं अपने विरोधी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि विरोध केवल विरोध के लिये नहीं होना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के दोस्त जहां विरोध कर रहे हैं वहां पुलिस के बारे में अपनी राय भी बदलेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृहमंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इसलिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय सीताराम जी शुक्ल ने हमसे कहा कि हम पुलिस के बारे में अपनी राय बदल दें, इस पर कुछ सोचें विचारें। मैंने इस पर एक मिनट में सोच विचार लिया। हमारी पुलिस से इतनी ज्यादा शिकायत नहीं है, जितनी कि पोलिटिकल पार्टियों से। अगर शहरों में यह कानून लागू होता है, तो ठीक है, लगना ही चाहिये, लेकिन अगर गांव में ऐसा कानून लगाया जाय तो हमें डर है कि अगर कहीं हम लोग इधर-उधर पेशाब करने के लिये भी बैठ जायेंगे तो पुलिस के हाथों में पकड़ कर जेलखाने में भेजवा दिये जायंगे। इसलिये मैं कहना चाहता था कि इस बिल का उद्देश्य क्या था? इसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह बहुत अच्छा कहा और मैं इससे सहमत हूं। गांवों में जहां पर मेले होते हैं, वहां पर इन्तजाम करने के लिये इसको लागू करना ठीक है, और उससे कानून का उद्देश्य भी पूरा होता है। लेकिन अगर सारे रूरल एरिया (ग्रामीण क्षेत्र) में सेक्शन ३४ लागू हो जाय तो फिर इससे बड़ी आफत मच जायगी। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी शायद इसको सफाई कर देंगे।

इस सम्बन्ध में मैं आपको एक किस्सा बतलाऊं कि अभी मैं शहर मसूरी में गया था तो वहां एक स्थान है जहां बस खड़ी होती है। वहां पर मैं एक जगह गया जहां यूरिनल लिखा हुआ था। उसकी खूंटी मैंने खोली नहीं खुल सकी। फिर मैंने देखा कि क्या बात है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि एक आना इसके अन्दर डालो तब दरवाजा खुलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गांवों में भी यह पुलिस सेक्शन ३४ लागू हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी मुश्किल हो जायगी। इसको पढ़ने से मालूम होगा कि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो नियूसेंस (उपद्रव) के काम माने जाते हैं। तो उससे बड़ी मुसीबतें होगी। अगर मेलों तक ही सीमित रहे तो हमारे माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने एक संशोधन दिया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रूरल एरियाज को डिफाइन (परिभाषित) कर दिया जाय और मेलों में ही यह चीज लागू की जाय अगर यह प्रश्न इस रूप में आवे तो माननीय मंत्री जी उसको मान लेने को कृपा करेंगे। पुलिस की बड़ी तारीफ की गई है। हमें पुलिस के सिपाहियों से ज्यादा शिकायत नहीं है। पुलिस तो हर हुकूमत में रहेगी चाहे वह सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो और चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो इसलिये पुलिस के बारे में कहना कि बहुत खराब है, ठीक नहीं है। हमें खास पुलिस से शिकायत नहीं है। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि गांवों में लोग शान्ति पूर्वक रहते हैं, उनको तंग न किया जाये। गांवों में गन्दगी होती है उसके लिये तो गाँव पंचायतें हैं और वह काफी सुधार कर भी रही हैं। पंचायतों को अगर और अधिकार दे दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि पुलिस को अधिकार दिये। और गांवों के अन्दर यह दफा ३४ लागू न की जाय। इस बिल का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब यह सिर्फ मेलों के लिये ही आवे और गांवों के अन्दर लागू न हो यही मेरी प्रार्थना माननीय मंत्री जी से है, और मुझे आशा है, कि इसको वह स्वीकार करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय चेयरमैन महोदय, आज का यह विवाद पुलिस ऐक्ट की धारा ३४ से सम्बन्धित है। पुलिस ऐक्ट की इस धारा से शायद ही किसी भी माननीय सदस्य का कोई विरोध हो। धारा ३४ में तीन चार चीजें हैं रोड्स, स्ट्रीट्स और थारोफेयर। इससे सम्बन्धित कुछ रुकावटें हैं जैसे कोई पशुओं के साथ निर्दयता न कर सके, या जख्मी पशुओं को सवारियों में न हांक सके, सड़कों पर कूड़ा करकट न डाल सके और किसी प्रकार की कोई गन्दगी न पैदा कर सके। सड़कों की तीन श्रेणियां जो हैं उन पर किसी प्रकार का कोई आबस्ट्रक्शन (अवरोध) न करे यही मन्तव्य धारा ३४ से है। मुझे तो आश्चर्य है कि धारा ३४ केवल नगरों के लिये क्यों थी। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र मुझसे सहमत होंगे या नहीं किन्तु मेरा विश्वास है कि धारा ३४ जब सन् १८६१ में बनाई गई उस समय ऐसा विश्वास था, उस दिन की राज्यसत्ता को, कि भारतवासी अभी इतने

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

शिक्षित नहीं हैं, वह लोग इतने असभ्य हैं और वह इस प्रकार की चीजें गांवों में करेंगे ही और हमें उनको ऐसे ही रहने देना चाहिये। मैं तो लज्जित होता हूं जब मैं इस तर्क की कसौटी पर धारा ३४ को उतारता हूं। मैं नहीं समझता कि आज का यह सदन भी जिसमें कि हमारे समाजवादी मित्र भी हैं, स्वतंत्र दल के भी मित्र हैं और मेरे जैसे कांग्रेसी सदस्य भी हैं, इस तर्क से सहमत होंगे। फिर भी इस दफा ३४ के वाद-विवाद में यह कहा गया है कि इसको ग्रामीण क्षेत्रों में लागू न किया जाय। पुलिस की आप विवेचना करते। पुलिस के सम्बन्ध में आप जो कहना चाहते हैं वह समय-समय पर कहते हैं। मैंने भी सदा कहा है और जो कुछ कह सकूंगा आगे भी कहूंगा। न यह कि धारा ३४ के लिए जिसका अर्थ केवल यह है कि आप अपनी स्ट्रीट्स, थारोफेअर्स और रोड्स अवरोध रहित कर सकें। जख्मी पशुओं को चलाया न जाय, मनुष्य अपने अंगों को एक्सपोज (खुला) न करें, इस धारा ३४ को ग्रामीण क्षेत्रों में न लाया जाय। मैं आपके द्वारा अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसका विरोध न करें। उनको इस बारे में शिकायत है और उन्होंने मुझसे कहा भी कि यदि केवल मेलों तक सीमित रहे तो शायद उनको इसमें कोई आपत्ति न होगी। मैंने जब इस विधेयक का उद्देश्य पढ़ा तो उसमें तो यह है कि कस्बों और गांवों में लगने वाले मेलों में उक्त धारा प्रसारित करने की व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। किन्तु जहां यह मौजूद है वहां जो उपधारा (२) धारा ३४ में लगायी जायगी उसमें इस सम्बन्ध में केवल यह है--

"The State Government may, by notification in the official Gazette, extend to any rural area, specified in the notification, the provisions of sub-section (1) and thereupon its provisions shall apply to such area as if it were a town to which the said sub-section had been specially extended."

तो कुछ विरोधाभास तो है। जहां तक उद्देश्य का सम्बन्ध है, जैसा कि उद्देश्य में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कस्बों में जो मेले लगते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि यह विधेयक केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करने का उद्देश्य है।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

किन्तु यदि जैसा कि मैं गांवों के सम्बन्ध में जानता हूं यदि यह उपधारा जिस प्रकार से बढ़ायी जा रही है, इसी प्रकार से रहेगी। तो उद्देश्य का अर्थ केवल उद्देश्य तक ही रहेगा, वह उपधारा गांवों का अंग न बन सकेगी। नियम के सम्बन्ध में मेरा ऐसा मत है। इसलिये मैं गृह मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि वह यह चाहते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र में केवल मेलों तक ही सीमित रहे तब तो कृपा करके वह इस उपधारा २ के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण अवश्य करें। यदि वह यह चाहते हैं कि चाहे किसी ग्रामीण-क्षेत्र में मेला लगे या न लगे, यह बिल जो आगे चल कर अधिनियम का रूप धारण करेगा, लागू किया जायगा तो वह निश्चित रूप से इस उपधारा को इसी रूप में रख सकते हैं।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो स्पष्ट रूप से इस मत का हूं कि यदि इस विधेयक को अब ग्रामीण क्षेत्रों पर लगाया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो समझता हूं कि १८६१ में इस देश के सम्बन्ध में जो विचार किया जाता था कि इस देश के निवासी इतने असभ्य हैं कि वह इस प्रकार की बातें ग्रामीण क्षेत्र में करते ही हैं तो मेरा मत है कि समस्त सदन इस सम्बन्ध में विचार लें और विचार कर निश्चय करें। मुझे याद आ गया, और सदन के सदयों को स्मरण होगा कि मदर इंडिया में मिस मेओ ने लिखा है कि जब कभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक पहुंचती हूं तो उसका चिन्ह है कि दुर्गंध आने लगती है।

दूसरा चिह्न यह है कि यदि मैं किसी मार्ग से जाना चाहती हूं तो वहां पर मार्ग नहीं मिलता, घूरे ही घूरे मिलते हैं। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह सदन के लिये चरितार्थ रहे?

यदि नहीं चाहते तो मैं तो नहीं देखता कि धारा ३४ को यदि ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाया जाय तो इस सदन के सदस्यों को क्या एतराज इसमें हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि केवल मेलों तक सीमित न करके इस धारा को वह आगे ले जायं और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सके। यदि इस तरह का नियम बना सकें तो अच्छा हो।

मेरे मित्रों को तो पुलिस पर एतराज हो सकता है। लेकिन मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि वह इस देश की किस श्रेणी से प्रसन्न हैं। यदि मैं स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछूं कि आखिर यदि पुलिस की ही शिकायत करना है तो कर लीजिये। हम भी करते हैं। एक समय था जब कि इसके लिये बहुत कुछ शत्रुत्व की भावना के लिये पुलिस के विरोध में किया जा सकता था। यह सरकार कर सकती थी, लेकिन कुछ सिद्धान्तों के अनुयायी होने के कारण वह नहीं किया। कुछ सिद्धान्तों के अनुयायी होने के कारण यदि इस सरकार को कुछ दूसरी बात करनी पड़ती तो मैं अपने मित्रों से पूछूंगा कि आखिर भ्रष्टाचार को किस दिशा में नहीं पाते। जिस देश में सारा समाज, मुझे क्षमा किया जाय, जिस देश के डाक्टर, जिस देश के वकील, सरकारी कर्मचारी, जिस देश के प्यादे और जिस देश के छोटे से छोटे, अदना से अदना आदमी का सबसे पहला प्रयास होता है कि अधिक से अधिक धन किसी दिशा से मिले, उस देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? और यदि केवल सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आरोप लादने की बात है कि वे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो क्या आरोप लादने से यह चीजें ठीक हो सकती हैं। मेरी यही उनसे प्रार्थना है और मैं उनसे यह केवल प्रार्थना करूंगा श्रीमान् आपके द्वारा, वह इन चीजों को गम्भीरता से विचारें। कारण कि जिस रूप को हमने स्वीकार किया उसका एक रूप है और उसी रूप पर चल कर क्रान्ति का कोई रूप इस देश को दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं।

श्री ऐजाज़ रसूल---जनाब स्पीपर साहब मैं आपको इजाजत से क्लोजर मूव (विवादान्त प्रस्तावित) करना चाहता हूं।

अध्यक्ष---अभी एक दो और बोल लें, उसके बाद।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा गृह मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि दफा ३४ देहातों में, ग्रामों में न लागू की जाय। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस कितनी खराब है और कौन पार्टी कितनी अच्छी है और कौन खराब है। इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो इस नजर से देखता हूं कि यह दफा ३४ अगर ग्रामों में, देहातों में लागू हो गयी तो देहात के रहने वालों को इससे कुछ सुविधा मिलेगी या उनको कष्ट मिलेगा। मेरी राय में तो हमारे प्रदेश के देहातों में शायद भंगी किसी घर में न जाता होगा। जहां सौ घर होंगे वहां एक या दो घर भी ऐसे नहीं होंगे जहां भंगी जाता हो। वहां के जितने रहने वाले हैं वह सब अपने खेतों में पाखाना पेशाब के लिये जाते हैं। औरतें अक्सर खिड़की के रास्ते से जो हर घर में होती है पेशाब करने के लिये बाहर बैठ जाती हैं। क्योंकि मेहतर नहीं होते हैं लिहाजा पाखाने नहीं बने हुए हैं और जो हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा कि यह केवल रोड, स्ट्रीट और थारोफेयर की बात है, वह शायद जानते नहीं या उन्होंने यह बात नहीं पढ़ी कि इसमें ओपिन प्लेस भी रखा गया है जिसका संशोधन सन् १८९५ में हो चुका है।

"Any person who on any road or in any open place or street or thorughfare....."

[कोई व्यक्ति जो किसी पथ या खुली जगह या सड़क या सार्वजनिक मार्ग पर...]

तो मैं यह कहूंगा कि खिड़कियों के पास अक्सर ओपिन प्लेस (खुला स्थान) बनी होती है, इस बात को देखें; इसके अलावा इस बात को भी देखें कि वहां जो लोग अपने

[श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा]

जानवर मवेशी बांधते हैं तो अक्सर बाहर ओपिन प्लेस में बांध देते हैं। इस दफा ३४ में यह भी लिखा हुआ है कि जानवर के बांधने से वह जो न्यसेंस (उपद्रव) होगा उससे भी केस होगा। इसके अलावा वहां सैनिटेशन का कोई इन्तजाम न होने की वजह से नाबदान यों ही निकाल दिये जाते हैं और न कोई सफाई का वहां इन्तजाम है इन सब बातों को सोच कर और देखकर यह सोचना चाहिये कि आया हमारी ग्रामीण जनता इसके लिये तैयार है कि वहां दफा ३४ लागू की जाय या न की जाय। कोई पुलिस ऐक्ट का संशोधन नहीं पेश है। सिर्फ सवाल यह है कि आया पुलिस ऐक्ट की धारा ३४ देहातों में लागू की जाय या न की जाय। मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा कष्ट ग्रामीण जनता को होगा। वे लोग पहले घूर भी गांव के अन्दर लगाते थे मगर अब कुछ दिनों से कोआपरेटिव या सहकारी संस्थाओं के जरिये और हमारी पंचायतों के जरिये घूर गांव के बाहर लगने लगे हैं। यह जो घूर की व्यवस्था हो गयी है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गयी है मगर और जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर सोच समझ कर यह देखना चाहिये कि या यह अच्छा होगा कि एक कांस्टेबिल या चौकीदार, जो विदाउट वारंट पकड़ सकता है, वह किसी से कहे कि चलो तुम्हारा दफा ३४ में मैंने चालान किया। हमारे प्रदेश में दो फिर्के के लोग रहते हैं। हिन्दू भी यह कहते हैं संध्या में :

ऊंतत चक्षुर देव हितं प्रस्ताच्छुक मुच्चरति, पश्शेम शर्षः शतं, जीवे शर्दः जीवे शर्दः शतं, शिराणायां शर्दः शतं, पब्रवम्बामशर्द शतं, अदीनाःस्याम शरदः शतं, भूयश्चय शरदः शतात्।

यानी किसी के अधीन या किसी की मातहती में न रह कर के हम सौ वर्ष तक जीवें और दूसरे फिर्के में भी कहा जाता है कि जहां स्वराज्य नहीं होता है वह दारुलहरब कहलाता है यानी जंग का मैदान कहलाता है। अब स्वराज्य मिलने के बाद हमारी ग्रामीण जनता पर और कष्ट हो यह ठीक नहीं है। जिन्होंने स्वराज्य हासिल करने में मदद दी है उन सबको धन्यवाद है मगर जिस स्वराज्य के लिये हम सब ने इतना किया अगर उसके हासिल हो जाने के बाद ग्रामीण जनता को और अधिक कष्ट दिया जाय तो उचित नहीं होगा। मैं तो यह समझता हूं कि उनको सिखाने पढ़ाने की ज्यादा व्यवस्था की जाय ताकि वे गीता के उस श्लोक के मुताबिक अपनी जिन्दगी बसर कर सकें :—

उद्धेरदात्मनात्भानम नात्मानभव सादयेत्।
आत्मैव ह्यत्मनों बन्ध शत्मैव रिपुरात्मनेः।।

यानी मनुष्य अपने आप अपने दुःख और सुख का पैदा करने वाला है। अगर इस तरह की भावना जनता में आ जाय तो जनता स्वयं इन सब बातों पर ज्यादा विचार कर सकती है। जब हमारी ग्रामीण जनता में ज्यादा शिक्षा हो जाय और वह इन सब बातों को समझने लगे तब यह कानून लागू हो, जैसा शहरों में है, तो ज्यादा हर्ज नहीं होगा परन्तु इस समय यह कानून लागू कर देने से बहुत ही कष्टकारक होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चाहता तो मैं भी यह था कि अगर सम्भव होता माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस संशोधित विधेयक को स्वीकृत कर लेना लेकिन जब मैं एक ओर देखता हूं कि जिस विधेयक को और जिन धाराओं को आज तक ब्रिटिश नौकर शाही ने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भी हमारे देहाती इलाकों में लागू करना उचित नहीं समझा, उसके लिये हमारी सरकार आज यह उचित समझती है कि उसको देहातों में लागू किया जाय तो मुझे कुछ संशय होता है कि मैं किस प्रकार इस संशोधित विधेयक को स्वीकार करूं। हम यह देखते हैं कि इस सदन के ही जरिये इस सारे प्रदेश के देहातों में एक नयी प्रकार की राज्य

की व्यवस्था हुई है जिसे कि हम पंचायत राज व्यवस्था कहते हैं और जिस के द्वारा हम यह दावा करते है कि हम देहात-देहात में गांव-गांव में झगड़े कम करेंगे, मुकदमेबाजी कम करेंगे जो क्रिमिनल ऐक्ट्स होते है जो दंगे फसाद होते हैं उनको कम करेंगे और न्याय का एक नया शांतिपूर्ण जीवन देहात में हो जायगा । और पंचायतें भी आज सारे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीक़े पर चल रही हैं । तो हम यह देखते है कि जब कि उद्देश्यों में कहा जाता है कि हम केवल बड़े बड़े मेलों में इसको रखेंगे वहां जब ऐक्ट का सवाल आता है तो जो विरोधाभास माननीय आचार्यजी ने बतलाया वह विरोधाभास भी हमारे सामने आता है कि मेलों के नाम पर सारे देहात में इस दफ़ा ३४ को जब लगाने की बात आती है तब यह हम नहीं समझते कि किस प्रकार हम अपनी परम्पराओं के अनुसार चल रहे है । एक ओर हम पंचायतों के सुप्रबन्ध की बात करते है, उनसे आशा करते हैं कि "ला ऐंड आर्डर" (शांति और व्यवस्था) और झगड़े वगैरह सब व्यवस्थित हो सकेंगे और दूसरी तरफ़ हम मेलों के लिये समझते हैं कि दफा ३४ बढ़ानी चाहिये । हम तो समझते हैं कि इस प्रकार पुलिस ऐक्ट की दफ़ा ३४ को देहातों में बढ़ाना पंचायत राज के सिद्धान्तों का अपहरण करना है ।

मेलों का इन्तज़ाम करने के लिये अगर आस-पास की ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं से कहा जाय तो उसको ठीक प्रकार से चला सकती हैं । आप यह देखें कि जो ये धाराएं हैं वे किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में मेलों पर लागू होंगी । मेले ऐसे नहीं हुआ करते हैं आज इस ज़िले के इस स्थान पर है तो दूसरी बार उसी दूसरे ज़िले के दूसरे स्थान पर है । हमारे प्रदेश में जो बड़े बड़े मेले होते हैं वे बड़े समय से एक ही स्थान पर होते चले आ रहे हैं, चाहे गढ़मुक्तेश्वर का मेला लीजिये चाहे कहीं और का लीजिये । जो मेले देहात में होते हैं वे भी किसी निश्चत स्थान पर ही होते हैं । हमारे ज़िले में पैती में एक मेला होता है काशीपुर में जहां १५, २० हज़ार बैलगाड़ियां रोज़ आती हैं । मैं जानना चाहता हूं श्रीमन्, कि जब यह कहा जाता है कि a person shall not drive furiously (कोई व्यक्ति भीषण रूप से गाड़ी न चलाये) वहां की क्या हालत होगी कि जहां हजार बैल गाड़ियां इधर से चली आ रही हैं और हजार बैल गाड़ियां उधर से चली आ रही हैं और सड़क बनी नहीं है, पतली सड़क है, हजारों आदमी पैदल भी चल रहे हैं तो वहां पर आप किस को कहेंगे कि तुम तेज़ चला रहे हो । कोई भी पुलिस वाला आ कर कह सकता है कि 'तुम' बैलगाड़ी तेज़ चला रहे हो । मेलों में बैलगाड़ियां खड़ी करने का कोई स्थान तो होता नहीं है कि मानों मोटर स्टैण्ड सा बना हुआ है और वहीं पर सब लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं । इतनी बैलगाड़ियां आती हैं उनका क्या होगा ? क्या उनके लिये स्टैण्ड का इन्तजाम होगा ? क्या हम इससे पुलिस के हाथ में "तानाशाही" की ताकत नहीं दे देंगे ? यह मैं नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले बदमाश और बेईमान होते हैं लेकिन जहां तक सवाल यह है कि कोई पुलिस आफिसर जो बदमाश हो सकता है, बेईमान हो सकता है तो उसका वह दुरुपयोग कर सकता है कोई पुलिस आफिसर जो इस कानून का दुरुपयोग करना चाहेगा वह आसानी के साथ किसी भी काश्तकार को परेशान कर पायेगा

इसके साथ-साथ इसमें और भी बहुत सी बातें हैं । 'गुड्स के सेल' पर भी इसमें पाबन्दी है । कोई सामान नहीं बेच पायेगा । हमारे यहां के मेलों का कोई प्लानिंग नहीं होता है कि यहां पर खोनचे वाला बैठेगा और यहां पर रस्सी वाला बैठेगा । ऐसा कुछ नहीं होता है । जब हम नजर डालते हैं कि "any person who exposes anything for sale" (कोई व्यक्ति जो कोई सामान बिक्री के लिये रखता है) तो इस पर मेले में कहीं भी किसी पर भी एतराज हो सकता है । जरा सी बात पर कह देंगे कि आप इस तरह से सौदा बेंच रहे थे और उनका चालान हो जायगा । इस तरहसे तो मेलों में आना जाना भी लोगों का बंद हो जायगा । इसके आलावा पहाड़ों पर हमारे यहां बागेश्वर का मेला लगता है, जहां बहुत ज्यादा तादाद में भेड़े आती हैं जो छोटे से मैदान में फैल जाती हैं, ऊन और नमक लाते हैं तो वहां पर पुलिस वाले उनको परेशान

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कर सकते हैं कि तुम भेड़ें लाये हों, नमक लाये हों । तो इस तरह से इनके जरिये हम क्या करने जा रहे हैं । एक देवीधरों का मेला होता है । वहां पर आपस में पत्थर चलते हैं । अंग्रेजों ने इसके रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया । परम्परा है क्या किया जायगा । कहीं लोग जानवरों की बलि देते हैं और बकरे काटे जाते हैं तो इसके अनुसार कंटिल (जानवर) मारना भी पाप है । अगर किसी काश्तकार ने बलि देना शरू किया तो यह भी ऐक्ट में आता है । इस तरह से आप इस संशोधक विधेयक को लाकर के मुकद्दमेबाजी बढ़ा रहेहैं । इससे जो पुलिस वाले बदमाश हैं, उनके हाथ में ताकत आ जाती है । इसके लिये क्या 'चेक' है, क्या 'ब्रेक' है, क्या उपाय है । मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है । नियंत्रण तो नहीं कर पाये लेकिन अनियंत्रण हो जायगा ।

मैं समझता हूं कि देहातों में जो मेले हों वहां पर प्लानिंग किया जाय । मैं यह नहीं कहता कि वहां अलग अलग बाजार नियत किये जायं । बल्कि पुलिस वालों से कहा जाय कि यहां पर इस तरह की दुकानें होंगी पर सख्ती न हो । इस तरह के इसमें बहुत से एतराज हैं । अगर देहात में कोई जानवर मर जाय तो मोची उसका चर्म निकालना चाहे तो उसकी भी मनाही है । इसमें लिखा है कि "who cleans any carcass" (जो किसी पशु-शव को साफ़ करता है) यानी मोची उस मरे हुये जानवर के चर्म को भी नहीं निकाल सकता है । ऐसी ऐसी बातें इस दफा में लिखी हुई हैं जिनको हम लागू करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं । आज पुलिस ने बुलन्दशहर में क्या किया, बनारस में कैसा लाठी चार्ज किया । यह लम्बी दास्तान है और रोजमर्रा होती रहती है । हमारा यह पुलिस ऐक्ट १८६१ का अंग्रेजी नौकरशाही का बनाया हुआ है । मुझे खुशी होती अगर गृह मंत्री जी ऐसे संशोधन लाते जिनसे उस पुराने ऐक्ट की खराबी दूर होती । अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिये, हम लोगों को दबाने के लिये जो ऐक्ट अंग्रेजों ने बनाया था और जिन धाराओं में जनता को दबाने की शक्ति थी ऐसी धाराओं को निकल जाना चाहिये था । यह आज हमारे सामने जो यह संशोधन आ रहा है उसके द्वारा ऐक्ट को देहात के मेलों पर लगाया जा रहा है और मैं नहीं जानता कि मंत्री जी के पास कौन ऐसा उपाय है या व्ययवहारिक प्रयत्न है जिसके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से या आवृत्ति होने से वह रोक पायेंगे ।

श्री ऐजाज रसूल—मैं स्पीकर साहब से इजाजत चाहता हूं क्लोजर मूव करने के लिये ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय तो उसके बाद कई भाषण हुये जिनको सुन कर मैं तो दंग रह गया । ऐसा मानना चाहिये कि जिन लोगों ने मुख्तलिफ भाषण दिये वह जरूर यह समझते होंगे कि उनके द्वारा उन्होंने इस उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की होगी, लेकिन क्या सेवा की मेरी समझ में तो आया नहीं । सवाल उठाया गया कि पुलिस तो बड़ी नामाकूल है, बेहूदा है । इस वक्त मैं पुलिस की वकालत करने की तो मुझे जरूरत है नहीं । इस संबंध में जो कुछ कहना था वह दूसरे मौके पर कह चुका लेकिन जो लोग इस किस्म की बात उठा रहे थे, महीने डेढ़ महीने पहले बजट के मौके पर भी शायद वे लोग पुलिस पर बोले होंगे और उस समय पुलिस की शिकायत और तारीफें भी की गई । उस वक्त किसी नें नही कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नामाकूल है कि उस सारी पुलिस को तोड़ देना चाहिये । पुलिस इस लायक तो है कि उसके ऊपर ६, ७ करोड़ रुपया खर्च कर दिये जायं, पुलिस इस लायक तो है कि उत्तर प्रदेश की

५, ६ करोड़ की आबादी की रक्षा का भार तो उसके हाथ में सौंप दिया जाय लेकिन पुलिस इस लायक नहीं है कि मेलों का इन्तजाम उसके हाथ में दे दिया जाय। फिर एक दलील यह दी गई कि आज स्वराज्य होने पर यह सेक्शन देहातों में लागू किया जा रहा है जब कि अंग्रेजी सरकार ने भी इस चीज को गांवों में लागू नहीं किया लेकिन अब लागू किया जा रहा है। तो क्या वह समझा जाय कि अंग्रेजों ने उस वक्त देहातों में अस्पताल नहीं खोले, तो अब भी न खोले जायं, उन्होंने देहातों में स्कूल नहीं खोले तो अब भी न खोले जायं, बड़ा विलक्षण, तर्क है। इन बातों के कोई मानी नहीं है। इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स (उद्देश्य और कारणों के विवरण) साफ़ लिखा हुआ है कि सेक्शन ३४

"Section 34 of the Police Act, 1861, can be extended at present to towns only. But necessity for its extension to *melas* which very often are held outside the limits of towns has been experienced. The present Bill is intended to enable its provisions to be so extended to *melas* in villages and outside towns."

[पुलिस ऐक्ट, १८६१ की धारा ३४ अभी केवल क़स्बों में प्रसारित की जा सकती है किन्तु अनुभव से यह प्रतीत हुआ कि ऐसे मेलों में भी जो प्रायः क़स्बों की सीमा से बाहर लगा करते हैं, उसे प्रसारित करना आवश्यक है। क़स्बों से बाहर तथा ग्रामों में लगने वाले मेलों में उक्त धारा को प्रसारित करने की व्यवस्था के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।] खामख्वाह एक लम्बी चौड़ी बात कह दी कि साहब देहात का चमार यों मारा जायगा, देहात के गरीब आदमी यों तबाह हो जायेंगे, बिल्कुल फिजूल बात है। इन बातों का इस बिल से कोई संबंध नहीं। कोई इरादा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जितने गांव हैं उनमें स्थायी तौर से यह सेक्शन लागू कर दिया जाय। फिर एक दलील यह दी गई कि गांव पंचायतों के ऊपर मेलों का इन्तजाम छोड़ दिया जाय। म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहां भी इस सेक्शन ३४ से काम लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वहां भी इसी सेक्शन ३४ से काम लिया जाता है। फिर अगर देहातों में इसको लागू कर दिया जायगा तो क्या खराबी हो जायगी। यह अंधेर हो जायगा, वह अंधेर हो जायगा, बड़ा गजब हो जायगा लेकिन अंधेर शहरों में ऐसी कोई चीज कभी नहीं हुई। जो लोग भाषण देते हैं उनको भाषण देते समय यह समझना चाहिये कि यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेलों का स्वयं इन्तजाम किया है और जहां सेक्शन ३४ बारबार लागू होता था। जैसा मैंने बतलाया कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं। बराबर २० बरस से उत्तर प्रदेश में जहां जहां मेले होते थे यह सेक्शन लागू था, हर जगह लागू होता था लेकिन कोई मुसीबत नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर यहां मौजूद हैं, प्रेसीडेंट मौजूद हैं जो मेलों के मैनेजर रहे हैं लेकिन कहीं किसी किस्म की बात पैदा हुई हो, या मुसीबत हुई हो सुनने में नहीं आई तो अब यकायक कैसे पैदा हो जायगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह जरूर है कि नैनीताल में एक मेला हुआ उसने यह चीज पैदा कर दी कि जो अच्छा काम गलत तरीके से, १८६१ जब से यह कानून बना है, हर जगह होता आया है, कभी किसी ने एतराज नहीं किया, हर जगह दफा ३४ मेलों में लागू की जाती थी लेकिन नैनीताल में जो मेला हुआ वहां के प्रबन्धक को यह बात सूझ गई कि यह दफा ३४ का लागू करना कानून के खिलाफ है, उस कमी को लीगेलाइज वैध करने के लिये यह संशोधक विधेयक पेश किया गया है और इसके लागू होने से किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो सकती। एक बात सोच लेना चाहिये कि अगर इस किस्म के मेले होते हैं और उनमें हेल्थ का इन्तजाम नहीं किया जाता तो जो लोग मरेंगे उनकी जिम्मेदारी किस पर होगी लोग कहते हैं कि प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय, जनमत के लिये भेज दिया जाय यह सब तो किया जाय लेकिन मेले तो इस बीच में बन्द नहीं हो जायेंगे। मेले होते रहेंगे और हजारों मेले होते रहेंगे जो अनहाइजनिक (अस्वच्छ) तरीके से होंगे। मैं यह समझता हूं कि लोगों को इसके ऊपर राय सोच समझकर देनी चाहिये अगर मेले होते हैं तो वहां पर उन लोगों के स्वास्थ्य की और उनकी तन्दुरुस्ती की जिम्मेदारी क्या वे अपने ऊपर लेते हैं। मैं यह समझता हूं कि वह हरगिज उस जिम्मेदारी को लेने के

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लिये तैयार नहीं हो सकते। लिहाजा मैं यह समझता हूं कि सदन इस मूल प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २

१८६१ के ऐक्ट ५ की धारा ३४ में संशोधन।

(१) पुलिस ऐक्ट, १८६१ को वर्तमान धारा ३४, ३४(१) के रूप में पुनः परिगणित होगी।

(२) पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) में शब्द "residents" और शब्द "or passengers" के बीच में शब्द "visitors" रख दिया जायगा और शब्द "section" के स्थान पर "subsection" रख दिया जायगा।

(३) पुनः परिगणित धारा ३४ की धारा (१) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (२) और (३) के रूप में रख दी जायगी :

"(2) The State Government may, by notification in the official Gazette, extend to any rural area, specified in the notification, the provisions of sub-section (1) and thereupon its provisions shall apply to such area as if it were a town to which the said sub-section had been specially extended.

(3) The extension under sub-section (2) may be either for a specified or an unspecified period and in respect of all or any of the offences as may be specified."

श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि दफा ३४ की उपधारा २ के उपखंड (३) के अन्तर्गत मूल अधिनियम (१८६१ का ऐक्ट ५) की पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के उपरान्त प्रस्तावित उपधारा (२) में पंक्ति २ में शब्द "any rural area" के स्थान पर शब्द "Such mela or bazar in any rural area as is" रख दिये जायं।

यह संशोधन मैंने केवल इस ख्याल से रखा है कि देहातों में पुलिस के प्रबन्ध से देहाती जीवन में बहुत कठिनाई हो सकती है और यदि उनका प्रबन्ध जहां तक इस प्रबन्ध का ताल्लुक है वह केवल मेले और बाजार तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। मैंने यह संशोधन दाखिल करते समय यह विचार कर लिया था कि आखिर इसको वापस लेना ही है। अगर मंत्री महोदय इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह यदि इसको उचित समझते हैं तो स्वीकार कर लें वरना मुझे इसके वापस करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के संशोधन का जो उद्देश्य है मैं उससे सहानभूति रखता हूं लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारा कभी एक क्षण के लिये भी यह विचार नहीं है कि इसको स्थायी रूप से देहाती जीवन में लागू किया जाय

और देहात के लोगों को किसी प्रकार से स्थायी कष्ट हों। मेले या बाजार कभी कभी लगने की चीज है। कभी २, ४ दिन के लिये लगते हैं और सप्ताह या ५ दिन के लिये मेले बाजार लगते हैं। इससे देहात के जीवन में किसी तरह से बाधा नहीं पड़ती। इस संशोधन के जो शब्द हैं उनमें मुझे कुछ दिक्कत है। वह मेला ही शब्द रखते हैं। और हमने रूरल एरिया रखा है। इस वजह से कुछ फर्क पड़ता है मेले की जो परिभाषा है उसके अनुसार उतने ही क्षेत्र में जहां पर दुकान लगती है या गाड़ी खड़ी होती है या जहां पर कुछ लोग भीड़ लगाये हुये हैं वहां पर माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना होगा। उतने ही क्षेत्र में या एक दो फर्लांग उसके आसपास तक जरूर सफाई का इन्तजाम हो सकता है अन्यथा सफाई नहीं हो सकती है। इसलिये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इसके आगे हमारा विचार इस ऐक्ट को ले जाने का नहीं है।

और मैं समझता हूं कि वह इसको वापस लेंगे, मेरे कहने से नहीं बल्कि इस लिये कि मैं ने जो कुछ कहा उस को वह स्वयं मानेंगे कि यह उपयोग की चीज है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रामअधार तिवारी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने जो इसके उद्देश्य बतलायें इस संबंध में वह सब उन उद्देश्य और कारणों से विपरीत हैं जो इस में लिखे हुये हैं। इनमें कहा गया है "किन्तु तुम से यह प्रतीत हुआ कि ऐसे मामलों" में भी प्रायः कस्बों की सीमा से बाहर लगा करते हैं उसे प्रसारित करना आवश्यक है। "लेकिन मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस को सारे देहात में स्थायी रूप देना आवश्यक है।"

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——मैंने एक क्षण के लिये ऐसा नहीं कहा।

श्री रामअधार तिवारी——मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह माननीय मंत्री जी को मंजूर नहीं है तो मुझे उस को वापस लेने की आज्ञा दी जाय। ऐसी अवस्था में किसी को इस प्रस्ताव के समर्थन में या उसके संबंध में बोलने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष——आपका यह प्वाइंट आर्डर उचित नहीं है। अब वापस लेने की अनुमति देने का अधिकार केवल इस सदन को है। और सदन ने अभी उसका उपयोग नहीं किया है इसलिये अभी आपका संशोधन सदन के सामने है और कोई भी उस का समर्थन कर सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——खैर, जो कछ भी माननीय मंत्री जी ने कहा हो मैं चाहता कि वह स्पष्ट रूप से बतावें कि जैसे उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि यह ऐक्ट केवल मेलों हो में जो कस्बों की सीमा से बाहर होते हैं लागू किया जायगा लेकिन कहा यह गया कि अगर जरूरत पड़ी तो सब जगह फैलाया जा सकता है। इस तरह से यह उद्देश्य और कारणों के विपरीत पड़ता है और जो संशोधन है वह और उद्देश्य कारणों के अनुकूल पड़ता है और ऐक्ट को ठीक कर देता है। इसके साथ ही साथ अभी माननीय मंत्री जो ने उत्तर देते हुये कहा था कि पुलिस ऐक्ट तो सन् १८६१ से लागू है इस वक्त तो केवल उसको लीगलाइज (वैध) किया जा रहा है। उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि "पुलिस ऐक्ट १८६१ की धारा ३४ अभी केवल कस्बों में प्रसारित की जा सकती है।" अब तक तो यह अन्दाजा उद्देश्य और कारणों से होता था कि कस्बों और मेलों में ही . . .

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——'की जाती है' 'की जा सकती है,' नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मंत्री जी को शायद बुरा सा लग रहा है। हमको उनकी मंशा पर बिलकुल शक नहीं है लेकिन जिन को अधिकार दिये जाते हैं वह भी उनका प्रयोग

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उनकी ही मन्शा के अनुसार करेंगे इसमें हमें संदेह है। यदि माननीय मंत्री जी स्वयं सुपरवाइज करें तो जो वह कह रहे हैं उसी के अनुसार वह इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिये इस संशोधन का माना जाना आवश्यक है और श्री राम अधार जो अभी निराश न हों और वह सदन की राय लेने दें वापस लेने की अभी जरूरत नहीं है। शायद माननीय मंत्री जी ही आगे मान जायं। अभी कोई जल्दी ऐसी नहीं है।

श्री राम अधार तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड २ के उपखंड (३) के अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट, १८६१ की पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद बढ़ाई गई नई उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय:—

"Provided that (1) for the management of the *Mela* or Bazar etc. concerned, volunteers selected from the Scouts' organisation or Prantiya Raksha Dal or volunteers recruited temporarily by the Gaon Panchayats or the local bodies where section 34 of the Police Act of 18 is not applicable, will be utilized in place of police constables by the Superintendent or Superintendents of Police of the area concerned.

(2) The expenses incurred in this connexion will be borne by the police department.

(3) The latrines and urinals will be constructed in the area on Government expenses."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक पेश हुआ था तो मैंने यह कहा था कि हमारे देश की पुलिस में वह परिवर्तन नहीं हुआ है जिसकी हम आजादी के बाद इच्छा रखते थे। इस बात का बड़ा डर है कि यदि ३४ दफा को देहाती क्षेत्रों में या मेलों या बाजारों में लागू कर दिया जायगा तो उससे बड़ा संकट उपस्थित हो जायगा। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ इशारा भी किया। अभी माननीय सदस्यों के सामने ऐक्ट की धारा ३४ नहीं आई। मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ देना चाहता हूं। ३४ धारा का पहला आइटम है जिससे इस विधेयक का संबंध होगा और वह यह है।

"First—Any person who slaughters any cattle or cleans any carcass; any person who rides or drives any cattle recklessly or furiously, or trains or breaks any horse or other cattle:

Second—Any person who want only or cruelly beats abuses or tortures any animal:

Third—Any person who keeps any cattle or conveyance of any standing longer than is required for loading or unloading or for taking up or setting down passengers, or who leaves any conveyance in such a manner as to cause inconvenience or danger to the public:

Fourth—Any person who exposes any goods for sale:

Fifth—Any person who throws or lays down any dirt, filth, rubbish or any stones or building materials or who constructs any cowshed, stable or the like, or who causes any offensive matter to run from any house, factory, dung-heap or the like:

Sixth—Any person who is found drunk or riotous or who is incapable of taking care of himself :

Seventh—Any person who wilfully and indecently exposes his person, or any offensive deformity or disease, or commits nuisance by easing himself, or by bathing or washing in any tank or reservoir not being a place set apart for that purpose :

Eighth—Any person who neglects to fence in or duly to protect any well, tank or other dangerous place or structure."

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को उपस्थित करते हुये यह कहा था कि रास्ते और सड़कों की सफाई के लिये ही यह संशोधन लाया गया था मैंने इसके आठों आइटम उपस्थित किये और यह कहा कि शहरों में जहां शिक्षित लोग हैं, वहां पुलिस वाले इस बात को हमेशा करते ही जाते हैं और मैंने उस समय पुलिस के सिपाहियों का और शायद बजट के समय भी जब इसका जिक्र हुआ तो सरकारी बेंन्चों की तहरीरों से यह मालूम हुआ कि हम पुलिस विभाग को पसन्द नहींकरते हैं। हम तो समझते हैं कि बिना पुलिस के काम ही नहीं चल सकता। हमने बराबर कहा है कि हमको फ़ख़्र है ऐसी पुलिस पर, ऐसे पुलिस अफ़सरों पर जिनके बारे में हम अख़बारों में पढ़ते हैं कि आज इस डाकू को मारा आज उस डाकू द्वारा मारे गये । लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी और साथ ही साथ सदन के सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि हमें उन पुलिस वालों पर फख़्र है । इस देश में आजादी आई है और पाकिस्तान के बनने के कारण देश में गड़बड़ी उत्पन्न हुई उस समय भी इस पुलिस ने शांति और व्यवस्था को कायम रखा इस बात पर भी हमें फख़्र है अगर्चे बटवारे के फलस्वरूप जो मारकाट हुई उसकी ज़िम्मेदारी कांग्रेस पर है लेकिन जहां अच्छे काम करने वाले हैं वहीं बुरे काम करने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता । मैं यद्यपि माननीय मंत्री जो को उस सलाह को बहुत पसन्द करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी सही बात भी न को जाय जिसके कारण से देश में गड़बड़ी पैदा हो जाय लेकिन मैं यह देखता हूं कि जहां पुलिस कुछ बदली है वहां मेरा यह अनुभव है, सदन के माननीय सदस्यों का भी यह अनुभव है और हम इस बात को महसूस करते हैं कि पुलिस वाले अभी देहात में नहीं बदले हैं और वहां पर दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है । आवश्यकता है कि इस ओर क्रांतिकारी क़दम उठाये जायं । बराबर सरकारी दल की ओर से यह कहा जाता है और कुछ लोग इस बात के लिये नियुक्त हैं और वह उठ खड़े होते हैं और चाहे कितना ही अच्छा भाषण हो वे विरोधी पक्ष को सलाह देने लगते हैं। माननीय राम नरेश जी के दिमाग में जब से सोशलिस्ट प्रजा पार्टी मर्जर हुआ है खलबली पड़ गई है और उनको डर हो गया है कि कहीं सारे प्रांत की पार्टियां एक न हो जायं और उनकी सीट्स पर कब्जा न कर लें । उनकी बातों से सारी कांग्रेस पार्टी की घबराहट मालूम हो जाती है। मैंने अपने पहिले भाषण में कहा था कि हमें माननीय गृह मंत्री पर नाज़ है और जब वे शिक्षा मंत्री थे तब भी नाज़ था। हम उन्हें बहुत ही बद्धिमान मानते हैं। जो जो क़दम उन्होंने उठाये हैं वे बहुत ही ठोस क़दम हैंमुझे मालूम हुआ कि वे बीमार थे और इस संशोधन को अच्छी प्रकार से देख नहीं पाये और हमें आशा है कि शीघ्र ही वे कोई क्रान्तिकारी क़दम उठायेंगे और शिक्षा विभागों की तरह का पाँच सालों में कोई न कोई क्रांतकारी कदम पुलिस विभागमें भी उठाया जाय। अब हमारा देश १५ अगस्त से आज़ाद हो गया है, हमें सरकारी मशीनरी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिये और उसका बहुत सुधार और सावधानी से ही इस्तेमाल करना चाहिये ।

हमेशा सरकारी दल की ओर से यह चर्चा रही है कि हम विरोध करते हैं आप कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं उनमें गलतियाँ करते हैं आप तो समझते हैं कि जो कुछ करते हैं वह सही है आप तो शासन के मद में चूर रहते हैं। यदि हम आप को सलाह न देंगे कि आप ग़लत रास्ते पर जा रहे हैं तो आप कैसे सही रास्ता अपना सकते हैं। आपका काम विरोधी दल के सदस्यों को सलाह देने का नहीं है । हम सरकारी दल के सदस्यों को बता देना चाहते हैं कि हम उनकी कृपा से नहीं आये हैं बल्कि चुन कर आये हैं, कांग्रेसी उम्मीदवारों को हरा कर आये हैं। हम वही बात कहेंगे और आप को करने के लिये मजबूर करेंगे जिसको हम देश और प्रान्त के लिये सही समझेंगे ।

अध्यक्ष---यह संशोधन का हिस्सा नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैंने अध्यक्ष महोदय यह कहा था कि इसमें सुव्यवस्थित और सुनियोजित क्रांतिकारी सुझाव होने चाहिये उसी के अनुसार एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव मैं यहां उपस्थित कर रहा हूं। इस संशोधन के द्वारा हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप कांस्टेबिल्स का इस्तेमाल न करें लेकिन संभव है गृहमंत्री यह ख़याल करें कि वे वहां का इंतजाम नहीं कर सकते, वे लोग कि जिनका इस संशोधन में जिक्र है पूरा इंतजाम नहीं कर सकते । लेकिन मेरा कहना यह है कि एक जिला या दो जिलों का प्रमुख अधिकारी तो वहां एक ही होगा और वहां जो सुपरिंटेंडेंट होगा वही वहां का इंतजाम करेगा लेकिन कांस्टेबिल्स की जगह हम चाहते हैं कि स्वयंसेवकों को इस्तेमाल किया जाय । वे उन लोगों को सुझाव दे दें। और इसमें डिस्ट्रिक्ट स्काउट्स एसोसिएशन से लोग भर्ती किये जायं । दूसरी बात यह है कि प्रान्तीय रक्षा दल को इसमें हिस्सा लेने दिया जाय । तीसरी बात यह कि गांव पंचायतों से स काम के लिये स्वयंसेवक तैयार किये जायं। यूरिनल व लैटरिन वग़ैरह का इंतजाम करने का भार सरकार पर होना चाहिये । इस संशोधन के ज़रिये से सरकार गांव पंचायतों को अधिकार नहीं देती । बल्कि एक खास मौके के लियें, मेले का इंतजाम करने के लिये यह चीज करते हैं । गृह मंत्री जी हर साल एक मेले के लिये समय समय पर या मौके मौके पर मुस्तकिल तौर पर खर्चा करना पसन्द नहीं करेंगे । ऐसा करना उनके लिये मुश्किल होगा । इसलिये मैंने सब को पढ़ कर बतला दिया कि अगर प्रान्तीय रक्षा दल के लोग नाकाफी हों, तो वे गांव पंचायत से कहें कि हमें इतने आदमियों की जरूरत है। उसका इन्तजाम तो सुपरिंटेंडेंट पुलिस करें लेकिन जो कांस्टेबिल की जगह पर ऐसे लोग रहे हैं। मैंने कहा था कि अपने तमाम सतत प्रयत्नों के बाद भी आप अभी तक जो नीचे स्तर के कांस्टेबिल हैं उन पर ऐसा असर नहीं डाल सके हैं कि वे अपने को जनसेवक बना सकें जैसा कि और राष्ट्रों की पुलिस अपने को समझती है और है । तो इस तरह की तमाम मुश्किलें जो आप के सामने पड़ रही हैं वे दूर हो जायंगी। साथ ही साथ हम देहात के लोगों को प्रान्तीय रक्षा दल और स्काउट का महत्त्व बतलायेंगे और उनको इस तरह से ट्रेंड (प्रशिक्षित) कर सकेंगे कि जब कभी ऐसी अवस्था सामने आवे तो हम आसानी से अपना काम कर सकें । माननीय गृहमंत्री जी जो मार्क्सवादी हैं और स्टेट तो हमेशा पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का एक प्रतीक है बराबर वही नहीं बनी रहेगी। हो सकता है कि कोआपरेटिव बेसिस पर जगह जगह इन्तजाम हो। और सत्ता का मार्क्सवादी विकेन्द्रीयकरण हो। आप को आये हुये ५ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक आपने कोई नयी परम्परा नहीं क़ायम की जिससे लोग यह समझें कि लकीर पर चलना हमारी परम्परा नहीं है । मैं पूछता हूं कि क्या इससे यह नहीं हो सकता है कि कोई खोनचेवाला जो अपनी दूकान लगाये हो उससे ८ आने और १ रुपया लेने की कोशिश की जाय ? ऐसा भी हो सकता है कि कोई नांचने वाली लहंगा पहन पर सड़क पर जाती हुई पायी जाय तो उससे कहा जाय कि तुमने अपने अंग का इस तरह से प्रदर्शन किया जो भद्दा कहा जा सकता है । तो ऐसी हालत में उससे भी एक दो रुपये लेने की कोशिश की जायगी। इसलिये मैंने इस सेक्शन को पढ़ कर सुना दिया कि इससे बड़ी मुश्किल हो जायगी । साथ ही साथ गृहमंत्री जी इस बात को महसूस करते हैं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं मेलों का प्रबंध करने के लिये वे जैसे कल्पना की चीज हों। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यहां भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो कई बरस से मेलों में प्रबंध करते रहे हैं और जिनका जाती अनुभव है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैं देहातों के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। मैं यहां पर शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं हूं बल्कि देहाती क्षेत्र का ही प्रतिनिधि हूं। मैं बज्र देहात का प्रतिनिधि हूं जहां पर ९५ फ़ीसदी लोग देहाती ही हैं।

इसके अलावा इस पर जो एक्सपेंस होगा वह पुलिस डिपार्टमेंट को बर्दाश्त करना होगा। इसमें पुलिस मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । अगर कांस्टेबिल के ज़रिये इंतजाम होता तो भी खर्च होता ही । इसके लिये यह कहा जा सकता है कि कांस्टेबिल के लिये कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती । लेकिन हम उतना ख़तरा नहीं मोल लेना

चाहते और प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो अगर इसके इन्तजाम करने में थोड़ा बहुत खर्च भी हो जाय तो उसके लिये कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यूरिनल व लैटरिन की काफ़ी उपेक्षा की जाती है । अगर मेरे सुझाव के मुताबिक़ इनके स्थान भी बन जायं तो इससे पुरानी परम्परा भी नहीं टूटती है और हम प्रसन्न होंगे अगर हमारे माननीय गृह मंत्री जी इन सुझावों को मान कर हमें अनुगृहीत करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——अध्यक्ष महोदय, मझे दुःख है कि जो संशोधन हमारे सामने रखा गया है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। उसका कारण यह है कि जिन लोगों का इसमें जिक्र किया गया प्रान्तीय रक्षादल के लोग या और जिन लोगों का जिक्र किया गया है उनकी कार्यदक्षता में या उनकी ईमानदारी में उनकी नेकनियती में एक क्षण भर भी मुझे या मैं समझता हूं हममें से किसी को भी कोई संदेह नहीं है । ऐसे मौके पर स्वयंसेवक लोग काम करते हैं इसका सब लोगों को अनुभव है । मैंने खुद एक दो वर्ष नहीं कई वर्षों तक काशी सेवा समिति की तरफ़ से काम किया है मेलों के मौकों पर शिवरात्रि के मेले और बड़े-बड़े मेलों के मौकों पर कार्य किया है लेकिन जिन लोगों को मेलों में काम करने का अनुभव है वह जानते हैं कि स्वयंसेवकों के भी काम करने की कुछ सीमायें हैं। वह उस सीमा से आगे नहीं जा सकते। कई जगह लोगों को रोकना है जैसे मन्दिर में कितने आदमी जायं, किस रास्ते से जायं, किस रास्ते से न जाँय, कितनी संख्या में जायं, कितनी संख्या में निकलें वह स्वयं-सेवक लोग करते हैं और बड़ी मेहनत से करते हैं लेकिन बाज़ काम वह नहीं कर सकते हैं यानी पुलिस कांस्टेबिल का काम दूसरे लोगों से लिया जाय वह नहीं कर सकते । जहां पर हम सब बातों का प्रबंध करते हैं वहां पर मेलों में ऐसे लोग होते ही हैं जो कानून को तोड़ते हैं। वह जब कानून तोड़ते हैं तो उन्हें कभी कभी गिरफ्तार करना भी जरूरी होता है तो यह काम तो पुलिस कांस्टेबिल ही कर सकता है । कोई ऐसा शख्स जो पुलिस कांस्टेबिल नहीं है नहीं कर सकता और यह एक अनुचित बात भी होगी कि पुलिस कांस्टेबिल के अतिरिक्त किसी नान-आफिशियल को कह दिया जाय कि तुम लोगों को गिरफ्तार करो तो यह तो बिलकुल बेकायदा बात है जब तक कि उसको स्पेशल कांस्टेबिल बना कर न भरती किया जाय । जिन लोगों को स्वयंसेवकों का काम करने का अनुभव है वे जानते हैं कि स्वयंसेवक स्वयं इस काम को करना पसन्द नहीं करेंगे वह खामखा गिरफ्तारी करें और अपने को झगड़े में डालें इसको कोई पसन्द नहीं कर सकता। इसलिये जहां तक स्वयंसेवकों के सहयोग की बात है वह तो लिया ही जाता है बराबर हर मौके पर लिया जाता है । लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो पुलिस ही कर सकती है । न वह कर ही सकते हैं और न करना ही पसंद करेंगे । इसलिये उनके खर्च वग़ैरह का जो दूसरा सवाल है वह उठता ही नहीं है। तीसरा इसमें जो लिखा गया है कि लैट्रिन्स और यूरीनल्स सरकारी खर्चे से बनवाये जायं तो जहां मेले का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होता है या वह किसी संस्था की तरफ से होता है तो वह संस्था तैयार करती है या जो मेले का मैनेजर होता है वह कुछ न कुछ दूकानदारों से तहबाजारी वगैरः वसूल करता है । उसी आमदनी से बराबर यूरीनल्स और लैट्रिन्स बनते हैं जैसा कि दस्तूर बना चला आया है इसलिये उसके बाबत कोई सवाल उठता ही नहीं है कि खामखा के लिये गवर्नमेंट के ऊपर यह खर्चा क्यों डाला जाय। इसलिये यह प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) बातें हैं सिद्धान्त की बातें नहीं और इन व्यावहारिक बातों को ध्यान में रखते हुये मुझे आशा है कि त्रिपाठी जी स्वयं अपने संशोधन को वापस लेलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२८ अगस्त, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न १—३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२-२५३ पर)

जिला का नाम	दरख्वास्तों की संख्या	दरख्वास्तों की संख्या		की गई कार्यवाहियां					
		जंगल संबंधी	नयावाद ग्रांट संबंधी	जंगल संबंधी दरख्वास्तें			नयावाद संबंधी दरख्वास्तें		
				स्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकार करने के कारण	स्वीकृत	अस्वी-कार	अस्वीकार करने के कारण
अल्मोड़ा	१३३६	१२२	१२१४	...	...	...	३३४	६७६	गौचर, पनघट की कमी, पेड़ों की बहुतायत, जिला बोर्ड तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के एतराज़ पर अस्वीकृत की गई २०४ दरख्वास्तें अभी विचाराधीन हैं।
गढ़वाल	१४५२	...	१४५२	...	...	...	४३२	१०२०	गौचर की कमी तथा नयावाद नियमों के अन्तर्गत दोषयुक्त होने के कारण अस्वीकृत हुईं।

टेहरी-गढ़वाल	२२०४	१५६	२०४५	३७	बाक़ी दरख़्वास्तें फ़ारेस्ट-सैटिलमेंट तक के लिये जो इस वक्त हो रहा है स्थगित कर दी गई हैं।	४१	८६४	गौचर की कमी तथा जिस गांव में भूमि चाहने की दरख़्वास्तें पड़ी उसमें ७५ प्रतिशत भूमि पहले से आबाद है। ११४० दरख़्वास्तें अभी विचाराधीन हैं।
नैनीताल	१३५	६८	६७	...	६८ क्योंकि मांगी गई भूमि वन विच्छेद नहीं की गई और कुछ दरख़्वास्तें पंचायती जंगल में स्थित भूमि के लिये थीं।	६	५३	कुछ दरख़्वास्तें गौचर, पनघट तथा पंचायती जंगल के लिये थीं। कुछ उन गांवों में भूमि के लिये थीं जिनमें ७५ प्रतिशत भूमि पहिले से आबाद है और कुछ गांव वालों की आपत्तियों के कारण अस्वीकार की गईं। शेष दरख़्वास्तें अभी विचाराधीन हैं।

इन दरख्वास्तों में जंगल में स्थित भूमि की मांग की गई है। ऐसी भूमि का अभी तक वन विच्छेद नहीं हुआ है परन्तु इसको वन विच्छेद करने का प्रश्न विचाराधीन है। इसलिये इन दरख्वास्तों पर कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५–२५६ पर)

सूची अ

क्रम संख्या	जिले का नाम	आर्थिक सहायता	
		ऋण	अनुदान
		रु०	रु०
१	कानपुर	८३,५००	३९,६७५
२	आगरा	२०,०००	१८,०००
३	बनारस	५०,५००	१६,०००
४	इलाहाबाद	९७,४५०	३५,४५०
५	लखनऊ	१,२३,०००	३८,६००
	योग	३,७४,४५०	१,४७,७२५

सूची ब

क्रम संख्या	जिले का नाम	आर्थिक सहायता
		रुपया
१	कानपुर	४,८६,७५०
२	आगरा	१,६७,०००
३	बनारस	६१,५००
४	इलाहाबाद	१,१७,५००
५	लखनऊ	२,९०,३००
	योग	११,२३,०५०

नत्थी 'ग'

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

सूची द

क्रम संख्या	नाम मय पता	आर्थिक सहायता ऋण	आर्थिक सहायता अनुदान
		रु०	रु०
१	जमना भेरों शू मेकर्स कोआपरेटिव सोसायटी, बेलनगंज, आगरा	५,०००	३,०००
२	हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसायटी, दयालबाग, आगरा।	२,०००	....
	योग	७,०००	३,०००

सूची र

क्रम संख्या	नाम मय पता	आर्थिक सहायता ऋण	आर्थिक सहायता अनुदान	
			रेकरिंग	नानरेकरिंग
		रु०	रु०	रु०
१	लेदर वर्किंग स्कूल, दयालबाग, आगरा	८,३८७	....	...
२	टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा	२५,०००	....	...
३	वायरमैन क्लास, टैक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा	१,५००	....	...
४	सेन्ट जोजफ इंडस्ट्रियल गर्ल्स स्कूल, आगरा	८४०	....	...
५	स्टीवर्ट मेमोरियल स्कूल, सिकन्दरा, आगरा	५००	....	...
६	नरेन्द्र विद्या मन्दिर, करौली, आगरा	३८०	....	...
७	महिला शिल्प कुटीर, आगरा	....	४००	...
८	श्री संतकुमार गोविल, आगरा	....	....	५००
	योग	३६,६०७	४००	५००

सूची य

क्र. सं.	नाम मय पूरा पता	आर्थिक सहायता रुपया
१	श्री घसीटामल, १४९३ शाहगंज, आगरा	२,०००
२	,, माधोदास, ५७५१ आलमगंज, जैतपुरा, आगरा	२,०००
३	,, मोहर सिंह, ४५ ओलिया रोड, आगरा	१,०००
४	,, हरबंश लाल, १५९३ गुजराती पाड़ा, नाई की मंडी, आगरा	३,०००
५	,, मुलधराज शर्मा, ९९ बाबू कटरा, आगरा	४,०००
६	मेसर्स पुरुषार्थी, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी, आगरा	७,०००
७	श्री नरायण दास, चिलियन्ट रोड, आगरा	१,५००
८	,, साधूराम, आवतराम कृष्णा बाक्स फैक्ट्री, फुलाती, आगरा	२,०००
९	,, वेद प्रकाश, जामा मस्जिद रोड, आगरा	१,५००
१०	,, सुखनौमल, दयाराम, ५४१७ नई बस्ती, आगरा	१,५००
११	,, बालुमल, मलका बाजार, आगरा	१,५००
१२	,, केशव दास, २६८१ पुनिया पाड़ा, लोहामंडी, आगरा	२,०००
१३	,, सेवाराम नकेरमल, काजीपाड़ा, छीपीटोला, आगरा	१,५००
१४	,, अमरचंद मल, जयपुर हाउस, सीकरी मंडी, आगरा	२,०००
१५	,, इन्द्र मोहन मेहता, स्टील गेट इन्डस्ट्री, ५।१४ कचहरी रोड, आगरा	२,०००
१६	,, जनवार दास, नानक मंडी, शाहगंज, आगरा	२,०००
१७	,, एलमल, बनारस बैंक फाटक, आगरा	१,५००
१८	,, हरीलाल, घटिया मामू भानजन, आगरा	१,०००
१९	,, सदानन्द, सिकन्दर मंजिल, नूरीगेट, आगरा	१,५००
२०	,, गरलामल, राजा काशीराज छाता, काश्मीरी बाजार, आगरा	१,०००
२१	,, नन्दलाल, क्वार्टर नं० १०४, कृष्णाकालोनी, जौनी मंडी, आगरा	१,०००
२२	,, जगन्नाथ, मोती कटरा, आगरा	१,५००
२३	,, हीरानन्द लद्धाराम, खुराना वीविंग फैक्टरी, मोती कटरा, आगरा	१,५००
२४	,, करमूमल, पंजाब वाशिंग कम्पनी, जसवन्त टाकीज, आगरा	१,५००
	कुल योग...	४७,०००

नत्थी 'घ'

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

(परिशिष्ट "क")

विभिन्न चीनी मिलों पर विभिन्न केन कोआपरेटिव सासोइटियों का पिछले सालों का बक़ाया धन (लाख रुपये में)

क्र.सं.	मिलों का नाम	बक़ाया गन्ने का मूल्य	बक़ाया कमीशन	कुल
१	दोईवाला	.०२	...	.०२
२	मन्सूरपुर	.०१	...	.०१
३	खतौली	.०६	.१५	.२१
४	सखोती	...	.०१	.०१
५	मोहीउद्दीनपुर	...	१.३०	१.३०
६	सिम्भौली	.७५	...	.७५
७	काशीपुर	...	.०८	.०८
८	पीलीभीत	.०५	.०५	.१०
९	धामपुर	...	.१८	.१८
१०	बिजनौर	...	२.७५	२.७५
११	बुलन्द रजा	.०७	...	.०७
१२	बाराबंकी	.३५	...	.३५
१३	हरदोई	.०३	...	.०३
१४	मसोधा	.०४	...	.०४
१५	हरगांव	.०६	...	.०६
१६	आयरा	.०४	...	.०४
१७	गोला	.०५	...	.०५

क्र. सं.	मिलों का नाम	बक़ाया गन्ने का मूल्य	बक़ाया कमीशन	कुल
१८	शाहगंज	.०४	.४९	.५३
१९	खलीलाबाद	.०१	...	.०१
२०	बस्ती	.०१	...	.०१
२१	तुलसीपुर	.०१	...	.०१
२२	बलरामपुर	.१०	...	.१०
२३	जरवल	.०४	...	.०४
२४	बैतालपुर	.०८	...	.०८
२५	देवरिया	.०६	.१५	.२१
२६	कैप्टेनगंज	.०३	.०५	.०८
२७	लक्ष्मीगंज	.७२	.२२	.९४
२८	रामकोला (खेतावन)	.०९	.३६	.४५
२९	कठकुइयां	.०५	...	.०५
		२.७७	५.७९	८.५६
	भटनी मिल से पाना है	.२१	...	.२१
		२.९८	५.७९	८.७७

नत्थी ङ

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

(परिशिष्ट "ख")

१९५१–५२ सीज़न में गन्ना देने वाले किसानों का मिलों पर बक़ाया धन ८ जुलाई, १९५२ तक

क्रम संख्या	मिलों का नाम	बक़ाया धन (लाख रुपये में)
१	दोई वाला	१०.३७
२	देवबन्द	४२.६४
३	लक्सर	३१.५७
४	सहारनपुर	४५.०७
५	मन्सूरपुर	३१.००
६	खतौली	३६.८९
७	रोहाना	३०.०२
८	शामली	३२.४७
९	सखोती	२७.०४
१०	दौराला	३१.५६
११	जसवन्त	३४.०८
१२	मोहीउद्दीनपुर	२६.६७
१३	बेगमाबाद	२१.८५
१४	सिम्भौली	२७.९६
१५	मवाना	१८.९९
१६	अब्दुल्लापुर (पूर्वी पंजाब)	१९.००
	पूरे क्षेत्र के लिये	४६७.१८
१७	कीछा	१८.१४
१८	काशीपूर	१३.७५
१९	नेवली	१५.३७
२०	अमरोहा	५२.४०
२१	बिलाड़ी	३९.४४
२२	बहेरी	२८.२५
२३	बरेली	२१.१०
२४	पीलीभीत	३५.५७
२५	धामपुर	४१.८७
२६	सेवहारा	४५.४१
२७	बिजनौर	५५.२६
२८	रोसा	२०.२६
२९-३०	बुलन्द रजा	४२.६४
	पूरे रोहिलखंड क्षेत्र के लिये	४२९.४६

क्रम संख्या	मिलों का नाम	बक़ाया धन (लाख रुपये में)
३१	बुढ़वल	१६.१६
३२	बाराबंकी	१९.६६
३३	हरदोई	१६.२७
३४	मसौधा	८.८९
३५	बिसवान	७.८७
३६	हरगांव	३६.३७
३७	महोली	१८.०१
३८	आयरा	९.५३
३९	गोलागोकरन नाथ	२९.९६
४०	शाहगंज	३.४८
	पूरे मध्य क्षेत्र के लिये	१६६.२०
४१	खलीलाबाद	.०१
४२	मुंडेरवा	.३१
४३	बस्ती	.७३
४४	वाल्टरगंज	.०१
४५	वभनान	.०३
४६	नवाबगंज	२.८३
४७	तुलसीपुर	.२१
४८	बलरामपुर	.३०
४९	जरवल	१३.६९
	पूरे अर्ध पूर्व क्षेत्र के लिये	१८.१२
५०	परतावपुर	.६०
५१	वैतालपुर	.७२
५२	देवरिया	.९०
५३	गौरीबाजार	.१७
५४	कैप्टेनगंज	१.४५
५५	खड्डा	४.५०
५६	छितौनी	१.२१
५७	लक्ष्मीगंज	७.९४

क्रम संख्या	मिलों का नाम	बक़ाया धन (लाख रुपयों में)
५८	रामकोला (पंजाबी)	.०७
५९	रामकोला (खेतान)	५.०७
६०	पडरौना	५.६०
६१	कठकुइयां	४.६६
६२	सिवराही	१.४५
६३	सरदारनगर	२.४५
६४	पिपराइच (डाइमंड)	५.८७
६५	घुघली	.३६
६६	सिसवा	.१९
६७	फरेन्दा	१.००
	पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिये	४४.२१
	कुल	११२५.१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न २५,२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१-२६२ पर)

जिला	सन् १९५० ई० के माह जनवरी से सन् १९५२ के आख़ीर अप्रेल तक बनाई हुई फ़ारेस्ट पंचायतों की संख्या	स्तम्भ (२) में दी हुई पंचायतों में क़ाबिल भूमि का क्षेत्रफल	नाक़ाबिल भूमि का क्षेत्रफल
(१)	(२)	(३)	(४)
अल्मोड़ा	४५	६,०२८	...
नैनीताल	५	२,४४२	..
गढ़वाल	३९	५,६६२	..
टेहरी गढ़वाल	..	..	..

नत्थी 'छ'

(देखिए २८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

विवरण पत्र

श्री फागू पासी (राजनीतिक पीड़ित) निवासी लक्ष्मी नगर, तहसील फरेंदा को ग्राम लुटहवा तप्पा नगवा, परगना दीनाजपुर में ३.८ एकड़ भूमि दी गई। इसके अलावा निम्नलिखित राजनीतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता सन् १९४२ के आन्दोलन में हुई क्षति की पूर्ति के लिये दी गई है—

क्रम संख्या	नाम	ग्राम	राशि
			रुपया
१	श्री गौरी शंकर	धानी	६००
२	श्री केदार नाथ गुप्ता	,,	३००
३	श्री रामानन्द वर्नवाल	,,	३५०
४	श्री राम कृपाल	,,	२००
५	श्री महावीर हरिजन	,,	२००
६	श्री हरिद्वार प्रसाद	,,	२००
७	श्री बद्री प्रसाद आर्य	,,	२५०
८	श्री बाबू लाल माली	,,	१५
९	श्री काशी सुनार	,,	२५
१०	श्री विशुन सुनार	,,	२५
११	श्री गनेश सुनार	,,	२५
१२	श्री ठाकुर सुनार	,,	२५
१३	श्री काशी राम लालचंद	,,	२५

नत्थी 'ज'

(देखिये २८ अगस्त, १९५२ के आतारांकित प्रश्न ५–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन विषय (Terms of Reference) नीचे लिखे हुये हैं।

(१) इस बात की जांच करना कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की मुद्रण (छपाई) संबंधी आवश्यकतायें किस प्रकार घटती-बढ़ती रही हैं और उनकी भावी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिये एक गुर (फारमूला) निकालने का प्रयोग करना जिससे छपाई के संबंध में एक समुचित योजना तैयार की जा सके।

(२) इस बात की जांच करना कि वर्तमान सज्जा (equipment) का पूर्ण-रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं और सरकारी मुद्रणालय का उत्पादन बढ़ाने तथा उसके काम की किस्म में सुधार करने की बाबत सिफारिश करना।

(३) इस बात की जांच करना कि सरकारी प्रपत्रों (फार्मों) और प्रकाशनों का और अधिक स्तरीकरण (Standardization) करना संभव है या नहीं, जिससे मशीनों का और अधिक इस्तेमाल हो सके और उन साइजों की संख्या, जिनके लिये मशीनों की आवश्यकता होती है, कम की जा सके।

(४) इस बात की जांच करना कि प्रचार-कार्य तथा सुन्दर छपाई के संबन्ध में सूचना संचालन विभाग की आवश्यकतायें किस हद तक पूरी की जा सकती हैं और यह कि क्या छपाई का कोई ऐसा सामान्य साइज (Common Printing Size) बनाया जा सकता है जिससे इस कार्य के लिये अपेक्षित किसी खास मशीन का उपयोग उसके खाली रहने के समय में अन्य सरकारी कार्य की छपाई के लिये किया जा सके।

(५) सरकार की मुद्रण (छपाई) संबंधी आवश्यकता के लिये विभिन्न प्रकार की सज्जा की उपयुक्तता के संबंध में जांच करना और इस बात की सिफारिश करना कि सरकार की मुद्रण संबंधी भावी आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति के लिये किस परिमाण में और किस प्रकार की मशीनरी और अन्य सज्जा की आवश्यकता है।

(६) उपलब्ध वित्तीय साधनों का ध्यान रखते हुये एक ऐसी परिवर्तनशील योजना तैयार करना जिसके अन्तर्गत एक क्रमिक योजना के अनुसार सरकारी मुद्रणालयों (छापेखानों) की मशीनों की संख्या में तब तक वृद्धि की जाती रहे जब तक कि सरकार की छपाई संबंधी आवश्यकता पूर्णतया पूरी न हो जाय।

(७) मुद्रण के केन्द्रीय-करण तथा अभिनवीकरण (Rationalisation) के प्रश्न पर विचार करना अर्थात् इस पर विचार करना कि सरकार के सभी विभिन्न मुद्रणालयों (छापेखानों) में हर किस्म की छपाई का काम किया जाना, जैसा कि इस समय होता है, कार्य-कुशलता तथा मितव्ययता की दृष्टि से उपयुक्त है या भिन्न भिन्न किस्म की छपाई का काम भिन्न-भिन्न छापेखानों में होना चाहिये, प्रपत्रों (फार्मों) की छपाई इलाहाबाद में, पुस्तकों और पत्रिकाओं इत्यादि की छपाई लखनऊ में और नकशे आदि विशेष प्रकार की छपाई रुड़की में। इस प्रश्न पर विचार करते समय समिति को यथा संभव मितव्ययता के साथ कर्मचारी वर्ग, मशीनरी तथा स्थिर यंत्रों (प्लाण्टों) के हस्तान्तरण के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

(८) मशीनों और स्थिर यंत्रों (प्लाण्टों) के समुचित रख-रखाव के प्रश्न पर विचार करना। इस बात की जांच करना कि साधारण कारीगरों (मैकेनिकों और फिटरों) की सहायता से बिना किसी समुचित रूप से सुसज्जित वर्कशाप के मशीनों और स्थिर यंत्रों (प्लाण्टों)

के रख-रखाव और उनकी मरम्मत का वर्तमान प्रबंध ठीक हैं या नहीं, अथवा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत ही कीमती और टेक्निकल मशीनें प्रयोग में लायी जाती हैं पर्याप्त संख्या में उच्चतम योग्यता प्राप्त इंजीनियर, कार्यकुशल और दक्ष प्रविधिक टेक्निकल कर्मचारीवर्ग और एक पूर्णतया सुसज्जित वर्कशाप की आवश्यकता है या नहीं। यदि उनकी आवश्यकता है तो किस प्रकार की वर्कशाप और कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(९) ऐशबाग के नये सरकारी मुद्रणालय (छापेखाने) में अधिष्ठापित स्वचालित छापने की मशीनों को सुचारुरूप से चलाने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त प्रविधिक और औद्योगिक कर्मचारी वर्ग टेक्निकल (ऐण्ड इण्डस्ट्रीयल स्टाफ) की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करना।

(१०) एक डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के नियन्त्रण में, जिनकी सहायता के लिये एक असिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेण्ट और अन्य कर्मचारी भी रक्खे जायेंगे, गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस लखनऊ और ऐशबाग के नये सरकारी मुद्रणालय को एक ही में मिलाने के प्रश्न पर विचार करना। विशेषज्ञ समिति में केवल श्री जे० शेमेल ही एक गैरसरकारी व्यक्ति हैं। यह मेसर्स एलाइड ऐजेन्सीज लखनऊ के पार्टनर (साझीदार) हैं। इनसे अथवा इनके द्वारा राजकीय प्रेसों के लिये कोई मशीन कभी नहीं खरीदी गई है परन्तु इस फर्म से राजकीय प्रेसों के लिये अन्य वस्तुयें जैसे जिंकसीट, कम्पोजिंग मेटल इत्यादि उद्योग विभाग के स्टोर परचेज सेक्शन ने Competitive quotations मंगवाने के पश्चात् अवश्य खरीदी हैं।

हुकुम सिंह
उद्योग मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८० एल० ए०—१९५२—८५०